



उ०प्र० एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

यूपीडा के निदेशक मण्डल की
95वीं बोर्ड बैठक दि.-27.10.2026 का
कार्यवृत्त

(संख्या-7667 / यूपीडा / 08 / 01 / वाल्यूम-12(बोर्ड बैठक) दि.-27.10.2026)

पत्रांक-7667/यूपीडा/08/01/बाल्यूम-12(बोर्ड बैठक)

दिनांक-27.10.2026

यूपीडा के निदेशक मण्डल की 95वीं बैठक दि० 27.10.2026 का कार्यवृत्त

बैठक में निदेशक मण्डल के निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. श्री दीपक कुमार, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त
एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा | -अध्यक्ष
एवं सदस्य सचिव |
| 2. श्री विजय किरन आनन्द, सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग | -सदस्य |
| 3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ०प्र० शासन
द्वारा प्रतिनिधि श्री अंकुर चौधरी, (AAP/CTCP) आवास एवं शहरी नियोजन | -सदस्य |
| 4. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन
द्वारा प्रतिनिधि श्री अनुराग गुप्ता, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन | -सदस्य |
| 5. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग उ०प्र० शासन
द्वारा प्रतिनिधि श्री प्रभुनाथ, विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन | -सदस्य |
| 6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण
द्वारा प्रतिनिधि श्री सुजीत कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूपीसीडा | -सदस्य |
| 7. श्री श्रीहरि प्रताप शाही, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(I), यूपीडा | -सहायक सदस्य सचिव |

अन्य प्रतिभागी अधिकारीगण:-

1. श्री शैलेन्द्र कुमार माटिया, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (II), यूपीडा।
2. श्री रवीन्द्र सिंह, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
3. श्री गिरीश नाथ सिंह, प्रभारी मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
4. श्री संजय कुमार सिंह, वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
5. श्री शुभेन्दु शेखर सिंह, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी-I, यूपीडा।
6. श्री सर्वेश यादव, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी-II, यूपीडा।
7. श्री शक्ति प्रताप सिंह, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी-III, यूपीडा।
8. श्री आशीष मिश्रा, वित्त एवं लेखाधिकारी, यूपीडा।
9. श्री सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
10. श्री बी०एस० दुबे, वरिष्ठ सलाहकार (प्रोत्थ.सेल.), यूपीडा।
11. श्री अरुण कुमार कपूर, सलाहकार (वित्तीय संस्थाएं), यूपीडा।
12. श्री राजेश प्रताप सिंह, विशेष कार्याधिकारी(अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी), यूपीडा।
13. श्री विश्वजीत राय, मुख्य महाप्रबन्धक (बैंकिंग), यूपीडा।
14. श्री राजेश कुमार सिंह, मुख्य महाप्रबन्धक, सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्धन, यूपीडा।
15. श्री चुनकू राम पटेल, विशेष कार्याधिकारी (भू-अर्जन), यूपीडा।
16. श्री सियाराम मौर्य, वरिष्ठ भू-अर्जन अधिकारी, यूपीडा।
17. श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव, वरिष्ठ भू-अर्जन अधिकारी, यूपीडा।
18. कर्नल आर०वी० सिंह, महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
19. श्री अनुराग अस्थाना, महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
20. श्री राजेश मोहन गुप्ता, महाप्रबन्धक, यूपीडा।
21. श्री नीरज वर्मा, अधिशासी अभियन्ता, यूपीडा।
22. श्री मनीष कुमार सिंह, अधिशासी अभियन्ता, यूपीडा।
23. श्री दिवेक कुमार सोनी, सहायक अभियन्ता, यूपीडा।
24. श्रीमती मोनिका कुमार, सहायक महाप्रबन्धक, यूपीडा।
25. श्रीमती निमिषा शर्मा, उप महाप्रबन्धक, यूपीडा।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(I), यूपीडा द्वारा मा0 निदेशक मण्डल के स्वागत व एजेण्डा प्रस्तुति हेतु अनुमति के उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए बैठक के एजेण्डा पर निम्नवत् बिन्दुवार विचार-विमर्श प्रारम्भ किया गया-

एजेण्डा बिन्दु सं.-01-

यूपीडा निदेशक मण्डल की 94वीं बोर्ड बैठक दि0-20.08.2026 के कार्यवृत्त (संख्या-5965/यूपीडा/08/01/वालयूम-12 (बोर्ड बैठक)) दि0-01.09.2026 की पुष्टि के सम्बन्ध में-

यूपीडा निदेशक मण्डल की 94वीं बोर्ड बैठक दि0-20.08.2026 के कार्यवृत्त (संख्या-5965/यूपीडा/08/01/वालयूम-12 (बोर्ड बैठक)) दि0-01.09.2026 को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया तत्क्रम में मा0 निदेशक मण्डल द्वारा अवलोकनोपरान्त उक्त कार्यवृत्त दि0-01.09.2026 की पुष्टि की गयी।

एजेण्डा बिन्दु सं.-02-

यूपीडा के निदेशक मण्डल की 94वीं बोर्ड बैठक दि0-20.08.2026 में लिये गये निर्णयों के क्रम में निर्गत कार्यवृत्त (संख्या-5965/यूपीडा/08/01/वालयूम-12 (बोर्ड बैठक)) दि0-01.09.2026 की अनुपालन आख्या से निदेशक मण्डल को बिन्दुवार अवगत कराया गया

निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 20.08.2026 को सम्पन्न हुई, यूपीडा की 94वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। बोर्ड बैठक दि0 20.08.2026 में लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में अनुपालन से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु सं.-03(A)

झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु जनपद जालौन में मण्डलायुक्त झांसी मण्डल झांसी द्वारा अनुमोदित जनपद स्तरीय "जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) भूमि क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुमोदन के सम्बन्ध में

शासनादेश संख्या-1/890044/2025/77-3-2025, औद्योगिक विकास अनुभाग-3 दिनांक 31.01.2025 द्वारा झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना है। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना में भूस्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय की कार्यवाही दिनांक 15.07.2025 तक पूर्ण की जानी प्रस्तावित थी/है।

शासनादेश संख्या-2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19.03.2015 में प्रावधानित है कि मध्यम एवं वृहद परियोजनाओं अर्थात् जिनमें परियोजना के लिए क्रय की जाने वाली भूमि की कुल कीमत 10.00 करोड़ से अधिक होने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित "जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समिति" क्रय की जाने वाली भूमि की दर तथा कुल भूमि मूल्य का विनिश्चय करते हुए प्रस्ताव अनुमोदन हेतु सम्बन्धित मण्डलायुक्त के समक्ष प्रस्तुत करेगी। जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सम्बन्धित मण्डलायुक्त द्वारा अनुमोदन दिया जायेगा।

भूमि क्रय किये जाने हेतु जनपद जालौन से सम्बन्धित मण्डलायुक्त से अनुमोदित क्रय प्रस्ताव अलग-अलग तिथियों में प्राप्त हुए हैं/होने हैं, जिससे गर्वनिंग बोर्ड से प्रस्ताव अनुमोदित/स्वीकृत कराने और भूमि क्रय किये जाने में होने वाले विलम्ब के दृष्टिगत यूपीडा की बोर्ड की 94वीं बैठक दिनांक 20.08.2026 में उपर्युक्त विषयक प्रस्तावों को अनुमोदित किये जाने की शक्ति मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा को इस शर्त के साथ प्रतिनिधायित्व की गई है कि बोर्ड की आगामी बैठक में उक्त प्रस्तावों को अवलोकित/अनुमोदित करा लिया जाये।

मण्डलायुक्त झांसी, मण्डल झांसी से अनुमोदित जनपद स्तरीय "जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समिति" जनपद जालौन द्वारा पारित प्रस्ताव, जिन्हें परियोजना के हित में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा पूर्व में यूपीडा के पत्रांक-829/3495/यूपीडा/2025/भूअर्जन दिनांक 04.05.2026, पत्रांक-1764/3495/यूपीडा/2025/भूअर्जन दिनांक 09.06.2026 द्वारा अनुमोदन/सहमति/स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, को निदेशक मण्डल द्वारा अवलोकित/अनुमोदित किया जाना निवेदित है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त, यूपीडा के गर्वनिंग बोर्ड/निदेशक मण्डल द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-03(B)

झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु जनपद झांसी में मण्डलायुक्त झांसी मण्डल झांसी द्वारा अनुमोदित जनपद स्तरीय "जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) भूमि क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुमोदन के सम्बन्ध में

शासनादेश संख्या-1/890044/2025/77-3-2025, औद्योगिक विकास अनुभाग-3 दिनांक 31.01.2025 द्वारा झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना है। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना में भूस्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय की कार्यवाही दिनांक 15.07.2025 तक पूर्ण की जानी प्रस्तावित थी/है।

शासनादेश संख्या-2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19.03.2015 में प्रावधानित है कि मध्यम एवं वृहद परियोजनाओं अर्थात् जिनमें परियोजना के लिए क्रय की जाने वाली भूमि की कुल कीमत 10.00 करोड़ से अधिक होने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित "जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समिति" क्रय की जाने वाली भूमि की दर तथा कुल भूमि मूल्य का विनिश्चय करते हुए प्रस्ताव अनुमोदन हेतु सम्बन्धित मण्डलायुक्त के समक्ष प्रस्तुत करेगी। जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सम्बन्धित मण्डलायुक्त द्वारा अनुमोदन दिया जायेगा।

भूमि क्रय किये जाने हेतु जनपद झांसी से सम्बन्धित मण्डलायुक्त से अनुमोदित क्रय प्रस्ताव अलग-अलग तिथियों में प्राप्त हुए हैं/होने हैं, जिससे गवर्निंग बोर्ड से प्रस्ताव अनुमोदित/स्वीकृत कराने और भूमि क्रय किये जाने में होने वाले विलम्ब के दृष्टिगत यूपीडा की बोर्ड की 94वीं बैठक दिनांक 20.08.2026 में उपर्युक्त विषयक प्रस्तावों को अनुमोदित किये जाने की शक्ति मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा को इस शर्त के साथ प्रतिनिधायित्व की गई है कि बोर्ड की आगामी बैठक में उक्त प्रस्तावों को अवलोकित/अनुमोदित करा लिया जाये।

मण्डलायुक्त झांसी, मण्डल झांसी से अनुमोदित जनपद स्तरीय "जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समिति" जनपद झांसी द्वारा पारित प्रस्ताव, जिन्हें परियोजना के हित में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा पूर्व में यूपीडा के पत्रांक-7409/3495/यूपीडा/2025/भूअर्जन दिनांक 20.03.2026, पत्रांक-1588/3143/यूपीडा/2024/भूअर्जन दिनांक 02.06.2026, पत्रांक-2019/3143/यूपीडा/2024/भूअर्जन दिनांक 18.06.2026 एवं पत्रांक-5533/3495/यूपीडा/2025/भूअर्जन दिनांक 17.08.2026 द्वारा अनुमोदन/सहमति/स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, को निदेशक मण्डल से अवलोकित/अनुमोदित कराया जाना निवेदित है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त, यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा कार्यान्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-04(A)

डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के झांसी नोड हेतु मण्डलायुक्त झांसी मण्डल झांसी द्वारा अनुमोदित जनपद स्तरीय "जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) भूमि क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुमोदन के सम्बन्ध में

डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर/इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के द्वितीय फेज से सम्बन्धित जनपद-झांसी की तहसील-गरीठा से सम्बन्धित ग्रामों की विन्धित भूमि को क्रय किये जाने हेतु शासनादेश संख्या 2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19.03.2015 में वर्णित प्राविधान के अन्तर्गत सम्बन्धित मण्डलायुक्त से अनुमोदित, जनपद स्तरीय समिति की बैठकों के प्रेषित प्रस्तावित दर/क्रय मूल्य को यूपीडा द्वारा अनुमोदित किए जाने का अनुरोध किया गया था। तत्क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा उक्त प्रस्ताव शासनादेश के प्रस्तर-7 में दी गयी व्यवस्थानुसार जनपद झांसी में दिनांक 08.07.2026 को अनुमोदित किया जा चुका है।

उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-7 में वर्णित प्राविधान के अनुसार क्रय की जाने वाली भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य पर अनुमोदन के उपरान्त विक्रय विलेख के निष्पादन से पूर्व सम्बन्धित क्रय निकाय/विभाग द्वारा निम्नानुसार सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

क्र०सं०	सीधे क्रय किये जाने वाली भूमि का प्रस्तावित कुल मूल्य	अनुमोदन हेतु सक्षम स्तर
1	₹0 50 करोड़ तक	सम्बन्धित मण्डलायुक्त
2	₹0 50 करोड़ से अधिक (राजकीय विभाग/स्थानीय निकाय की दशा में।)	सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग
3	₹0 50 करोड़ से अधिक (राजकीय विभाग/स्थानीय निकाय की दशा में।)	सम्बन्धित निगम प्राधिकरण/परिषद का गवर्निंग बोर्ड/प्रबन्ध मण्डल

उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तर-8 के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त क्रय निकाय द्वारा राजस्व अधिकारियों के सहयोग से भू-स्वामी से विक्रय विलेख / बैनामा निष्पादित कराकर भूमि पर कब्जा प्राप्त किया जायेगा।

शासनादेश दिनांक 19.03.2015 के प्रस्तर-7 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार जनपद से प्राप्त प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु सक्षम स्तर यूपीडा का गवर्निंग बोर्ड है। 87वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयानुसार डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर/इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर से सम्बन्धित जनपद से प्राप्त भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य प्रस्ताव का अनुमोदन किये जाने सम्बन्धी बोर्ड की शक्ति मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा को इस शर्त के साथ प्रतिनिधानित की गयी है कि बोर्ड की आगामी बैठक में उक्त प्रस्तावों को अवलोकित/अनुमोदित करा दिया जाये।

तदनुसार बोर्ड से अनुमोदन की प्रत्याशा में जनपद से प्राप्त भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा द्वारा समय-समय पर किया जा रहा है, जिसे निम्न विवरणानुसार बोर्ड के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना है-

क्र० सं०	जनपद का नाम	मण्डलायुक्त/जनपद द्वारा प्रेषित पत्रांक व दिनांक	तहसील का नाम	सम्बन्धित ग्रामों की संख्या व नाम	निहित क्षेत्रफल (हे० में)	निहित धनराशि	मुख्य कार्यपालक महोदय द्वारा अनुमोदन की तिथि
1	झांसी	1502/आठ- नू०अ०/डि०का०/2026-27 दिनांक 30.06.2026	गरीठा	झबरा, गौती व जखनवारा	702.630	2733997758/-	3469/1020(03) /2018 Vol-IV भू०अ० दिनांक 08.07.2026

तत्क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा द्वारा जनपद झांसी की पत्रावली पर प्रदान की गयी स्वीकृति यथावत यूपीडा के गवर्निंग बोर्ड/निदेशक मण्डल के समक्ष सादर अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त, यूपीडा के गवर्निंग बोर्ड/निदेशक मण्डल द्वारा कार्यान्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-04(B)

इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर हेतु जनपद-कानपुर नगर में मण्डलायुक्त कानपुर नगर द्वारा अनुमोदित जनपद स्तरीय "जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) भूमि क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुमोदन के सम्बन्ध में

डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर/इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के द्वितीय फेज से सम्बन्धित जनपद-कानपुर नगर की तहसील-नर्वेल से सम्बन्धित ग्रामों की विहित भूमि को क्रय किये जाने हेतु शासनादेश संख्या 2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19.03.2015 में वर्णित प्राविधान के अन्तर्गत सम्बन्धित मण्डलायुक्त से अनुमोदित, जनपद स्तरीय समिति की बैठकों के प्रेषित प्रस्तावित दर/क्रय मूल्य को यूपीडा द्वारा अनुमोदित किए जाने का अनुरोध किया गया था। तत्क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा उक्त प्रस्ताव शासनादेश के प्रस्तर-7 में दी गयी व्यवस्थानुसार जनपद कानपुर नगर में दिनांक 09.09.2026 को अनुमोदित किया जा चुका है।

उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-7 में वर्णित प्राविधान के अनुसार क्रय की जाने वाली भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य पर अनुमोदन के उपरान्त विक्रय विलेख के निष्पादन से पूर्व सम्बन्धित क्रय निकाय/विभाग द्वारा निम्नानुसार सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

क्र०सं०	सीधे क्रय किये जाने वाली भूमि का प्रस्तावित कुल मूल्य	अनुमोदन हेतु सक्षम स्तर
1	रु० 50 करोड़ तक	सम्बन्धित मण्डलायुक्त
2	रु० 50 करोड़ से अधिक (राजकीय विभाग/स्थानीय निकाय की दशा में।)	सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग
3	रु० 50 करोड़ से अधिक (राजकीय विभाग/स्थानीय निकाय की दशा में।)	सम्बन्धित निगम प्राधिकरण/परिषद का गवर्निंग बोर्ड/प्रबन्ध मण्डल

उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तर-8 के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त क्रय निकाय द्वारा राजस्व अधिकारियों के सहयोग से भू-स्वामी से विक्रय विलेख / बैनामा निष्पादित कराकर भूमि पर कब्जा प्राप्त किया जायेगा।

शासनादेश दिनांक 19.03.2015 के प्रस्तर-7 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार जनपद से प्राप्त प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु सक्षम स्तर यूपीडा का गवर्निंग बोर्ड है। 87वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयानुसार डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर/इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर से सम्बन्धित जनपद से प्राप्त भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य प्रस्ताव का अनुमोदन किये जाने सम्बन्धी बोर्ड की शक्ति मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा को इस शर्त के साथ प्रतिनिधानित की गयी है कि बोर्ड की आगामी बैठक में उक्त प्रस्तावों को अवलोकित/अनुमोदित करा दिया जाये।

तदनुसार बोर्ड से अनुमोदन की प्रत्याशा में जनपद से प्राप्त भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा द्वारा समय-समय पर किया जा रहा है, जिसे निम्न विवरणानुसार बोर्ड के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना है-

क्र० सं०	जनपद का नाम	मण्डलायुक्त/जनपद द्वारा प्रेषित पत्रांक व दिनांक	तहसील का नाम	सम्बन्धित ग्रामों की संख्या व नाम	निहित क्षेत्रफल (हे० में)	निहित धनराशि	मुख्य कार्यपालक महोदय द्वारा अनुमोदन की तिथि
1	कानपुर नगर	743/12-फर० एक्स०/2026 दिनांक 05.08.2026	नवल	हाथीपुर, फुफवार सुइथोक व महाराजपुर	113.5752	3943973934/-	6238/3329/यूपीडा/2025/आई०एम०एल०सी०/मू०अ० दिनांक 09.09.2026

तत्क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा द्वारा जनपद कानपुर नगर की पत्रावली पर प्रदान की गयी स्वीकृति यथावत यूपीडा के गर्वनिंग बोर्ड/निदेशक मण्डल के समक्ष सादर अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त, यूपीडा के गर्वनिंग बोर्ड/निदेशक मण्डल द्वारा कार्यान्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-04(C)

इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर हेतु जनपद-शाहजहाँपुर में मण्डलायुक्त बरेली द्वारा अनुमोदित जनपद स्तरीय जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) भूमि क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुमोदन के सम्बन्ध में

डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर/इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के द्वितीय फेज से सम्बन्धित जनपद-शाहजहाँपुर की तहसील-जलालाबाद से सम्बन्धित ग्रामों की चिन्हित भूमि को क्रय किये जाने हेतु शासनादेश संख्या 2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19.03.2015 में वर्णित प्राविधान के अन्तर्गत सम्बन्धित मण्डलायुक्त से अनुमोदित, जनपद स्तरीय समिति की बैठकों के प्रेषित प्रस्तावित दर/क्रय मूल्य को यूपीडा द्वारा अनुमोदित किए जाने का अनुरोध किया गया था। तत्क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा उक्त प्रस्ताव शासनादेश के प्रस्तर-7 में दी गयी व्यवस्थानुसार जनपद शाहजहाँपुर में दिनांक 22.09.2026 को अनुमोदित किया जा चुका है।

उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-7 में वर्णित प्राविधान के अनुसार क्रय की जाने वाली भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य पर अनुमोदन के उपरान्त विक्रय विलेख के निष्पादन से पूर्व सम्बन्धित क्रय निकाय/विभाग द्वारा निम्नानुसार सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

क्र०सं०	सौधे क्रय किये जाने वाली भूमि का प्रस्तावित कुल मूल्य	अनुमोदन हेतु सक्षम स्तर
1	रु० 50 करोड़ तक	सम्बन्धित मण्डलायुक्त
2	रु० 50 करोड़ से अधिक (राजकीय विभाग/स्थानीय निकाय की दशा में।)	सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग
3	रु० 50 करोड़ से अधिक (राजकीय विभाग/स्थानीय निकाय की दशा में।)	सम्बन्धित निगम प्राधिकरण/परिषद का गर्वनिंग बोर्ड/प्रबन्ध मण्डल

उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तर-8 के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त क्रय निकाय द्वारा राजस्व अधिकारियों के सहयोग से भू-स्वामी से विक्रय विलेख/बैनामा निष्पादित कराकर भूमि पर कब्जा प्राप्त किया जायेगा।

शासनादेश दिनांक 19.03.2015 के प्रस्तर-7 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार जनपद से प्राप्त प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु सक्षम स्तर यूपीडा का गर्वनिंग बोर्ड है। 87वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयानुसार डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर/इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर से सम्बन्धित जनपद से प्राप्त भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य प्रस्ताव का अनुमोदन किये जाने सम्बन्धी बोर्ड की शक्ति मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा को इस शर्त के साथ प्रतिनिधित्वित की गयी है कि बोर्ड की आगामी बैठक में उक्त प्रस्तावों को अवलोकित/अनुमोदित करा दिया जाये।

तदनुसार बोर्ड से अनुमोदन की प्रत्याशा में जनपद से प्राप्त भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा द्वारा समय-समय पर किया जा रहा है, जिसे निम्न विवरणानुसार बोर्ड के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना है-

क्र० सं०	जनपद का नाम	मण्डलायुक्त/जनपद द्वारा प्रेषित पत्रांक व दिनांक	तहसील का नाम	सम्बन्धित ग्रामों की संख्या व नाम	निहित क्षेत्रफल (है० में)	निहित धनराशि	मुख्य कार्यपालक महोदय द्वारा अनुमोदन की तिथि
1	शाहजहांपुर	521/आड-वि०मू० अ०अ०/शाह० दिनांक 01.09.2026	जलालाबाद	गुलझिया, लहरावर व पलहरई	277.0192	3020807883/-	6660/3730(19)/ भू-अर्जन दिनांक 22.09. 2026

तत्क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा द्वारा जनपद शाहजहांपुर की पत्रावली पर प्रदान की गयी स्वीकृति यथावत यूपीडा के गर्वनिंग बोर्ड/निदेशक मण्डल के समक्ष सादर अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त, यूपीडा के गर्वनिंग बोर्ड/निदेशक मण्डल द्वारा कार्यान्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-04(D)

इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर हेतु जनपद-सम्भल में मण्डलायुक्त मुरादाबाद द्वारा अनुमोदित जनपद स्तरीय जिला (मध्यम एवं बृहद परियोजना) भूमि क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रदत्त सहमति के सम्बन्ध में अनुमोदनार्थ

डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर/इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के द्वितीय फेज से सम्बन्धित जनपद-सम्भल की तहसील-सम्भल से सम्बन्धित ग्रामों की चिन्हित भूमि को क्रय किये जाने हेतु शासनादेश संख्या 2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19.03.2015 में वर्णित प्राविधान के अन्तर्गत सम्बन्धित मण्डलायुक्त से अनुमोदित, जनपद स्तरीय समिति की बैठकों के प्रेषित प्रस्तावित दर/क्रय मूल्य को यूपीडा द्वारा अनुमोदित किए जाने का अनुरोध किया गया था। तत्क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा उक्त प्रस्ताव शासनादेश के प्रस्तर-7 में दी गयी व्यवस्थानुसार जनपद सम्भल में दिनांक 05.10.2026 को अनुमोदित किया जा चुका है।

उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-7 में वर्णित प्राविधान के अनुसार क्रय की जाने वाली भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य पर अनुमोदन के उपरान्त विक्रय विलेख के निष्पादन से पूर्व सम्बन्धित क्रय निकाय/विभाग द्वारा निम्नानुसार सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

क्र०सं०	सीधे क्रय किये जाने वाली भूमि का प्रस्तावित कुल मूल्य	अनुमोदन हेतु सक्षम स्तर
1	रु० 50 करोड तक	सम्बन्धित मण्डलायुक्त
2	रु० 50 करोड से अधिक (राजकीय विभाग/स्थानीय निकाय की दशा में।)	सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग
3	रु० 50 करोड से अधिक (राजकीय विभाग/स्थानीय निकाय की दशा में।)	सम्बन्धित निगम प्राधिकरण /परिषद का गर्वनिंग बोर्ड /प्रबन्ध मण्डल

उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तर-8 के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त क्रय निकाय द्वारा राजस्व अधिकारियों के सहयोग से भू-स्वामी से विक्रय विलेख /बैनामा निष्पादित कराकर भूमि पर कब्जा प्राप्त किया जायेगा।

शासनादेश दिनांक 19.03.2015 के प्रस्तर-7 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार जनपद से प्राप्त प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु सक्षम स्तर यूपीडा का गर्वनिंग बोर्ड है। 87वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयानुसार डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर/इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर से सम्बन्धित जनपद से प्राप्त भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य प्रस्ताव का अनुमोदन किये जाने सम्बन्धी बोर्ड की शक्ति मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा को इस शर्त के साथ प्रतिनिधानित की गयी है कि बोर्ड की आगामी बैठक में उक्त प्रस्तावों को अवलोकित/अनुमोदित करा दिया जाये।

तदनुसार बोर्ड से अनुमोदन की प्रत्याशा में जनपद से प्राप्त भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा द्वारा समय-समय पर किया जा रहा है, जिसे निम्न विवरणानुसार बोर्ड के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना है-

क्र० सं०	जनपद का नाम	मण्डलायुक्त/जनपद द्वारा प्रेषित पत्रांक व दिनांक	तहसील का नाम	सम्बन्धित ग्रामों की संख्या व नाम	निहित क्षेत्रफल (है० में)	निहित धनराशि	मुख्य कार्यपालक महोदय द्वारा अनुमोदन की तिथि
1	सम्भल	201/डी०एल०आर०सी०/2025-26 दिनांक 01.09.2026	सम्भल	अगावती कुतुबपुर, सारंगपुर, खरसापा, भगीरी मट्टी, सौधन मौहम्मदपुर, बसला, खिरनौ मुहीउद्दीनपुर,	329.7865	6041825324	7031/यूपीडा-3730(23)/भू०अ० दिनांक 05.10.2026

तत्काल में मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा द्वारा जनपद सम्मेल की पत्रावली पर प्रदान की गयी स्वीकृति यथावत यूपीडा के गर्वनिंग बोर्ड/निदेशक मण्डल के समक्ष सादर अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त, यूपीडा के गर्वनिंग बोर्ड/निदेशक मण्डल द्वारा कार्यान्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-05

जेवर एयरपोर्ट लिंक एक्सप्रेसवे, फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, विन्ध्य पूर्वांचल स्पर एक्सप्रेसवे, विन्ध्य एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे एवं मेरठ-हरिद्वार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के संरक्षण से प्रभावित गौवसमा भूमि पर अवस्थित परिसम्पत्तियों की मूल्यांकित धनराशि का भुगतान करने एवं शासनादेश सं०-2/2015/215/एक-13-2015-20(48) /2011 राज.अनु.-13 दि०-19.03.2015 की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये मण्डलायुक्त के अनुमोदन उपरान्त, अनुमोदन प्रदान करने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा को अधिकृत किए जाने के सम्बन्ध में

उपरोक्तानुसार समस्त परियोजनाओं के संरक्षण के अन्तर्गत आने वाली ग्राम सभाओं के भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन एवं भुगतान के सम्बन्ध में शासनादेश सं०-2/2015/215/एक-13-2015-20(48) /2011 राज.अनु.-13 दि०-19.03.2015 की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये मण्डलायुक्त के अनुमोदन उपरान्त, अनुमोदन प्रदान करने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा को अधिकृत किए जाने के सम्बन्धी प्रस्ताव पर यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना निवेदित है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त, यूपीडा के गर्वनिंग बोर्ड/निदेशक मण्डल द्वारा कार्यान्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-06

यूपीडा द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के संचालन एवं रख-रखाव (O&M) के लिए लागत अनुमान सहित डी०पी०आर० (DPR), रख-रखाव ठेकेदार (Maintenance Contractor) व अथॉरिटी इंजीनियर के चयन हेतु निविदा अभिलेख तैयार किये जाने हेतु परियोजना परामर्शी के चयन के सम्बन्ध में अनुमोदन

अवगत कराना है कि यूपीडा द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के संचालन एवं रख-रखाव (O&M) के लिए लागत अनुमान सहित डी०पी०आर० (DPR), रख-रखाव ठेकेदार (Maintenance Contractor) व अथॉरिटी इंजीनियर के चयन हेतु निविदा अभिलेख तैयार किये जाने के लिए परियोजना परामर्शी के चयन हेतु दिनांक 16.07.2026 को निविदा अभिलेख ई-टेंडर पोर्टल पर प्रकाशित कर निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। उक्त के क्रम में दिनांक 04.08.2026 को प्री-बिड बैठक आयोजित की गई थी तथा प्री-बिड बैठक में लिए गये निर्णयानुसार इच्छुक निविदाकर्ताओं द्वारा की गयी पृच्छाओं के उत्तर एवं आवश्यक कोरिजेन्डम ई-टेंडर पोर्टल पर दिनांक 19.08.2026 को जारी किये गये थे।

2- उपरोक्त निविदा जमा किये जाने की अंतिम तिथि यथा दिनांक 10.09.2026 को ई-टेंडर पोर्टल पर 04 निविदाकर्ताओं की निविदाएं प्राप्त हुई थीं, जिन्हें निर्धारित तिथि यथा दिनांक 11.09.2026 को 'नामित समिति' के समक्ष ऑनलाइन खोला गया था। निम्नलिखित निविदाकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर निविदा जमा की गई थी:-

1. M/s Translink Infrastructure Consultants Pvt. Ltd.
2. M/s MSV International INC
3. M/s MSPARK Futuristics & Associates
4. M/s R.K. Infratech

3- उपरोक्त 04 निविदाकर्ताओं के तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन किये जाने पर 03 निविदाकर्ता यथा (1) M/s Translink Infrastructure Consultants Pvt. Ltd., (2) M/s MSV International INC एवं (3) M/s MSPARK Futuristics & Associates तकनीकी रूप से अर्ह पाये गये, जबकि अर्हता हेतु आवश्यक अंक न प्राप्त कर पाने के कारण M/s R.K. Infratech तकनीकी रूप से अर्ह नहीं पाये गये।

तत्काल में 'नामित समिति' की दिनांक 15.10.2026 को आहूत बैठक में उक्त 03 अर्ह निविदाकर्ताओं के वित्तीय प्रस्तावों को खोला गया था, जिसके अनुसार डाउनलोडेड वित्तीय प्रस्तावों का विवरण निम्नवत् है:-

SI No.	Name of Agency	Quoted Financial Proposal
1.	M/s MSV International INC	5,00,00,000.00
2.	M/s MSPARK Futuristics & Associates	1,40,00,000.00
3.	M/s Translink Infrastructure Consultants Pvt. Ltd.	1,99,99,999.00
	L1	1,40,00,000.00

प्रश्नगत प्रकरण में L1 निविदाकर्ता का निर्धारण QCBS मूल्यांकन के आधार पर होना था, तदनुसार, निविदाकर्ताओं के वित्तीय प्रस्ताव एवं समेकित QCBS Score का विवरण निम्नवत् है:-

Particulars	M/s MSV International INC			M/s MSPARK Futuristics & Associates			M/s Translink Infrastructure Consultants Pvt. Ltd.		
	Marks Scored out of 100	weightage %	weightage Score	Marks Scored out of 100	weightage %	weightage Score	Marks Scored out of 100	weightage %	weightage Score
Technical Score	98.00	70.00	68.60	85.00	70.00	59.00	94.00	70.00	65.80
Financial Score	28.00	30.00	8.40	100.00	30.00	30.00	70.00	30.00	21.00
Combined Score out of 100			77.00			89.50			86.80
		Ranking	H3			H1			H2

4- उपर्युक्त तालिका में अंकित विवरण के आधार पर 'नामित समिति' द्वारा न्यूनतम वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने वाले एवं सर्वाधिक समेकित QCBS Score प्राप्त करने वाले निविदाकर्ता M/s MSPARK Futuristics & Associates को चयनित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गई।

निदेशक मण्डल हेतु प्रस्ताव:-

उपरोक्तानुसार प्राधिकरण द्वारा कृत कार्यवाही एवं 'नामित समिति' द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में निदेशक मण्डल कृपया यूपीडा द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के संचालन एवं रख-रखाव (O&M) के लिए लागत अनुमान सहित डी0पी0आर0 (DPR), रख-रखाव ठेकेदार (Maintenance Contractor) व अर्थोरेटि इंजीनियर के चयन हेतु निविदा अभिलेख तैयार किये जाने के लिए परियोजना परामर्शी के चयन सम्बन्धित की गयी समस्त कार्यवाही तथा उपरोक्तानुसार न्यूनतम वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने वाले एवं सर्वाधिक समेकित प्राप्त करने वाले निविदाकर्ता M/s MSPARK Futuristics & Associates के चयन पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

कृपया निदेशक मण्डल के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-07

यूपीडा द्वारा ई0पी0सी0 पद्धति पर विकसित किये जा रहे

(1) फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे (पैकेज-I एवं पैकेज-II),

(2) आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्स. को जोड़ने हेतु लिंक एक्सप्रेसवे,

(3) झांसी लिंक एक्सप्रेसवे (पैकेज-I एवं पैकेज-II) एवं

(4) जेवर लिंक एक्सप्रेसवे (पैकेज-I एवं पैकेज-II) परियोजनाओं हेतु विकासकर्ताओं के चयन के सम्बंध में अनुमोदन हेतु

यूपीडा निदेशक मण्डल को निम्नवत् अवगत कराना है:-

प्रदेश में सुगम, तीव्र एवं सुरक्षित यातायात प्रदान करने हेतु उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज का विकास किया जा रहा है। वर्तमान में यूपीडा के 05 एक्सप्रेसवे संचालित हैं एवं 08 एक्सप्रेसवेज का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। संचालित एक्सप्रेसवेज को आपस में कनेक्टिविटी प्रदान करने तथा प्रदेश में सर्वांगीण विकास हेतु निम्नवत् 04 लिंक एक्सप्रेसवेज का ई0पी0सी0 पद्धति पर निर्माण किया जाना प्रस्तावित है:-

I- फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे (पैकेज-I एवं पैकेज-II) (लम्बाई-90.838 किमी0)।

II- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़े जाने हेतु लिंक एक्सप्रेसवे (लम्बाई- 50.94 किमी0)।

III- झांसी लिंक एक्सप्रेसवे (पैकेज-I एवं पैकेज-II) (लम्बाई- 106.300 किमी0)।

IV- जेवर लिंक एक्सप्रेसवे (पैकेज-I एवं पैकेज-II) (लम्बाई- 74.467 किमी)।

2- उपर्युक्त एक्सप्रेसवेज के निर्माण से प्रदेश के पश्चिमांचल, मध्यांचल एवं पूर्वांचल क्षेत्रों को प्रदेश की राजधानी तथा राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने हेतु सुरक्षित एवं सुगम यातायात उपलब्ध हो जायेगा, जो प्रदेश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध होगा।

3- अवस्थापना विकास अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0: 148/83-अप./2026 दिनांक 24.07.2026 के माध्यम से (i) आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक लिंक एक्सप्रेसवे (ii) आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे वाया फर्रुखाबाद एक्सप्रेसवे एवं (iii) यूपीडा द्वारा ई0पी0सी0 के अन्तर्गत प्रस्तावित अन्य एक्सप्रेसवे परियोजनाओं हेतु विकासकर्ताओं के चयन हेतु मानक बिड अभिलेख के रूप में विकासकर्ताओं को इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि किसी तकनीकी/वित्तीय मापदण्डों में संशोधन/परिवर्तन मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित अन्य दो परियोजनाएँ यथा झांसी लिंक एक्सप्रेसवे एवं जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भी विकासकर्ताओं के चयन हेतु उक्त अनुमोदित मानक बिड अभिलेखों का उपयोग किया गया है।

4- शासनादेश सं0 148/83-अप./2026 दिनांक 24.07.2026 द्वारा अनुमोदित मानक आर0एफ0पी0 बिड अभिलेखों के अनुसार उपरोक्त परियोजनाओं (Package-wise) हेतु पैकेजवार पृथक-पृथक आर0एफ0पी0 बिड अभिलेखों को तैयार कर ई-टेंडर पोर्टल के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की गयीं, जिसके सापेक्ष निर्धारित तिथि दिनांक 07.09.2026 तक कुल 50 निविदायें प्राप्त हुई, जिन्हें दिनांक 08.09.2026 को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित 'पी0पी0पी0 निविदा मूल्यांकन समिति' के समक्ष खोला गया। प्राप्त निविदाओं के तकनीकी प्रस्तावों के मूल्यांकनोपरान्त 'पी0पी0पी0 निविदा मूल्यांकन समिति' की बैठक दिनांक 24.09.2026 में निम्नलिखित निविदाओं को तकनीकी रूप से अर्ह पाते हुए शॉर्टलिस्ट किया गया:-

S. NO	Name of the bidder
1- (a) Farrukhabad Link Expressway (Package-I)	
1	M/s KCC Buildcon Pvt. Ltd.
2	M/s Dineshchandra R Agrawal Infracon Pvt. Ltd.
3	M/s MKC Infrastructure Ltd.
4	M/s Limited Liability Company LLC Volgadorstroi
1- (b) Farrukhabad Link Expressway (Package-II)	
5	M/s Afcons Infrastructure Limited
6	M/s Apco Infratech Private Limited
2- Agra-Lucknow Expressway to Purvanchal Expressway Link Expressway	
7	M/s Dineshchandra R Agrawal Infracon Pvt. Ltd.
8	M/s Apco Infratech Private Limited
3- (a) Jhansi Link Expressway (Package-I)	
9	M/s Dineshchandra R Agrawal Infracon Pvt. Ltd.
10	M/s MKC Infrastructure Ltd.
3- (b) Jhansi Link Expressway (Package-II)	
11	M/s Afcons Infrastructure Limited
12	M/s Apco Infratech Private Limited
13	M/s Limited Liability Company LLC Volgadorstroi
4- (a) Jewar Link Expressway (Package-I)	
14	M/s KCC Buildcon Pvt. Ltd.
15	M/s Afcons Infrastructure Limited
16	M/s Limited Liability Company LLC Volgadorstroi
4- (b) Jewar Link Expressway (Package-II)	
17	M/s KCC Buildcon Pvt. Ltd.
18	M/s MKC Infrastructure Ltd.

5- 'पी0पी0पी0 निविदा मूल्यांकन समिति' द्वारा उपरोक्तानुसार 04 परियोजनाओं के 07 पैकेजों में तकनीकी रूप से अर्ह एवं शॉर्टलिस्टेड निविदाकर्ताओं के ई-टेंडर पोर्टल पर प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों को समिति की बैठक दिनांक 28.09.2026 में निविदाकर्ताओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ऑनलाईन खोला गया। पैकेजवार विभिन्न निविदाकर्ताओं के वित्तीय प्रस्तावों का तुलनात्मक विवरण निम्नवत है:-

(i) फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे पैकेज-I

तालिका क्रमांक- 5.1

Sl. No	Bidder Name	Estimated Project Cost (Rs. in Crore)	Amount (in Rs. including all taxes excluding Goods and Service Tax (GST))	Bid Rank	Percentage variation of Bid amount with respect to estimated cost
1	M/s Limited Liability Company LLC Volgadorstroi	1964.21	19,14,71,19,000.00	L1	(-) 2.52
2	M/s MKC Infrastructure Ltd.		19,97,79,79,910.00	L2	(+) 1.71
3	M/s Dineshchandra R Agrawal Infracon Pvt. Ltd.		20,03,49,00,000.00	L3	(+) 2.00
4	M/s KCC Buildcon Pvt. Ltd.		20,66,31,00,000.00	L4	(+) 5.20

'पी0पी0पी0 निविदा मूल्यांकन समिति' द्वारा उपरोक्त वित्तीय प्रस्तावों के विवरण के आधार पर M/s Limited Liability Company LLC Volgadorstroi को L-1 निविदाकर्ता होने के कारण चयनित किये जाने की संस्तुति की गई।

(ii) फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे पैकेज-II

तालिका क्रमांक- 5.2

Sl. No	Bidder Name	Estimated Project Cost (Rs. in Crore)	Amount (in Rs. including all taxes excluding GST)	Bid Rank	Percentage variation of Bid amount with respect to estimated cost
1	M/s Apco Infratech Private Limited	2901.57	28,94,00,00,000.00	L1	(-) 0.26
2	M/s Afcons Infrastructure Limited		31,48,20,34,500.00	L2	(+) 8.50

'पी0पी0पी0 निविदा मूल्यांकन समिति' द्वारा उपरोक्त वित्तीय प्रस्तावों के विवरण के आधार पर M/s Apco Infratech Private Limited को L-1 निविदाकर्ता होने के कारण चयनित किये जाने की संस्तुति की गई।

(iii) आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़े जाने हेतु लिंक एक्सप्रेसवे

तालिका क्रमांक- 5.3

Sl. No	Bidder Name	Estimated Project Cost (Rs. in Crore)	Amount (in Rs. including all taxes excluding GST)	Bid Rank	Percentage variation of Bid amount with respect to estimated cost
1	M/s Dineshchandra R Agrawal Infracon Pvt. Ltd.	2864.82	30,08,06,00,000.00	L1	(+) 5.00
2	M/s Apco Infratech Private Limited		39,53,00,00,000.00	L2	(+) 37.98

'पी0पी0पी0 निविदा मूल्यांकन समिति' द्वारा उपरोक्त वित्तीय प्रस्तावों के विवरण के आधार पर M/s Dineshchandra R Agrawal Infracon Pvt. Ltd. को L-1 निविदाकर्ता होने के कारण चयनित किये जाने की संस्तुति की गई।

(iv) झांसी लिंक एक्सप्रेसवे पैकेज-I

तालिका क्रमांक- 5.4

Sl.No	Bidder Name	Estimated Project Cost (Rs. in Crore)	Amount (in Rs. including all taxes excluding GST)	Bid Rank	Percentage variation of Bid amount with respect to estimated cost
1	M/s MKC Infrastructure Ltd.	2262.28	22,06,62,79,120.00	L1	(-) 2.46
2	M/s Dineshchandra R Agrawal Infracon Pvt. Ltd.		23,18,83,00,000.00	L2	(+) 2.50

'पी0पी0पी0 निविदा मूल्यांकन समिति' द्वारा उपरोक्त वित्तीय प्रस्तावों के विवरण के आधार पर M/s MKC Infrastructure Ltd. को L-1 निविदाकर्ता होने के कारण चयनित किये जाने की संस्तुति की गई।

(v) झांसी लिंक एक्सप्रेसवे पैकेज-II

तालिका क्रमांक- 5.5

Sl. No.	Bidder Name	Estimated Project Cost (Rs. in Crore)	Amount (in Rs. including all taxes excluding GST)	Bid Rank	Percentage variation of Bid amount with respect to estimated cost
1	M/s Limited Liability Company LLC Volgadorstroi	2739.46	27,02,47,72,900.00	L1	(-) 1.35
2	M/s Afcons Infrastructure Limited		33,01,04,93,000.00	L2	(+) 20.50
3	M/s Apco Infratech Private Limited		33,97,00,00,000.00	L3	(+) 24.00

'पी0पी0पी0 निविदा मूल्यांकन समिति' द्वारा उपरोक्त वित्तीय प्रस्तावों के विवरण के आधार पर M/s Limited Liability Company LLC Volgadorstroi को L-1 निविदाकर्ता होने के कारण चयनित किये जाने की संस्तुति की गई।

(vi) जेवर लिंक एक्सप्रेसवे पैकेज-I

तालिका क्रमांक- 5.6

Sl.No	Bidder Name	Estimated Project Cost (Rs. in Crore)	Amount (in Rs. including all taxes excluding GST)	Bid Rank	Percentage variation of Bid amount with respect to estimated cost
1	M/s Afcons Infrastructure Limited	2107.82	20,86,53,10,180.00	L1	(-) 1.01
2	M/s Limited Liability Company LLC Volgadorstroi		21,92,13,28,000.00	L2	(+) 4.00
3	M/s KCC Buildcon Pvt. Ltd.		22,13,21,00,000.00	L3	(+) 5.00

'पी0पी0पी0 निविदा मूल्यांकन समिति' द्वारा उपरोक्त वित्तीय प्रस्तावों के विवरण के आधार पर M/s Afcons Infrastructure Limited को L-1 निविदाकर्ता होने के कारण चयनित किये जाने की संस्तुति की गई।

(vii) जेवर लिंक एक्सप्रेसवे पैकेज-II

तालिका क्रमांक- 5.7

Sl.No	Bidder Name	Estimated Project Cost (Rs. in Crore)	Amount (in Rs. including all taxes excluding GST)	Bid Rank	Percentage variation of Bid amount with respect to estimated cost
1	M/s KCC Buildcon Pvt. Ltd.	2126.76	20,41,71,00,000.00	L1	(-) 4.00
2	M/s MKC Infrastructure Ltd.		21,72,69,80,160.00	L2	(+) 2.16

'पी0पी0पी0 निविदा मूल्यांकन समिति' द्वारा उपरोक्त वित्तीय प्रस्तावों के विवरण के आधार पर M/s KCC Buildcon Pvt. Ltd. को L-1 निविदाकर्ता होने के कारण चयनित किये जाने की संस्तुति की गई।

6- उपरोक्तानुसार, सभी 04 लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के कुल 07 पैकेजों हेतु प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों में से न्यूनतम प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ताओं के चयन हेतु 'पी0पी0पी0 निविदा मूल्यांकन समिति' की बैठक दिनांक 28.09.2026 में समिति द्वारा संस्तुत पैकेजवार न्यूनतम निविदाकर्ता, न्यूनतम निविदाकर्ता की धनराशि तथा अनुमानित लागत से तुलना इत्यादि के निम्नवत् विवरण से सचिव समिति को अवगत कराया गया:-

सारांश तालिका

Sl. No.	Name of Project	Estimated Project Cost as per RFP (Rs. in Crores)	Name of Bidder (Lowest Bidder)	Bid Price quoted by Lowest Bidder (Rs. in Crores)	Bid Price Variation with respect to Estimated Project Cost (%)	Design Length (Km)	Bid Price per Km (Rs. Cr. per Km)
1.	Farrukhabad Link Expressway (Package-I)	1964.21	M/s Limited Liability Company LLC Volgadorstroi	1914.71	(-) 2.52	50.000	38.29
2.	Farrukhabad Link Expressway	2901.57	M/s Apco Infratech Private Limited	2894.00	(-) 0.26	40.838	70.87

Sl. No.	Name of Project	Estimated Project Cost as per RFP (Rs. in Crores)	Name of Bidder (Lowest Bidder)	Bid Price quoted by Lowest Bidder (Rs. in Crores)	Bid Price Variation with respect to Estimated Project Cost (%)	Design Length (Km)	Bid Price per Km (Rs. Cr. per Km)
	(Package-II)						
3.	Agra-Lucknow Expressway to Purvanchal Expressway Link Expressway	2864.82	M/s. Dineshchandra R Agrawal Infracon Pvt. Ltd.	3008.06	(+) 5.00	59.940	59.05
4.	Jhansi Expressway Link (Package-I)	2262.28	M/s MKC Infrastructure Ltd.	2206.63	(-) 2.46	50.000	44.13
5.	Jhansi Expressway Link (Package-II)	2739.46	M/s Limited Liability Company LLC Volgadorstroir	2702.48	(-) 1.35	56.300	48.00
6.	Jewar Expressway Link (Package-I)	2107.82	M/s Afcuns Infrastructure Limited	2086.53	(-) 1.01	24.467	85.28
7.	Jewar Expressway Link (Package-II)	2126.76	M/s KCC Buildcon Pvt. Ltd.	2041.71	(-) 4.00	50.000	40.83

7- 'पी0पी0पी0 निविदा मूल्यांकन समिति' की उपरोक्त बैठक दिनांक 28.09.2026 में यूपीडा द्वारा ई0पी0सी0 पद्धति पर विकसित की जा रही (1) फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे (पैकेज-I एवं पैकेज-II), (2) आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़े जाने हेतु लिंक एक्सप्रेसवे, (3) झांसी लिंक एक्सप्रेसवे (पैकेज-I एवं पैकेज-II) एवं (4) जेवर लिंक एक्सप्रेसवे (पैकेज-I एवं पैकेज-II) परियोजनाओं हेतु अपनी संस्तुति प्रदान करते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर न्यूनतम निविदाकर्ताओं को चयनित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी थी।

8- 'पी0पी0पी0 निविदा मूल्यांकन समिति' की उपरोक्त संस्तुति तथा निर्देशों के क्रम में प्रकरण 'सचिव समिति' की बैठक दिनांक 09.10.2026 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था।

9- 'सचिव समिति' की उपरोक्त बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किये गये उपरोक्त वर्णित विवरण से अवगत होते हुए 'सचिव समिति' द्वारा यह संज्ञान में लिया गया कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़े जाने हेतु लिंक एक्सप्रेसवे को छोड़ कर अन्य सभी पैकेजवार परियोजनाओं में न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव अनुमानित लागत से 0.26% से लेकर 4.00% के मध्य कम धनराशि के प्राप्त हुये हैं जबकि एकमात्र आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़े जाने हेतु लिंक एक्सप्रेसवे में न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव अनुमानित लागत से 5.00% अधिक धनराशि का प्राप्त हुआ है।

10- एक ही शेड्यूल ऑफ रेट्स (Schedule of Rates) पर गठित अन्य परियोजनाओं की प्राप्त निविदाओं की L-1 Bids की तुलना में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़े जाने हेतु लिंक एक्सप्रेसवे की L-1 Bid Estimated Project Cost as per RFP से अधिक होने के कारण 'सचिव समिति' को L-1 Bidder से निगोशिएशन की आवश्यकता प्रतीत हुई। तदक्रम में यूपीडा द्वारा अवगत कराया गया कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़े जाने हेतु लिंक एक्सप्रेसवे के लिये न्यूनतम निविदाकर्ता यथा मेसर्स दिनेशचन्द्रा आर अग्रवाल इन्फ्राकॉन प्राईवेट लिमिटेड से 'निगोशिएट' किया गया, जिसके क्रम में निविदाकर्ता द्वारा अपनी न्यूनतम निविदा मूल्य को घटाते हुये रुपये 2860.66 करोड़ का पुनरीक्षित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है जो कि अनुमानित लागत से 0.145 प्रतिशत कम है।

11- उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत 'सचिव समिति' द्वारा सर्व-सहमति से (1) फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे (पैकेज-I एवं पैकेज-II), (2) आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़े जाने हेतु लिंक एक्सप्रेसवे, (3) झांसी लिंक एक्सप्रेसवे (पैकेज-I एवं पैकेज-II) एवं (4) जेवर लिंक एक्सप्रेसवे (पैकेज-I एवं पैकेज-II) परियोजनाओं हेतु न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ताओं के चयन हेतु 'पी0पी0पी0 निविदा मूल्यांकन समिति' की बैठक दिनांक 28.09.2026 में प्रदान की गयी संस्तुति के क्रम में परियोजनाओं के

पैकेजवार न्यूनतम वित्तीय निविदायें प्रस्तुत करने वाले निम्नलिखित निर्माणकर्ताओं को चयनित किये जाने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद से अनुमोदन प्राप्त किये जाने की संस्तुति की गयी:-

संस्तुत निविदाकर्ताओं की तालिका

सं०	परियोजना पैकेज संख्या सहित	न्यूनतम निविदा प्रस्तुत करने वाले चयनित निविदाकर्ता का नाम	न्यूनतम निविदा (एल-1) की धनराशि (रु० करोड़)
1.	फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे (पैकेज-1)	मे० लिमिटेड लाईबिलिटी कम्पनी एलएलसी वोल्गाडोरस्ट्रॉय	1914.71
2.	फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे (पैकेज-11)	मे० एफको इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	2894.00
3.	आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़े जाने हेतु लिंक एक्सप्रेसवे	मे० दिनेशचन्द्रा आर अग्रवाल इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड	2860.68 (निगोशिएटेड न्यूनतम निविदा (एल-1) की धनराशि)
4.	झांसी लिंक एक्सप्रेसवे (पैकेज-1)	मे० एमकेसी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	2206.63
5.	झांसी लिंक एक्सप्रेसवे (पैकेज-11)	मे० लिमिटेड लाईबिलिटी कम्पनी एलएलसी वोल्गाडोरस्ट्रॉय	2702.48
6.	जेवर लिंक एक्सप्रेसवे (पैकेज-1)	मे० एफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	2086.53
7.	जेवर लिंक एक्सप्रेसवे (पैकेज-11)	मे० केसीसी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड	2041.71
योग			16,706.72

12- 'सचिव समिति' द्वारा विचार-विमर्शोपरान्त सर्व-सहमति से यह मत भी स्थिर किया गया कि चयनित किये जाने वाले निविदाकर्ताओं (एल-1) को 'लेटर ऑफ अवॉर्ड' जारी करने से पूर्व इस आशय का शपथ-पत्र ले लिया जाये कि अद्यतन तिथि तक निविदाकर्ता के पास निविदा अभिलेख में दिये गये मानक के अनुसार पर्याप्त अवशेष ब्रिड कैपासिटी उपलब्ध है।

निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराना है कि 'सचिव समिति' की उपरोक्तानुसार की गयी संस्तुति पर मा० मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु यूपीडा के पत्र दिनांक 10.10.2026 के माध्यम से प्रशासनिक विभाग यथा अवस्थापना विकास अनुभाग, उ० प्र० शासन से अनुरोध किया गया है।

निदेशक मण्डल हेतु प्रस्ताव:-

उपरोक्तानुसार 'पी०पी०पी० निविदा मूल्यांकन समिति' तथा 'सचिव समिति' द्वारा की गई संस्तुतियों से संज्ञानित होते हुए निदेशक मण्डल कृपया प्राधिकरण द्वारा ई०पी०सी० पद्धति पर विकसित की जा रही (1) फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे (पैकेज-1 एवं पैकेज-11), (2) आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़े जाने हेतु लिंक एक्सप्रेसवे, (3) झांसी लिंक एक्सप्रेसवे (पैकेज-1 एवं पैकेज-11) एवं (4) जेवर लिंक एक्सप्रेसवे (पैकेज-1 एवं पैकेज-11) परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के चयन सम्बन्धित की गयी समस्त कार्यवाही एवं न्यूनतम निविदाकर्ताओं के चयन हेतु उ० प्र० शासन से किये गये अनुरोध पर कार्यान्तर अनुमोदन प्रदान करना चाहें। कृपया निदेशक मण्डल के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर कार्यान्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-08

'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' पर टोल फीस एकत्र करने हेतु एजेंसी के चयन के संबंध में कार्यान्तर अनुमोदन हेतु

अवगत कराना है कि 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' पर स्थापित टोल प्लाजाओं के संचालन व रख-रखाव, टोल वसूली तथा 12 पैट्रोलिंग-कम-सेपटी वाहन (आवश्यक कार्मिकों सहित) उपलब्ध कराने हेतु कॉन्ट्रैक्टर चयनित किये जाने के लिये दिनांक 09.06.2026 को प्राधिकरण की 'नामित समिति' द्वारा अन्तिमीकृत एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित निविदा अभिलेख ई-टेंडर पोर्टल पर प्रकाशित कर निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। उक्त के क्रम में दिनांक 18.06.2026 को प्री-बिड मीटिंग आयोजित की गई थी तथा प्री-बिड बैठक में लिए गये निर्णयानुसार आवश्यक कोरिजेन्डम दिनांक 23.06.2026 को जारी किया गया था।

2- उपरोक्त निविदा जमा किये जाने की निर्धारित तिथि यथा दिनांक 13.07.2026 को ई-टेंडर पोर्टल पर 10 निविदाकर्ताओं की निविदाएं प्राप्त हुई थीं, जिन्हें निर्धारित तिथि 14.07.2026 को 'नामित समिति' के समक्ष ऑनलाइन खोला गया था। निम्नलिखित निविदाकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर निविदा जमा की गई थी:-

Sl. No. Name of the Bidders

1. M/s Skylark Infra Engineering Pvt. Ltd.
2. M/s Jaypee Infratech Limited and Lakshdeep Investment & Finance Pvt.

- Ltd.
3. M/s Ashmi Road Carries Pvt. Ltd.
 4. M/s Innovision Limited
 5. M/s Riddhi Siddhi Associates Joint Venture with Riddhi Siddhi Housing Pvt. Ltd.
 6. M/s Inderdeep Infra India Limited
 7. M/s Y. Meenakshi
 8. M/s Surya International Pvt. Ltd.
 9. M/s Highway Infrastructure Ltd.
 10. M/s B R Goyal Infrastructure Ltd.

3- उपरोक्त 10 निविदाकर्ताओं के तकनीकी प्रस्तावों के मूल्यांकनोपरान्त दिनांक 23.07.2026 को आहूत 'नामित समिति' की बैठक में तकनीकी रूप से अर्ह उक्त सभी 10 निविदाकर्ताओं के वित्तीय प्रस्तावों को खोला गया था जिसका विवरण निम्नवत् है:-

S.N.	Name of the Bidder	Total Bid Amount to be paid by the Bidder to the Authority for the First Year of Contract (Inclusive of all Taxes including GST and Service Charges, if any)	Bid Rank
1	B R GOYAL INFRASTRUCTURE LIMITED (BID ID -6247818)	Rs. 179,78,27,575.00 (Rupees One Hundred Seventy Nine Crore Seventy Eight Lakh Twenty Seven Thousand Five Hundred Seventy Five only)	H-1
2	Innovision Limited (BID ID -6237006)	Rs. 179,65,29,635.00 (Rupees One Hundred Seventy-Nine Crore Sixty Five Lakh Twenty Nine Thousand Six Hundred Thirty Five only)	H-2
3	Inderdeep Infra India Ltd (BID ID - 6241281)	Rs. 162,18,68,999.00 (Rupees One Hundred Sixty Two Crore Eighteen Lakhs Sixty Eight Thousand Nine Hundred Ninety Nine only)	H-3
4	Consortium of Jaypee Infratech Limited and Lakshdeep Investment and Finance Private Limited (Lead Member) (BID ID - 6238504)	Rs. 160,00,00,000.00 (Rupees One Hundred Sixty Crore only)	H-4
5	Riddhi Siddhi Associates (BID ID -6250010)	Rs. 153,72,72,000.00 (Rupees One Hundred Fifty Three Crore Seventy Two Lakhs Seventy Two Thousand only)	H-5
6	ASHMI ROAD CARRIERS PRIVATE LIMITED (BID ID -6238091)	Rs. 145,26,20,926.00 (Rupees One Hundred Forty Five Crore Twenty Six Lakh Twenty Thousand Nine Hundred Twenty Six only)	H-6
7	Y. Meenakshi (BID ID -6240057)	Rs. 144,45,99,999.00 (Rupees One Hundred Forty Four Crore Forty Five Lakh Ninety Nine Thousand Nine Hundred Ninety Nine only)	H-7
8	HIGHWAY INFRASTRUCTURE LIMITED (BID ID -6236784)	Rs. 141,77,77,777.00 (Rupees One Hundred Forty One Crore Seventy Seven Lakh Seventy Seven Thousand Seven Hundred Seventy Seven only)	H-8
9	Skylark Infra Engineering Pvt Ltd (BID ID - 6249738)	Rs. 134,94,77,777.00 (Rupees One Hundred Thirty Four Crore Ninety Four Lakh Seventy Seven Thousand Seven Hundred Seventy Seven only)	H-9
10	SURYA INTERNATIONAL PVT LTD (BID ID - 6247616)	Rs. 134,36,01,500.00 (Rupees One Hundred Thirty Four Crore Thirty Six Lakh One Thousand Five Hundred only)	H-10

4- उपरोक्तानुसार 'नामित समिति' द्वारा उच्चतम वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता M/s B R Goyal Infrastructure Limited को चयनित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गई थी। तदनुसार M/s B R Goyal Infrastructure Limited को दिनांक 28.07.2026 को 'लेटर ऑफ एवॉर्ड' निर्गत किया गया था तथा दिनांक 13.08.2026 को उनके साथ अनुबन्ध निष्पादित किया गया था। उक्त संस्था द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली का कार्य दिनांक 20.08.2026 से प्रारम्भ किया जा चुका है।

निदेशक मण्डल हेतु प्रस्ताव:-

उपरोक्तानुसार प्राधिकरण द्वारा कृत कार्यवाही एवं 'नामित समिति' द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में निदेशक मण्डल कृपया 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' पर स्थापित टोल प्लाजाओं के संचालन व रख-रखाव, टोल वसूली तथा 12 पैट्रोलिंग-कम-सेपटी वाहन (आवश्यक कार्मिकों सहित) उपलब्ध कराने हेतु ई-टेंडर पोर्टल पर जारी किये गये आर0एफ0क्यू0-कम-आर0एफ0पी0 अभिलेख एवं निविदाकर्ता के चयन सम्बन्धित की गयी समस्त कार्यवाही पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करते हुए उपरोक्तानुसार उच्चतम वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता M/s B R Goyal Infrastructure Limited के चयन पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करना चाहें। कृपया निदेशक मण्डल के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-09

'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' पर ई0पी0सी0 मोड के अन्तर्गत चार(04) वे-साइड एमेनिटीज-(1).BE-1 बांदा RHS (Ch.-070+500), (2). BE-2 हमीरपुर RHS (Ch.-128+500), (3).BE-3 जालौन RHS (Ch.-179+050), (4).BE-4 जालौन LHS (Ch.-244+325) विकसित किये जाने हेतु आंतरिक अवसंरचना का विकास पांच (05) वर्षों की समवर्ती अवधि के लिए डी0एल0पी0 (DLP) तथा O&M सहित विकासकर्ता के चयन के संबंध में कार्योत्तर अनुमोदन हेतु

अवगत कराना है कि 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' पर ई0पी0सी0 मोड के अन्तर्गत चार वे-साइड एमेनिटीज [BE-1 बांदा RHS (Ch.-070+500), BE-2 हमीरपुर RHS (Ch.-128+500), BE-3 जालौन RHS (Ch.-179+050), BE-4 जालौन LHS (Ch.-244+325)] विकसित किये जाने हेतु आंतरिक अवसंरचना का विकास पांच (05) वर्षों की समवर्ती अवधि के लिए डी0एल0पी0 (DLP) तथा O&M सहित विकासकर्ता को चयनित किये जाने के लिये दिनांक 12.03.2026 को प्राधिकरण की 'नामित समिति' द्वारा अन्तिमीकृत एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित निविदा अभिलेख ई-टेंडर पोर्टल पर दिनांक 12.03.2026 को प्रकाशित कर निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। उक्त के क्रम में दिनांक 15.04.2026 को प्री-बिड मीटिंग आयोजित की गई थी तथा प्री-बिड बैठक में लिए गये निर्णयानुसार आवश्यक स्पष्टीकरण एवं संशोधन दिनांक 25.05.2026 को जारी किये गये थे।

2- उपरोक्त निविदा जमा किये जाने की निर्धारित तिथि यथा दिनांक 16.06.2026 को ई-टेंडर पोर्टल पर 03 निविदाकर्ताओं की निविदायें प्राप्त हुई थीं, जिन्हें निर्धारित तिथि 17.06.2026 को 'नामित समिति' के समक्ष ऑनलाइन खोला गया था। निम्नलिखित निविदाकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर निविदा जमा की गई थी:-

Sl. No.	Name of the Bidders
1.	M/s NG Gadhiya
2.	M/s RCC Developers Pvt. Ltd.
3.	M/s G.S. Express Pvt. Ltd.

3- उपरोक्त 03 निविदाकर्ताओं के तकनीकी प्रस्तावों के मूल्यांकनोपरान्त दिनांक 23.07.2026 को आहूत 'नामित समिति' की बैठक में तकनीकी रूप से अर्ह उक्त सभी 03 निविदाकर्ताओं के वित्तीय प्रस्तावों को खोला गया था जिसका विवरण निम्नवत् है:-

S.N.	Name of the Bidder	Bid Amount	Bid Rank
1	M/s RCC Developers Pvt. Ltd.	Rs. 97,50,00,000.00	L-1
2	M/s G.S. Express Pvt. Ltd.	Rs. 102,00,00,000.00	L-2
3	M/s NG Gadhiya	Rs. 102,06,00,000.00	L-3

4- उपरोक्तानुसार 'नामित समिति' की बैठक दिनांक 17.06.2026 को न्यूनतम वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता M/s RCC Developers Pvt. Ltd. को चयनित करने की संस्तुति प्रदान की गई थी। तदनुसार M/s RCC Developers Pvt. Ltd. को दिनांक 07.09.2026 को लेटर ऑफ एवॉर्ड जारी कर दिया गया है तथा उनके साथ अनुबन्ध निष्पादित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

निदेशक मण्डल हेतु प्रस्ताव:-

उपरोक्तानुसार प्राधिकरण द्वारा कृत कार्यवाही, 'नामित समिति' द्वारा की गई संस्तुति तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा महोदय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में निदेशक मण्डल कृपया 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' पर ई0पी0सी0 मोड के अन्तर्गत चार वे-साइड एमेनिटीज [BE-1 बांदा RHS (Ch.-070+500), BE-2 हमीरपुर RHS (Ch.-128+500), BE-3 जालौन RHS (Ch.-179+050), BE-4 जालौन LHS (Ch.-244+325)] विकसित किये जाने हेतु आंतरिक अवसंरचना का विकास पांच (05) वर्षों की समवर्ती अवधि के लिए डी0एल0पी0 (DLP) तथा

O&M सहित विकासकर्ता के चयन सम्बन्धित की गयी समस्त कार्यवाही तथा उपरोक्तानुसार तकनीकी रूप से अर्ह न्यूनतम वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता M/s RCC Developers Pvt. Ltd. के चयन पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करना चाहें। कृपया निदेशक मण्डल के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-10

यूपीडा की एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए कंसोर्टियम बैंक ऋण से सम्बन्धित ब्याज एवं ऋण के पुनर्भुगतान के सत्यापन (वेरीफिकेशन)/संवीक्षा (स्कूटनी) हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म के चयन के संबंध में अनुमोदनार्थ

अवगत कराना है कि यूपीडा की एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए कंसोर्टियम बैंक ऋण से सम्बन्धित ब्याज एवं ऋण के पुनर्भुगतान के सत्यापन (वेरीफिकेशन)/संवीक्षा (स्कूटनी) हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म को चयनित किये जाने के लिये निविदा अभिलेख को ई-टेंडर पोर्टल पर दिनांक 12.08.2026 को प्रकाशित कर निविदाएं आमंत्रित की गई थीं।

2- उपरोक्त निविदा जमा किये जाने की निर्धारित तिथि यथा दिनांक 29.06.2026 को ई-टेंडर पोर्टल पर 04 निविदाकर्ताओं की निविदाएं प्राप्त हुई थीं, जिन्हें निर्धारित तिथि 30.06.2026 को 'नामित समिति' के समक्ष ऑनलाइन खोला गया था। निम्नलिखित निविदाकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर निविदा जमा की गई थी:-

- M/s Anurag Bhaiyaa & Associates
- M/s HCO & CO. Chartered Accountants
- M/s Agarwal & Saxena
- M/s P.S.M.G. and Associates

3- उपरोक्त 04 निविदाकर्ताओं के तकनीकी प्रस्तावों के मूल्यांकनोपरान्त दिनांक 22.09.2026 को आहूत 'नामित समिति' की बैठक में 02 निविदाकर्ताओं के तकनीकी प्रस्तावों को अयोग्य ठहराते हुए शेष 02 तकनीकी रूप से अर्ह निविदाकर्ताओं के वित्तीय प्रस्तावों को खोला गया था जिसका विवरण निम्नवत् है:-

Sl. No.	Name of the Bidder	Cost of Lump-sum Professional Fee for all the items specified in the 'Scope of Work' (inclusive of all Taxes excluding GST)	Ranking
1.	M/s HCO & CO. Chartered Accountants	3,90,000.00	L-1
2.	M/s Agarwal & Saxena	9,00,000.00	L-2

4- उपरोक्तानुसार 'नामित समिति' द्वारा न्यूनतम वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता M/s HCO & CO. Chartered Accountants को चयनित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गई थी। तदनुसार M/s HCO & CO. Chartered Accountants को दिनांक 15.10.2026 को लेटर ऑफ एवॉर्ड निर्गत किया जा चुका है तथा चयनित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म से अनुबन्ध निष्पादित कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अनुबन्ध निष्पादित किये जाने के उपरान्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

निदेशक मण्डल हेतु प्रस्ताव:-

उपरोक्तानुसार प्राधिकरण द्वारा कृत कार्यवाही, 'नामित समिति' द्वारा की गई संस्तुति तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा महोदय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में निदेशक मण्डल कृपया यूपीडा की एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए कंसोर्टियम बैंक ऋण से सम्बन्धित ब्याज एवं ऋण के पुनर्भुगतान के सत्यापन (वेरीफिकेशन)/संवीक्षा (स्कूटनी) हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म के चयन सम्बन्धित की गयी समस्त कार्यवाही तथा उपरोक्तानुसार तकनीकी रूप से अर्ह न्यूनतम वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता M/s HCO & CO. Chartered Accountants के चयन पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करना चाहें। कृपया निदेशक मण्डल के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-11

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर टोल फीस एकत्र करने हेतु एजेंसी के चयन के संबंध में अनुमोदन हेतु

अवगत कराना है कि 'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे' पर स्थापित टोल प्लाजाओं के संचालन व रख-रखाव, टोल वसूली तथा 04 पैट्रोलिंग-कम-सेपटी वाहन (आवश्यक कार्मिकों सहित) उपलब्ध कराने हेतु कॉन्ट्रैक्टर चयनित किये जाने के लिये प्राधिकरण की 'नामित समिति' द्वारा अन्तिमीकृत एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित निविदा अभिलेख को दिनांक 20.06.2026 को ई-टेंडर पोर्टल पर प्रकाशित कर निविदाएं

आमंत्रित की गई थी। उक्त के क्रम में दिनांक 30.06.2026 को प्री-बिड मीटिंग आयोजित की गई थी तथा प्री-बिड बैठक में लिए गये निर्णयानुसार आवश्यक कोरिजेंडम दिनांक 06.07.2026 को जारी किया गया था।

2- उपरोक्त निविदा जमा किये जाने की निर्धारित तिथि यथा दिनांक 04.08.2026 को ई-टेंडर पोर्टल पर 14 निविदाकर्ताओं की निविदायें प्राप्त हुई थीं, जिन्हें निर्धारित तिथि 05.08.2026 को 'नामित समिति' के समक्ष ऑनलाइन खोला गया था। निम्नलिखित निविदाकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर निविदा जमा की गई थी:-

Sl. No.	Name of the Bidders
1	M/s Skylark Infra Engineering Pvt. Ltd.
2	M/s Lakshdeep Investments and Finance Pvt. Ltd. (Lead Member) and M/s Jaypee Infratech Ltd. (Consortium)
3	M/s Ashmi Road Carriers Pvt. Ltd.
4	M/s Innovision Ltd.
5	M/s Coral Associates (Lead Member) and M/s Riddhi Siddhi Housing Pvt. Ltd. (Consortium)
6	M/s Inderdeep Infra India Ltd.
7	M/s Y. Meenakshi
8	M/s Surya International Pvt. Ltd. (Lead Member) and M/s Balaji Enterprises (Consortium)
9	M/s Highway Infrastructure Ltd.
10	M/s Surendra Kumar Shukla Prop. SS Multiservices
11	M/s Huzoor Multi Projects Ltd.
12	M/s Ashirwad Smart Infralink Pvt. Ltd.
13	M/s Max-Link
14	M/s Sahkar Global Ltd.

3- उपरोक्त 14 निविदाकर्ताओं के तकनीकी प्रस्तावों के मूल्यांकन को अंतिमीकृत किये जाने हेतु आहूत 'नामित समिति' की बैठक दिनांक 24.08.2026 में लिये गये निर्णय के अनुसार M/s Sahkar Global Ltd. के तकनीकी प्रस्ताव को निरस्त करते हुए शेष 13 निविदाकर्ताओं को तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया। तत्पश्चात, दिनांक 31.08.2026 को आहूत 'नामित समिति' की बैठक में तकनीकी रूप से अर्ह उक्त सभी 13 निविदाकर्ताओं के वित्तीय प्रस्तावों को खोला गया था जिसका विवरण निम्नवत् है:-

Sl. No.	Name of Bidders	Total bid Amount to be paid by the bidder to the Authority for the First year of contract (Inclusive of all Taxes Including GST and Service Chargers, if Any)	Bid Rank
1.	M/s Highway Infrastructure Ltd.	Rs. 105,07,77,777.00 (Rupees One Hundred Five Crore Seven Lakhs Seventy-Seven Thousand Seven Hundred Seventy-Seven only)	H-1
2.	M/s Inderdeep Infra India Ltd.	Rs. 102,41,99,999 (Rupees One Hundred Two Crore Forty-One Lakhs Ninety-Nine Thousand Nine Hundred Ninety-Nine only)	H-2
3.	M/s Coral Associates (Lead Member) and M/s Riddhi Siddhi Housing Pvt. Ltd. (Consortium)	Rs. 96,00,00,000.00 (Rupees Ninety-Six Crore only)	H-3
4.	M/s Surya International Pvt. Ltd. (Lead Member) and M/s Balaji Enterprises (Consortium)	Rs. 95,88,18,500.00 (Rupees Ninety-Five Crore Eighty-Eight Lakhs Eighteen Thousand Five Hundred Only)	H-4
5.	M/s Lakshdeep Investments and Finance Pvt. Ltd. (Lead Member) and M/s Jaypee Infratech Ltd. (Consortium)	Rs. 95,05,00,000.00 (Rupees Ninety-Five Crore Five Lakhs only)	H-5
6.	M/s Y. Meenakshi	Rs. 91,79,91,999.00 (Rupees Ninety-One Crore Seventy-Nine Lakhs Ninety-One Thousand Nine Hundred Ninety-Nine only)	H-6
7.	M/s Ashmi Road Carriers Pvt. Ltd.	Rs. 91,26,93,085.00 (Rupees Ninety-One Crore Twenty-Six Lakhs Ninety-Three Thousand Eighty-Five only)	H-7
8.	M/s Skylark Infra Engineering Pvt. Ltd.	Rs. 90,47,77,777 (Rupees Ninety Crore Forty-Seven Lakhs Seventy-Seven Thousand Seven Hundred Seventy-Seven only)	H-8
9.	M/s Surendra Kumar Shukla Prop. SS Multiservices	Rs. 88,92,98,000.00 (Rupees Eighty-Eight Crore Ninety-Two Lakhs Ninety-Eight Thousand only)	H-9
10.	M/s Innovision Ltd.	Rs. 88,03,79,635.00 (Rupees Eighty-Eight Crore Three Lakhs	H-10

		Seventy-Nine Thousand Six Hundred Thirty-Five only)	
11.	M/s Huzoor Multi Projects Ltd.	Rs.87,60,00,000.00 (Rupees Eighty-Seven Crore Sixty Lakhs only)	H-11
12.	M/s Ashirwad Smart Infralink Pvt. Ltd.	Rs.82,16,14,635.00 (Rupees Eighty-Two Crore Sixteen Lakhs Fourteen Thousand Six Hundred Thirty-Five only)	H-12
13.	M/s Max-Link	Rs.81,18,99,999.00 (Rupees Eighty-One Crore Eighteen Lakhs Ninety-Nine Thousand Nine Hundred Ninety-Nine only)	H-13

4- उपरोक्तानुसार 'नामित समिति' द्वारा उच्चतम वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता M/s Highway Infrastructure Ltd. को चयनित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गई थी। तदनुसार M/s Highway Infrastructure Ltd. को दिनांक 16.09.2026 को लेटर ऑफ एवॉर्ड निर्गत किया गया था तथा दिनांक 29.09.2026 को उनके साथ अनुबन्ध निष्पादित किया गया था। उक्त संस्था द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली का कार्य दिनांक 01.10.2026 से प्रारम्भ किया जा चुका है।

निदेशक मण्डल हेतु प्रस्ताव:-

उपरोक्तानुसार प्राधिकरण द्वारा कृत कार्यवाही एवं 'नामित समिति' द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में निदेशक मण्डल कृपया 'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे' पर स्थापित टोल प्लाजाओं के संचालन व रख-रखाव, टोल वसूली तथा 04 पैट्रोलिंग-कम-सेफ्टी वाहन (आवश्यक कार्मिकों सहित) उपलब्ध कराने हेतु ई-टेंडर पोर्टल पर जारी किये गये आर0एफ0क्यू0-कम-आर0एफ0पी0 अभिलेख एवं निविदाकर्ता के चयन सम्बन्धित की गयी समस्त कार्यवाही तथा उपरोक्तानुसार उच्चतम वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता M/s Highway Infrastructure Ltd. के चयन पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करना चाहें। कृपया निदेशक मण्डल के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-12

यूपीडा के वित्तीय वर्ष 2026-27 के लेखा परीक्षण हेतु आंतरिक सम्परीक्षक के कार्य के लिये चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म के चयन के संबंध में अनुमोदन हेतु.

अवगत कराना है कि यूपीडा के वित्तीय वर्ष 2026-27 के लेखा परीक्षण हेतु आंतरिक सम्परीक्षक के कार्य के लिये चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म को चयनित किये जाने के लिये के लिये निविदा अभिलेख को ई-टेंडर पोर्टल पर दिनांक 19.05.2026 को प्रकाशित कर निविदाएं आमंत्रित की गई थीं।

2- उपरोक्त निविदा जमा किये जाने की निर्धारित तिथि यथा दिनांक 04.06.2026 को ई-टेंडर पोर्टल पर 05 निविदाकर्ताओं की निविदायें प्राप्त हुई थीं, जिन्हें निर्धारित तिथि 05.06.2026 को 'नामित समिति' के समक्ष ऑनलाइन खोला गया था। निम्नलिखित निविदाकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर निविदा जमा की गई थी:-

- M/s GRANDMARK AND ASSOCIATES
- M/s PSMG and Associates
- M/s S. SRIVASTAVA & CO.
- M/s S.N. KAPUR AND ASSOCIATES
- M/s Rao & Emmar

3- उपरोक्त 05 निविदाकर्ताओं के तकनीकी प्रस्तावों के मूल्यांकनोपरान्त दिनांक 24.07.2026 को आहूत 'नामित समिति' की बैठक में 02 निविदाकर्ताओं के तकनीकी प्रस्तावों को अयोग्य ठहराते हुए शेष 03 तकनीकी रूप से अर्ह निविदाकर्ताओं के वित्तीय प्रस्तावों को खोला गया था जिसका विवरण निम्नवत् है:-

Sl. No.	Name of the Bidder	Marks obtained in Technical Evaluation (out of 100)	Cost of consolidated Professional Fee for all the items specified in the 'Scope of Work' (Inclusive of all Taxes but excluding GST)	Ranking
1.	M/s GRANDMARK AND ASSOCIATES	100	3,50,000.00	L-1
2.	M/s S. SRIVASTAVA & CO.	99	3,50,000.00	L-1
3.	M/s Rao & Emmar	92	12,00,000.00	L-2

4- उपरोक्तानुसार 'नामित समिति' द्वारा न्यूनतम वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता M/s GRANDMARK AND ASSOCIATES एवं M/s S. SRIVASTAVA & CO. में से M/s GRANDMARK AND ASSOCIATES को तकनीकी प्रस्ताव के मूल्यांकन में अधिक अंक प्राप्त किये जाने के कारण चयनित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गई तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था। तदनुसार M/s GRANDMARK AND ASSOCIATES को दिनांक 04.08.2026 को लेटर ऑफ एवॉर्ड जारी कर दिनांक 18.08.2026 को उनके साथ अनुबन्ध निष्पादित किया गया था। M/s GRANDMARK AND ASSOCIATES द्वारा अनुबंध के अनुसार कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

निदेशक मण्डल हेतु प्रस्ताव:-

उपरोक्तानुसार प्राधिकरण द्वारा कृत कार्यवाही, 'नामित समिति' द्वारा की गई संस्तुति तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा महोदय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में निदेशक मण्डल कृपया यूपीडा के वित्तीय वर्ष 2026-27 के लेखा परीक्षण हेतु आंतरिक सम्परीक्षक के कार्य हेतु चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के चयन के लिये ई-टेंडर पोर्टल पर जारी किये गये निविदा अभिलेख एवं निविदाकर्ता के चयन सम्बन्धित की गयी समस्त कार्यवाही तथा उपरोक्तानुसार तकनीकी रूप से अर्ह न्यूनतम वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता M/s GRANDMARK AND ASSOCIATES के चयन पर कार्यान्तर अनुमोदन प्रदान करना चाहें। कृपया निदेशक मण्डल के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर कार्यान्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-13

‘पूर्वांचल एक्सप्रेसवे’ पर ई0पी0सी0 मोड पर (i) चार वे-साइड एमेनिटीज- (1).PE-1 बाराबंकी LHS (Ch.-019+150), (2).PE-2 अमेठी RHS (Ch.-63+00), (3).PE-3 सुल्तानपुर LHS (Ch.-108+300), (4).PE-4 सुल्तानपुर RHS (Ch.-144+300) एवं (ii) चार वे-साइड एमेनिटीज- (1).PE-5 आजमगढ़ LHS (Ch.-19+600), (2).PE-6 आजमगढ़, RHS (Ch.-230+900), (3).PE-7 मऊ LHS (Ch.-266+800), (4).PE-8 गाजीपुर RHS (Ch.-310+450) कुल 08 वे-साइड एमेनिटीज को विकसित किये जाने हेतु आंतरिक अवसंरचना का विकास पांच (05) वर्षों की समवर्ती अवधि के लिए डी0एल0पी0 (DLP) तथा O&M सहित विकासकर्ता के चयन के संबंध में अनुमोदन

अवगत कराना है कि ‘पूर्वांचल एक्सप्रेसवे’ पर ई0पी0सी0 मोड के अन्तर्गत (i) चार वे-साइड एमेनिटीज [PE-1 बाराबंकी LHS (Ch.-019+150), PE-2 अमेठी RHS (Ch.-63+00), PE-3 सुल्तानपुर LHS (Ch.-108+300), PE-4 सुल्तानपुर RHS (Ch.-144+300)] एवं (ii) चार वे-साइड एमेनिटीज [PE-5 आजमगढ़ LHS (Ch.-19+600), PE-6 आजमगढ़, RHS (Ch.-230+900), PE-7 मऊ LHS (Ch.-266+800), PE-8 गाजीपुर RHS (Ch.-310+450)] कुल 08 वे-साइड एमेनिटीज को विकसित किये जाने हेतु आंतरिक अवसंरचना का विकास पांच (05) वर्षों की समवर्ती अवधि के लिए डी0एल0पी0 (DLP) तथा O&M सहित विकासकर्ता को चयनित किये जाने के लिये प्राधिकरण की 'नामित समिति' द्वारा अन्तिमीकृत एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित निविदा अभिलेख ई-टेंडर पोर्टल पर दिनांक 08.08.2026 को प्रकाशित कर निविदाएँ आमंत्रित की गई थीं। उक्त के क्रम में दिनांक 03.09.2026 को प्री-बिड मीटिंग आयोजित की गई थी तथा प्री-बिड बैठक में लिए गये निर्णयानुसार आवश्यक स्पष्टीकरण एवं संशोधन दिनांक 12.09.2026 को जारी किये गये थे।

2- उपरोक्त निविदा जमा किये जाने की निर्धारित तिथि यथा दिनांक 28.09.2026 को ई-टेंडर पोर्टल पर 07 निविदाकर्ताओं की निविदाएँ प्राप्त हुई थीं, जिन्हें निर्धारित तिथि 29.09.2026 को 'नामित समिति' के समक्ष ऑनलाइन खोला गया था। प्राप्त निविदाओं के तकनीकी मूल्यांकनोपरान्त निम्नानुसार 06 निविदाकर्ताओं को तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया:-

Sl. No.	Name of the Bidder	Qualification Status
Package-I, II, III & IV		
1.	M/s Vidya Infrabuilt Private Limited	Technically disqualified.
2.	M/s R & C Infraengineers Private Limited	Technically qualified for opening of financial proposal.
3.	M/s Vagmine Enterprises	Technically qualified for opening of financial proposal.
4.	M/s ASJ Infraprojects Private Limited (Formerly M/s A.S. Traders)	Technically qualified for opening of financial proposal.
Package- V, VI, VII & VIII		
1.	M/s R & C Infraengineers Private Limited	Technically qualified for opening of financial proposal.
2.	M/s ASJ Infraprojects Private Limited (Formerly M/s A.S. Traders)	Technically qualified for opening of financial proposal.

Sl. No.	Name of the Bidder	Qualification Status
Package-I,II,III & IV		
3.	M/s Vagmine Enterprises	Technically qualified for opening of financial proposal.

3- दिनांक 21.10.2026 को आहूत 'नामित समिति' की बैठक में तकनीकी रूप से अर्ह उक्त सभी 06 निविदाकर्ताओं के वित्तीय प्रस्तावों को ऑनलाइन खोला गया था, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

Sl. No.	WSA	Name of Bidder	Amount quoted by the bidder (Excluding GST as applicable, but inclusive of all other taxes, duties, charges, levies etc.)	Bid Rank
1.	'Way Side Amenities along Purvanchal Expressway at • PE-1 Barabanki LHS (Ch-019+150), • PE-2 Amethi RHS (Ch-63+00), • PE-3 Sultanpur LHS (Ch-108+300), • PE-4 Sultanpur RHS (Ch-144+300)	M/s Vagmine Enterprises (Bid ID: 6599314)	Rs. 106,00,97,500.00 (Rupees One Hundred Six Crore Ninety Seven Thousand Five Hundred only)	L-1
		M/s R & C Infraengineers Private Limited (Bid ID: 6592667)	Rs. 106,27,88,059.00 (Rupees One Hundred Six Crore Twenty Seven Lakhs Eighty Eight Thousand Fifty Nine only)	L-2
		M/s ASJ Infraprojects Private Limited (Formerly M/s A.S. Traders) (Bid ID: 6599833)	Rs. 106,54,78,661.00 (Rupees One Hundred Six Crore Fifty Four Lakhs Seventy Eight Thousand Six Hundred Sixty One only)	L-3
2.	'Way Side Amenities along Purvanchal Expressway at • PE-5 Azamgarh LHS (Ch-195+600), • PE-6 Azamgarh RHS (Ch-230+900), • PE-7 Mau LHS (Ch-266+800), • PE-8 Ghazipur RHS (Ch-310+450)	M/s ASJ Infraprojects Private Limited (Formerly M/s A.S. Traders) (Bid ID: 6594088)	Rs. 102,15,93,355.00 (Rupees One Hundred Two Crore Fifteen Lakhs Ninety Three Thousand Three Hundred Fifty Five only)	L-1
		M/s Vagmine Enterprises (Bid ID: 6599472)	Rs. 104,48,23,500.00 (Rupees One Hundred Four Crore Forty Eight Lakhs Twenty Three Thousand Five Hundred only)	L-2
		M/s R & C Infraengineers Private Limited (Bid ID: 6592670)	Rs. 104,74,75,276.00 (Rupees One Hundred Four Crore Seventy Four Lakhs Seventy Five Thousand Two Hundred Seventy Six only)	L-3

4- उपरोक्तानुसार 'नामित समिति' की बैठक दिनांक 21.10.2026 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के PE-1, PE-2, PE-3 एवं PE-4 स्थित वे-साइड एमेनिटीज के विकास हेतु न्यूनतम वित्तीय निविदा यथा Rs. 106,00,97,500.00 (Excluding GST as applicable, but inclusive of all other taxes, duties, charges, levies etc.) प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता M/s Vagmine Enterprises को तथा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के PE-5, PE-6, PE-7 एवं PE-8 स्थित वे-साइड एमेनिटीज के विकास हेतु न्यूनतम वित्तीय निविदा यथा Rs. 102,15,93,355.00 (Excluding GST as applicable, but inclusive of all other taxes, duties, charges, levies etc.) प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता M/s ASJ Infraprojects Private Limited (Formerly M/s A.S. Traders) को संचयित करने की संस्तुति प्रदान की गई। तदनुसार प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

निदेशक मण्डल हेतु प्रस्ताव:-

उपरोक्तानुसार प्राधिकरण द्वारा 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे' पर ई0पी0सी0 मोड के अन्तर्गत (i) चार वे-साइड एमेनिटीज [PE-1 बाराबंकी LHS (Ch.-019+150), PE-2 अमेठी RHS (Ch.-63+00), PE-3 सुल्तानपुर LHS (Ch.-108+300),

PE-4 सुल्तानपुर RHS (Ch.-144+300)] एवं (ii) चार वे-साइड एमेनिटीज [PE-5 आजमगढ़ LHS (Ch.-195+600), PE-6 आजमगढ़ RHS (Ch.-230+900), PE-7 मऊ LHS (Ch.-266+800), PE-8 गाजीपुर RHS (Ch.-310+450)] कुल 08 वे-साइड एमेनिटीज को विकसित किये जाने हेतु आंतरिक अवसंरचना का विकास पांच (05) वर्षों की समवर्ती अवधि के लिए डी0एल0पी0 (DLP) तथा O&M सहित विकासकर्ताओं के चयन सम्बन्धित की गयी कार्यवाही एवं नाभित समिति द्वारा संस्तुत न्यूनतम वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ताओं यथा M/s Vagmine Enterprises एवं M/s ASJ Infraprojects Private Limited (Formerly M/s A.S. Traders) के चयन हेतु अनुमोदन प्रदान करना चाहें। कृपया निदेशक मण्डल के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-14

प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को 06 लेन में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव संज्ञानार्थ एवं अनुमोदनार्थ

शासन के पत्रांक 1261/77-3-2025-1885433 दिनांक 28.07.2025 द्वारा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे (लम्बाई- 15.172 किमी0, 04 लेन-06 लेन विस्तारणीय) का विकास ई0पी0सी0 मोड पर किये जाने हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा पूँजीगत मदों हेतु मूल्यांकित लागत रू0 939.67 करोड़ की धनराशि पर अनुमोदन प्रदान किया गया था।

क. चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु निर्माणकर्ता के चयन के लिए आमंत्रित निविदाओं के निस्तारण के सम्बन्ध में पी0पी0पी0बी0ई0सी0 की दिनांक 18.06.2026 को सम्पन्न बैठक में प्राप्त निविदाओं को निरस्त करते हुए नई निविदायें आमंत्रित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

ख. उल्लेखनीय है कि चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माणकर्ता के चयन के लिए वर्ष 2024-25 की दरों के आधार पर ऑकलित प्रायोजना प्रस्ताव के सापेक्ष निविदायें आमंत्रित की गयी थी। वर्तमान में निर्माण सामग्रियों, विशेषकर बिटुमिन की दरों में काफी वृद्धि हो चुकी है, अतः अद्यतन दरों पर पुनरीक्षित आगणन गठित कर सक्षम स्तर अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् नई निविदायें आमंत्रित किया जाना समीचीन होगा।

ग. एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु नवीनतम कोड्स के आधार पर एवं यूपीडा द्वारा संचालित अन्य एक्सप्रेसवे के संचालन में आ रही समस्याओं के दृष्टिगत पूर्व अनुमोदित प्रायोजना प्रस्ताव के प्राविधानों में परिवर्तन किया जाना भी उचित प्रतीत होता है।

घ. उक्त के दृष्टिगत शासन से पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव हेतु प्रस्तावित प्राविधानों पर शासन से अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु निम्नवत् पत्र का आलेख तैयार किया गया है:

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे (लम्बाई- 15.172 किमी0, 04 लेन-06 लेन विस्तारणीय) का विकास ई0पी0सी0 मोड पर किये जाने हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा पूँजीगत मदों हेतु मूल्यांकित लागत रू0 939.67 करोड़ की धनराशि पर अनुमोदन प्रदान किया गया था।

2. उपरोक्त प्रकरण पर निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है:-

- व्यय वित्त समिति द्वारा रू0 939.67 करोड़ की लागत का अनुमोदन वर्ष 2024-25 में प्रचलित दरों के आधार पर किया गया था।
- वर्तमान में निर्माण सामग्रियों की दर में काफी वृद्धि हो चुकी है, विशेषकर बिटुमिन की दरों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। मोर्थ के पत्रांक एन0एच0 -24028/ 03/2026-एच0 दिनांक 25.04.2026 द्वारा बिटुमिन की दरों में निम्नवत् वृद्धि दर्शायी गयी है:

दिनांक	वी0जी040 की मथुरा रिफाइनरी पर दर (रू0 प्रति एम0टी0)
01.02.2026	48892
16.02.2026	48962
05.03.2026	51102
23.03.2026	53892
01.04.2026	69862
16.04.2026	82122

जबकि आगणन में वी0जी040 बिटुमिन की दर रू0 49882 प्रति एम0टी0 प्रयुक्त की गई है, अर्थात् लगभग 65: की वृद्धि हो चुकी है।

वैश्विक समस्या के कारण जीजल एवं पी0ओ0एल0 में वृद्धि होने के फलस्वरूप अन्य सामग्रियों की दरों में भी वृद्धि स्वाभाविक है।

- (III) निर्माण सामग्रियों में वृद्धि के फलस्वरूप अद्यतन दरों पर पुनरीक्षित आगणन का व्यय वित्त समिति से पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना समीचीन होगा ताकि नवीनतम दरों के आधार पर निविदा आमंत्रित करते हुए निर्माण कार्य की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सके।
3. पुनरीक्षित आगणन के गठन में निम्नलिखित प्राविधान प्रस्तावित हैं—
- (I) आई0आर0सी0 कोड एस0पी099-2023 में प्राविधानित है कि एक्सप्रेसवे की चौड़ाई 06 लेन होनी चाहिए। इससे कम लेन की चौड़ाई प्राविधानित किये जाने के लिए शर्त निर्धारित है कि डिजाइन लाइफ में क्षमता वृद्धि (अर्थात् अतिरिक्त लेन का प्राविधान) नहीं किया जायेगा।
- (II) चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे हेतु पूर्व में की गयी यातायात गणना के अनुसार संचालित वाहनों की संख्या में लगभग 7: वृद्धि प्रतिवर्ष औकलित की गयी है। अध्ययन में सम्भावित यातायात के आधार पर गणना की गई है, परन्तु यातायात के आँकड़े सुनिश्चित न होने के कारण चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण 06 लेन में किया जाना प्रस्तावित है।
- (III) पूर्व में गठित प्रायोजना प्रस्ताव में मीडियन की चौड़ाई 15 मी0 रखी गयी थी। एक्सप्रेसवे का निर्माण 06 लेन हेतु किये जाने की दशा में मीडियन की चौड़ाई 7.50 मी0 हो जायेगी एवं डिप्रेस्ड मीडियन के स्थान पर रेज्ड मीडियन का निर्माण प्रस्तावित है। आई0आर0सी0 कोड एस0पी099-2023 में प्राविधानित है कि रेज्ड मीडियन प्राविधानित किये जाने की दशा में मीडियन के दोनों ओर धाई बीम मेटल क्रैस बैरियर का प्राविधान अनिवार्य है, तदनुसार प्राविधान प्रस्तावित है।
- (IV) पूर्व गठित प्रायोजना प्रस्ताव में एक्सप्रेसवे के दोनों ओर बारबेड वॉयर फेंसिंग का प्राविधान किया गया था। यूपीडा द्वारा संचालित एक्सप्रेसवे, जिनमें बारबेड वॉयर फेंसिंग का प्राविधान किया गया है, पर लगातार चोरी, फेंसिंग काटे जाने, जानवरों का अनाधिकृत प्रवेश होने के कारण दुर्घटना की सम्भावना आदि घटनायें प्रकाश में आयी हैं। अतः एन0एच0ए0आई0 के प्रपत्र आर0डब्ल्यू0/एन0एच0-24036/27/2010-पी0पी0पी0 दिनांक 04.02.2019 द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार एक्सप्रेसवे के दोनों ओर बारबेड वॉयर फेंसिंग के स्थान पर आर0सी0सी0 बाउन्ड्री वाल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।
4. लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण 04 लेन के स्थान पर 06 लेन चौड़ाई में किये जाने की दशा में आवश्यक निर्माण कार्यों की मात्रा में लगभग 1.5 गुना वृद्धि होगी। अतः चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण पूर्ण किये जाने की अवधि 18 माह के स्थान पर 24 माह रखा जाना प्रस्तावित है।
5. पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव में वर्तमान में अद्यतन दरों के आधार पर लागत का पुनर्मूल्यांकन प्रस्तावित है।
6. व्यय वित्त समिति के अनुमोदन में प्रदत्त शर्त/प्रतिबन्ध संख्या-15 के क्रम में सड़क की चौड़ाई में वृद्धि के दृष्टिगत पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर व्यय वित्त समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।
7. एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु ई0पी0सी0 पद्धति पर निर्माणकर्ता के चयन के लिए यूपीडा द्वारा प्रस्तावित एवं स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन मॉडल बिड अभिलेखों का प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है।

परिवर्तित स्कोप के आधार पर विस्तृत प्रायोजना प्रस्ताव का शासन से दिनांक 13.07.2026 को अनुमोदन हुआ है। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए निविदा के माध्यम से ठेकेदार के चयन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

Sl. No.	Description	Package
1	Length	15.172 Km.
2	Revised Project Cost (Cr.) for 06 Lane	1008.67
3	Bid Cost (Cr.)	567.87

तदनुसार मा0 निदेशक मण्डल अवगत होना चाहें।

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर संज्ञान लेते हुये अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-15

प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड 06 लेन (08 लेन विस्तारणीय) झांसी लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण/विकास 106.300 किमी0 लम्बाई में किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु

उ०प्र० शासन के पत्रांक 1/860044/2025/77-3-2025 दिनांक 23.01.2025 द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे से प्रारम्भ होकर एन0एच0-44 को अम्बाबाई के निकट क्रास करते हुये कानपुर-झांसी मार्ग (एन0एच0-27) तक झांसी लिंक एक्सप्रेसवे का 118.9 किमी० लम्बाई (बीडा क्षेत्र में 13.8 कि०मी० लम्बाई सम्मिलित) में विकास किये जाने हेतु संरक्षण का अनुमोदन एवं संरक्षण के दोनों ओर औद्योगिक गलियारा विकसित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया था।

2. तत्पश्चात् बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) द्वारा अनुरोध किया गया कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे को बीडा क्षेत्र में लगभग 38 किमी० लम्बाई में भी विस्तारित कर दिया जाये।

3. बीडा द्वारा प्रस्तावित संरक्षण के अनुसार झांसी लिंक एक्सप्रेसवे को झांसी ग्वालियर मार्ग (एन०एच०-44) तक विस्तारित किये जाने हेतु 143.7 किमी० लम्बाई में चयनित परियोजना परामर्शी द्वारा तदनुसार सर्वेक्षण एवं अन्य आवश्यक कार्य कराये गये।

4. बीडा के पत्रांक 256/बीडा/नियोजन/एस०जे०ट्र०प्ला०रि०फा०/2024-25 दिनांक 19.02.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि बीडा क्षेत्र में 38 किमी० लम्बाई एवं 200 मी० आर०ओ०डब्ल्यू० में स्पाइन रोड का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। 200 मी० आर०ओ०डब्ल्यू० के अन्तर्गत 50 मी० फ्रंट ट्रैफिक मूवमेन्ट हेतु, 45 मी० पैसेन्जर ट्रैफिक मूवमेन्ट हेतु, 60 मी० रेल कौरीडोर (डी०एफ०सी०) एवं 45 मी० सोलर पैनल इन्सटॉलेशन का निर्माण प्रस्तावित है।

5. उपरोक्तानुसार मात्र 45 मी० चौड़ाई (पैसेन्जर ट्रैफिक मूवमेन्ट) में एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाना निर्धारित तकनीकी मानको एवं विशिष्टियों के अनुसार सम्भव नहीं है।

6. अतः झांसी लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे से प्रारम्भ होकर एन०एच०-44 पर अम्बाबाई के निकट तक कुल लम्बाई 106.3 किमी० लम्बाई में किया जाना प्रस्तावित है। दिनांक 12.01.2026 को मा० मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में झांसी लिंक एक्सप्रेसवे को बीडा क्षेत्र से जोड़ने हेतु इस संरक्षण पर सहमति व्यक्त की गई है।

7. झांसी लिंक एक्सप्रेसवे को "प्रवेश नियन्त्रित ग्रीनफील्ड 06 लेन (08 लेन विस्तारणीय)" एक्सप्रेसवे के रूप में 106.3 किमी० लम्बाई में विकसित किये जाने हेतु दिनांक 22.05.20226 को सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक में ₹ 7968.30 करोड़ की लागत पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। शासनादेश सं० 1/1348694/2026 दिनांक 01.06.2026 द्वारा झांसी लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण 02 पैकेज में (पैकेज-1 : 50 किमी० : ₹ 3676.32 करोड़ एवं पैकेज-2 : 56.30 किमी० : ₹ 4291.97 करोड़) किये जाने के लिए अग्रेतर कार्यवाही हेतु निर्देश निर्गत है।

उपरोक्तानुसार प्रवेश नियन्त्रित ग्रीनफील्ड 06 लेन (08 लेन में विस्तारणीय) झांसी लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण 106.300 किमी० लम्बाई तथा 110 मी० आर०ओ०डब्ल्यू० में किया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार निविदायें आमंत्रित कर अनुबन्ध गठन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

Sl. No.	Description	Pkg-I	Pkg-II	Total
1	Length	50 Km.	56.300 Km.	106.300 Km.
2	Project Cost (Cr.)	3676.32	4291.97	7968.30
3	Bid Cost (Cr.)	2262.28	2739.46	5001.74

तदनुसार मा० निदेशक मण्डल अवगत होना चाहें।

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-16

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के किमी० 290.700 पर ई०वी० चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए मिट्टी भराई के कार्य हेतु निर्गत वैरियेशन आर्डर के सम्बन्ध में अनुमोदन हेतु

- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के किमी० 290.700 पर ई०वी० चार्जिंग स्टेशन की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इस स्थल पर यूपीडा द्वारा मिट्टी भराई का कार्य किये जाने के उपरान्त स्थल ई०वी० चार्जिंग ऑपरेटर एजेन्सी को इण्डओवर कर दिया गया है।
- उक्त स्थल पर मिट्टी भराई का कार्य आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के अनुरक्षण ठेकेदार मे० बृजगोपाल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा०लि०-मे०एटलस कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा०लि०(जे०वी०) के अनुबन्ध पर वैरियेशन आर्डर के माध्यम से कराया गया है।
- इस कार्यालय के पत्रांक 4609/यूपीडा/18/3584/टे० दिनांक 19.11.2025 द्वारा उक्त कार्य हेतु वैरियेशन आर्डर निर्गत किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

S.No.	Change of Scope (Cos)/Variation post details recommended by Authority's Engineer		
	Reference	Brief Details of Work	Amount (Rs.)
1	2	3	4
	Letter No. SAICPL-Mar/UPEIDA/Agra-Luck Exp/2025-26/80 dated 01-11-2025	Earth Filling for EV Charging Station at Km. 290.700	26,59,300/-

अपेक्षित स्वीकृति/निर्णय:-आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के किमी0 290.700 पर ई0वी0 चार्जिंग की स्थापना के लिये मिट्टी भराई के कार्य हेतु निर्गत वैरिएशन आर्डर का अनुमोदन निवेदित है।

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-17

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर किये जा रहे एस0एम0ए0 के कार्य की निगरानी हेतु Automated and Intelligent Machine added Construction (AIMC) के Adoption हेतु वैरिएशन आर्डर पर मा0 निदेशक मण्डल के अनुमोदन के सम्बन्ध में

- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर किये जा रहे एस0एम0ए0 के कार्य की प्रभावी निगरानी हेतु Automated and Intelligent Machine added Construction (AIMC) के Adoption का कार्य आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के अनुरक्षण ठेकेदार मे0 बृजगोपाल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0-मे0एटलस कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0(जे0वी0) के अनुबन्ध पर वैरिएशन आर्डर के माध्यम से कराया जाना है।
- इस कार्यालय के पत्रांक 910/यूपीडा/18/3584/टो दिनांक 06.05.2026 द्वारा उक्त कार्य हेतु वैरिएशन आर्डर निर्गत किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

S.No.	Change of Scope (Cos)/Variation post details recommended by Authority's Engineer					
	Item	Qty.	Unit	Rate(Rs.)	Amount (Rs.)	Remark
1	Software Platform Access	12	Month	2,01,500.00	24,18,000.00	Monthly Services
2	Software License & Platform Setup (HSN/SAC:997331)	01	Lot	6,50,000.00	6,50,000.00	One Time Cost
3.	Monitoring Camera & Telematics Devices (Rental Basis) (HSN/SAC:997331)	29	Nos.	13,000.00	3,77,000.00	One Time Cost
	Total Cost (Excl. GST)				34,45,000.00	

अपेक्षित स्वीकृति/निर्णय:- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर किये जा रहे एस0एम0ए0 के कार्य की प्रभावी निगरानी हेतु Automated and Intelligent Machine added Construction (AIMC) के Adoption के कार्य हेतु निर्गत वैरिएशन आर्डर का अनुमोदन निवेदित है।

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-18

यूपीडा एवं आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज-2 एवं पैकेज-4 के ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर, मे0 एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 के मध्य प्रचलित आरबिट्रेशन प्रकरणों/कन्सिलियेशन की अद्यतन स्थिति से यूपीडा के मा0 निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराते हुये अनुमोदन के सम्बन्ध में

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज-2 एवं पैकेज-4 के ई0पी0सी0 कॉन्ट्रैक्टर मे0 एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 द्वारा पैकेज-2 एवं पैकेज-4 के कतिपय विवादों को लेकर यूपीडा के विरुद्ध अलग-अलग आरबिट्रेशन वाद संस्थित किये गये थे। इन वादों में मे0 एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 के क्लेम एवं यूपीडा के काउन्टर क्लेम का विवरण निम्नवत् है।

पैकज सं0	मे0 एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 के क्लेम्स का विवरण		यूपीडा के काउन्टर क्लेम का विवरण	
	क्लेम्स की संख्या	क्लेम की सकल लागत (रु० करोड़ में)	काउन्टर क्लेम की संख्या	काउन्टर क्लेम की सकल लागत (रु० करोड़ में)
2	14	358.71	01	480.27
4	11	235.37	01	502.03

कुल योग (रु० करोड़ में)	594.08	कुल योग (रु० करोड़ में)	982.30
----------------------------	--------	----------------------------	--------

उक्त दावों की अद्यतन स्थिति निम्नवत है।

पैकेज-2 के आरबिट्रेशन वाद की अद्यतन स्थिति- दिनांक 19.07.2026 को सुनवाई आदि की समस्त प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात आरबिट्रल ट्राईब्यूनल द्वारा आरबिट्रल अवार्ड रिजर्व कर लिया गया है।

पैकेज-4 के आरबिट्रेशन वाद की अद्यतन स्थिति- आरबिट्रल ट्राईब्यूनल द्वारा दिनांक 24.08.2026 को आरबिट्रल अवार्ड घोषित कर दिया गया है। आरबिट्रल ट्राईब्यूनल द्वारा मे० एफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० के सकल लागत रु० 235.37 करोड़ के दावों के सापेक्ष सकल लागत रु० 152.25 करोड़ अनुमन्य किये गये हैं, एवं यूपीडा के रु० 502.03 करोड़ लागत के काउन्टर क्लेम को अस्वीकार कर दिया गया है।

a. आरबिट्रल ट्राईब्यूनल द्वारा मे० एफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० के अनुमन्य किये गये दावों का विवरण निम्नवत है-

Claim No.	Claim Detail	Amount Claimed (Rs.)	Awarded Sum (Rs.)
1	Bonus	69,67,27,638/-	69,67,27,638/-
2	Acceleration Cost	57,80,30,565/-	Nil
3	Maintenance	18,88,15,078/-	18,88,15,078/-
4	Compensation	16,47,29,690/-	8,24,71,873/-
5	Wayside Amenities	24,78,86,753/-	24,78,86,753/-
6	Road Widening	14,15,44,410/-	14,15,44,410/-
7	Negative COS for Earthwork	8,54,03,829/-	8,54,03,829/-
8	Negative COS for Service Road	4,66,54,284/-	4,48,54,525/-
9	Price Adjustment	4,36,68,711/-	Nil
10	Financing charges	16,02,75,771/-	3,47,85,944/-
11	Extension of Time (EoT)	319 Days	Nil
	Total	235,37,36,729/-	152,24,90,050/-

- b. आरबिट्रल ट्राईब्यूनल द्वारा अनुमन्य धनराशि पर ब्याज भी निम्नवत देय घोषित किया गया है।
- c. Interest on the aforesaid sums up to the date of this Award shall be payable in accordance with the contractual provisions, at the SBI Base Rate plus 2%, calculated at quarterly rests, as determined under the respective claims, with effect from 01.05.2019, being 60 days from the date of submission of the Final Stage Payment Statement dated 27.03.2019, and shall continue until the date of this Award; and
- d. Post-award interest as determined by the Tribunal under Section [9] of this Award shall be paid on the Aggregate Sum (including principal + pre-award and pendente lite interest) at the rate of 12% per annum (simple interest).
- e. Vide Para 1893 of Section 9 the arbitral tribunal has determined the post award interest as simple interest at the rate of 12% per annum till the date of actual payment by Respondent (UPEIDA).
- f. बिन्दु 06 के अनुसार अनुमन्य दावों की धनराशि (रु० 152,24,90,050/-) पर दिनांक 01.05.2019 से दिनांक 24.08.2026 (अवार्ड की तिथि) तक देय ब्याज की धनराशि की रु० 183,24,90,461/- आती है जिसकी गणना संलग्न है।
- g. उपरोक्तानुसार दिनांक 24.08.2026 को ब्याज सहित अनुमन्य दावों की कुल धनराशि रु० (152,24,90,050, 183,24,90,461) अर्थात् रु० 335,49,80,511/- तहरती है।

मे० एफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० एवं यूपीडा के मध्य Dispute Resolution के अन्तर्गत Arbitration and Conciliation Act, 1996 Part-III के अनुसार निष्पादित Conciliation की अद्यतन स्थिति का विवरण-

अवगत कराना है कि, मे० एफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० एवं यूपीडा के मध्य समस्त विवादित प्रकरणों जिसमें आरबिट्रेशन में विचाराधीन सभी दावों के साथ साथ पैकेज-2 एवं 4 में रायल्टी एवं वेट की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप कारित अतिरिक्त लागत की प्रतिपूर्ति सम्बन्धी दावे भी सम्मिलित थे को Dispute Resolution के अन्तर्गत Arbitration and Conciliation Act, 1996 Part-III के अनुसार दिनांक 04.07.2024 से दिनांक 13.09.2024 तक Conciliation की प्रक्रिया निष्पादित की गई, जिसके क्रम में दिनांक 13.09.2024 को कॉन्ट्रैक्टर के Agreed and Dropped Claims तथा यूपीडा के Dropped Counter Claim को रिकॉर्ड करते हुए कन्सिलियेटर्स द्वारा कन्सिलियेशन का कार्यवृत्त निर्गत किया गया।

दोनों पक्षों में Agreed Claims की धनराशि पर कोई ब्याज न देने पर सहमति बनी।

कन्सिलियेटर्स द्वारा दोनों पक्षों की सहमति से दिनांक 13.09.2024 को निर्गत कार्यवृत्त में कॉन्ट्रैक्टर मे० एफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० के सकल धनराशि रु० 2,21,95,74,181/- के पैकजवार निम्नांकित क्लेम अनुमन्य पाये गये।

S. No.	Claim Description	Package 2		Package-4		Total Agreed Amount (Rs.)
		Amount Claimed (Rs.)	Amount Agreed (Rs.)	Amount Claimed (Rs.)	Amount Agreed (Rs.)	
A)	Claims not under consideration in Arbitration					
1	Claims under Change in Law due to increase in rate of Royalty of Earth	11,36,58,264	11,36,58,264	9,55,57,008	9,55,57,008	20,92,15,272
2	Claims under Change in Law due to increase in Rate of Royalty of Stone Aggregate, Stone Dust, Sand and Boulder	-	-	13,49,22,626	13,49,22,626	13,49,22,626
3	Claims under Change in Law due to increase in Rate of UPVAT	1,37,78,492	1,37,78,492	1,39,18,834	1,39,18,834	2,76,97,326
4	Sub Total A (1+2+3)	12,74,36,756	12,74,36,756	24,43,98,468	24,43,98,468	37,18,35,224
B)	Claims under consideration in Arbitration					
5	Payment on account of additional works executed at Wayside amenities complexes at Ch 98+500 and Ch 101+600 of the project expressway with interest and cost	24,06,34,640.99	19,59,78,170			19,59,78,170
6	Payment on account of additional works executed at Wayside amenities complexes at Ch 215+200 and Ch 224+400 of the project expressway with interest and cost			24,78,86,753	20,53,29,511	20,53,29,511
7	Additional payment for increase in scope of Rail Over Bridges (RoB) at Ch 67+600 and Ch 88+415 with interest and cost	137,23,63,955.00	1,35,64,31,276			1,35,64,31,276
8	Release of amount withheld owing to incorrect interpretation of the Authority's Engineer/Respondent on account of non-construction of 3 nos. minor bridges with interest and cost	9,00,00,000	9,00,00,000			9,00,00,000
9	Subtotal B (5+6+7+8)	1,70,29,98,595.99	1,64,24,09,446	24,78,86,753	20,53,29,511	1,84,77,38,957
10	Grand Total (A+B)	1,83,04,35,351.99	1,76,98,46,202	49,22,85,221	44,97,27,979	2,21,95,74,181

कन्सिलियेशन पर अपर महाधिवक्ता श्री अजीत कुमार सिंह तथा श्री अभिषेक द्विवेदी की राय प्राप्त की गई जिसके अनुसार कन्सिलियेशन यूपीडा के हित में था।

दिनांक 21.10.2024 को आयोजित यूपीडा निदेशक मण्डल की 89वीं बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। मा० सदस्यों द्वारा कन्सिलियेशन के कार्यवृत्त को अनुमोदित करते हुए शासन के माध्यम से मा० कैबिनेट की स्वीकृति उक्त प्राप्त किये जाने का निर्देश दिया गया।

मा० निदेशक मण्डल के उक्त निर्देश के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 4597/यूपीडा/17/491-VIII/टेक्निकल दिनांक 19.11.2024 को सभी आवश्यक अभिलेखों सहित प्रकरण शासन को मा० कैबिनेट के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाने के अनुरोध के साथ प्रेषित किया गया। इस सम्बन्ध में पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 6867/यूपीडा/17/491-VIII/टेक्निकल दिनांक 18.03.2025 को अनुस्मारक प्रेषित किया गया।

इस कार्यालय के पत्रांक 1796/यूपीडा/17/491-VIII/टेक्निकल दिनांक 07.07.2025 को शासन को मा० कैबिनेट के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाने के अनुरोध के साथ कैबिनेट नोट का आलेख प्रेषित किया गया।

कन्सिलियेशन सम्बन्धी उक्त प्रकरण शासन के विद्याराधीन है।

पैकेज-4 के आरबिट्रल अवार्ड दिनांक 24.08.2026 के दृष्टिगत अग्रिम कार्यवाही हेतु विभिन्न विकल्प विकल्प सं०-1

- 1) Arbitration and Conciliation Act, 1996 के सेक्शन 34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय में यूपीडा द्वारा आरबिट्रल अवार्ड प्राप्त किये जाने की तिथि (24.08.2026) से 03 माह के भीतर अर्थात् दिनांक 22.11.2026 तक उक्त आरबिट्रल अवार्ड के विरुद्ध याचिका दाखिल किया जाना।
- 2) उक्त आरबिट्रल अवार्ड के Enforcement को रोकने हेतु Arbitration and Conciliation Act, 1996 के सेक्शन 36 (2) के अन्तर्गत उक्त आरबिट्रल अवार्ड पर Stay हेतु याचिका दाखिल किया जाना। मा० न्यायालय द्वारा उक्त आरबिट्रल अवार्ड के Execution को Stay किये जाने की दशा में न्यायालय द्वारा Code of Civil Procedure-1908 के Order XXI के Rule 29 के अन्तर्गत Security मांगी जा सकती है। Code of Civil Procedure-1908 के Order XXI का Rule 29 निम्नवत् उद्धृत है।

29. Stay of execution pending suit between decree-holder and judgment-debtors.—Where a suit is pending in any Court against the holder of a decree of such Court² [or of a decree which is being executed by such Court, on the part of the person against whom the decree was passed, the Court may, on such terms as to security or otherwise, as it thinks fit, stay execution of the decree until the pending suit has been decided: ²[Provided that if the decree is one for payment of money, the Court shall, if it grants stay without requiring security, record its reasons for so doing.]

- 3) Arbitration and Conciliation Act, 1996 के सेक्शन 34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय द्वारा यूपीडा की आरबिट्रल अवार्ड के विरुद्ध दाखिल याचिका के अस्वीकार किये जाने की दशा में मा० उच्च न्यायालय में Arbitration and Conciliation Act, 1996 के सेक्शन 37 के अन्तर्गत अपील दाखिल किया जाना।
- 4) मा० उच्च न्यायालय में दाखिल अपील के अस्वीकार होने की दशा में मा० उच्चतम न्यायालय में स्पेशल अपील के अन्तर्गत याचिका दाखिल किया जाना।

अवगत कराना है कि पैकेज-4 के आरबिट्रल अवार्ड दिनांक 24.08.2026 के विरुद्ध Arbitration and Conciliation Act, 1996 के सेक्शन 34 के अन्तर्गत यूपीडा द्वारा मा० न्यायालय में याचिका दाखिल करने हेतु सीनियर एडवोकेट एवं अपर महाधिवक्ता श्री प्रीतीश कुमार, को आबद्ध किये जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

विकल्प सं०-2

यूपीडा एवं मे० एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० के मध्य उपरोक्त कन्सिलियेशन के अनुसार Dispute Resolution किया जाना। कन्सिलियेशन द्वारा Dispute Resolution किये जाने पर सभी विवाद हल किये जा सकेंगे जबकि Change in Law सम्बन्धी विवाद आर्बिट्रेशन की परिधि में न होने के कारण यह विवाद बने रहेंगे।

पैकेज-4 के आरबिट्रल अवार्ड एवं कन्सिलियेशन के अन्तर्गत अनुमन्य क्लेम्स की धनराशि का तुलनात्मक विवरण-

Comparative Statement for Package 4				
Claim No.	Claim Detail	Amount Claimed (Rs.)	Awarded Sum (Rs.) Vide Arbitral Order dated 24.08.2026	Sum agreed upon in Conciliation
(A) Claims under ambit of Arbitration				
1	Bonus	69,67,27,638/-	69,67,27,638/-	Nil
2	Acceleration Cost	57,80,30,565/-	Nil	Nil
3	Maintenance	18,88,15,078/-	18,88,15,078/-	Nil
4	Compensation	16,47,29,690/-	8,24,71,873/-	Nil
5	Wayside Amenities	24,78,86,753/-	24,78,86,753/-	20,53,29,511
6	Road Widening	14,15,44,410/-	14,15,44,410/-	Nil
7	Negative COS for Earthwork	8,54,03,829/-	8,54,03,829/-	Nil
8	Negative COS for Service Road	4,66,54,284/-	4,48,54,525/-	Nil
9	Price Adjustment	4,36,68,711/-	Nil	Nil
10	Financing charges	16,02,75,771/-	3,47,85,944/-	Nil

Comparative Statement for Package 4				
Claim No.	Claim Detail	Amount Claimed (Rs.)	Awarded Sum (Rs.) Vide Arbitral Order dated 24.08.2026	Sum agreed upon in Conciliation
11	Extension of Time (EoT)	319 Days	Nil	Nil
12	Sub Total (A)	235,37,36,729/-	152,24,90,050/-	20,53,29,511
(B) Claims not under Ambit of Arbitration				
13	Claims under Change in Law due to increase in rate of Royalty of Earth	9,55,57,008	-	9,55,57,008
14	Claims under Change in Law due to increase in Rate of Royalty of Stone Aggregate, Stone Dust, Sand and Boulder	13,49,22,626	-	13,49,22,626
15	Claims under Change in Law due to increase in Rate of UPVAT	1,39,18,834	-	1,39,18,834
16	Sub Total (B)	24,43,98,468		24,43,98,468
17	Amount of Interest Payable up to 24.08.2026		183,24,90,461	-
18	Grand Total	2,59,81,35,197	335,49,80,511	44,97,27,979

उपरोक्तानुसार, पैकेज-4 के आरबिट्रल अवार्ड के अनुसार अवार्ड की तिथि (24.08.2026) तक ही मय ब्याज की कुल धनराशि (रु० 335,49,80,511/-), विषयगत कन्सिलिएशन में मे० एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० के पैकेज-2 एवं पैकेज-4 Agreed Claims की सकल धनराशि रु० (पैकेज-2 में रु० 1,78,98,46,202/- एवं पैकेज-4 में रु० 44,97,27,979/-) अर्थात् कुल रु० 2,21,95,74,181 से कहीं अधिक है।

उपरोक्त के दृष्टिगत एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० के साथ कन्सिलिएशन किया जाना उचित प्रतीत होता है। कन्सिलिएशन किये जाने की दशा में यूपीडा द्वारा देय धनराशि की मात्रा आरबिट्रल अवार्ड के द्वारा घोषित धनराशि की मात्रा से बहुत कम है, साथ ही कन्सिलिएशन की धनराशि पर कोई ब्याज भी नहीं देय है। यह भी अवगत कराना है कि आरबिट्रल अवार्ड के द्वारा घोषित धनराशि पर ब्याज दिनांक 24.08.2026 तक ही है, विलम्ब की दशा में ब्याज की धनराशि लगातार बढ़ती रहेगी। इस कारण कन्सिलिएशन किया जाना औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है।

निदेशक मण्डल के निर्देश-उपरोक्त प्रस्ताव का बोर्ड द्वारा संज्ञान लिया गया तथा विचारोपशान्त यह उचित पाते हुए निर्देश दिए गए कि एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० के साथ पूर्व/गत कन्सिलिएशन के अनुसार कार्यवाही के सम्बन्ध में पुनः सहमति/विचार प्राप्त कर अगली बोर्ड बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

एजेण्डा बिन्दु सं.-19

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पैकेज-01 में टोल प्लाजा चेनेज 4+650 पर निर्मित 02 टॉयलेट ब्लॉक के कार्य हेतु निर्गत चेंज ऑफ स्कोप के सम्बन्ध में अनुमोदन हेतु

परियोजना पृष्ठभूमि:-

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, ग्राम जैतपुर (जनपद-गोरखपुर) एन.एच.-27 बाईपास से प्रारम्भ होकर जनपद सन्त कबीरनगर, अम्बेडकरनगर होते हुए ग्राम सलारपुर (जनपद-आजमगढ़) में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर समाप्त होता है। यह एक्सप्रेसवे पूर्णतः प्रवेश नियंत्रित 04 लेन एक्सप्रेसवे (06 लेन विस्तारणीय) है, जिसकी कुल लम्बाई 91.352 किमी० है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पैकेज-1 का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त दिनांक 19.06.2025 को मे० एफको इन्फ्राटेक प्रा० लि० को अन्तःकालीन पूर्णता प्रमाण-पत्र (Provisional Completion certificate) जारी किया जा चुका है तथा मे० डी.बी.एल. को पैकेज-2 हेतु दिनांक 19.06.2025 को पूर्णता प्रमाण-पत्र (Completion certificate) जारी किया जा चुका है। एक्सप्रेसवे के सिविल निर्माण कार्य हेतु निम्नवत अनुबन्ध गठित है:-

पैकेज संख्या	पैकेज का विवरण	अनुमानित लम्बाई (किमी० में)	अनुबन्ध की (करोड़ में)	कार्य प्रारम्भ का दिनांक	कार्यवाही संस्था का नाम
01	जैत गोरखपुर बाईपास (जनपद-गोरखपुर) से फुलवरिया (जनपद-अम्बेडकर नगर) (-किमी० 0+817 से किमी० 47+500)	48.317	1774.09	10.02.2020	एफको इन्फ्राटेक प्रा० लि०

02	कुलवरिया (जनवग-अम्बेडकर नगर) से सलारपुर (पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जनपद-आजमगढ़) (किमी० 47+500 से किमी० 90+535)	43.035	1250.01	19.06.2020	दिलीप बिल्डकॉन लि०
	योग	91.352	3024.10		

प्रस्ताव-

मा० निदेशक मण्डल की 95वीं बैठक में अनुमोदन हेतु निम्नलिखित चेंज ऑफ स्कोप आदेश प्रस्तुत है:-

COS order No.	CoS letter no & date	Brief details of Works	Amount (Rs.) Excluding GST and Labour cess Including
Package-I, Gorakhpur Link Expressway			
25	6457/UPEIDA/1717/Tech dt. 16.09.2026 (संलग्नक-1)	Construction of 02 Toilet blocks along the expressway on either side near Toll plaza at Ch. 4+650 of Gorakhpur Link Expressway.	1,84,04,770/-
		Total	1,84,04,770/-

प्रस्ताव का औचित्य-

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में कार्यस्थल की आवश्यकता एवं ई.पी.सी. कॉन्ट्रैक्टर के अनुरोध के क्रम में उपरोक्त कार्य (सी.ओ.एस. आर्डर नं०-25) कराया गया, जिसका प्राविधान अनुबन्ध में न होने के कारण सम्बन्धित ठेकेदार को अनुबन्ध के क्लॉज 13.2.1 के अन्तर्गत Change of Scope Notice निर्गत किया गया।

विषयगत कार्य का आगणन सम्बन्धित ई०पी०सी० ठेकेदार से प्राप्त होने के उपरान्त अथॉरिटी इंजीनियर द्वारा परीक्षण किया गया। अथॉरिटी इंजीनियर द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में यूपीडा द्वारा इस अतिरिक्त कार्य हेतु ई.पी.सी. अनुबन्ध के क्लॉज 13.2.4 के अन्तर्गत चेंज ऑफ स्कोप आदेश निर्गत किया गया।

वित्तीय प्रभाव:-

उपरोक्तानुसार निर्गत चेंज ऑफ स्कोप आदेश के कारण गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना की लागत में कुल रु० 1,84,04,770/- की वित्तीय वृद्धि होगी।

उपरोक्तानुसार निर्गत किये गये चेंज ऑफ स्कोप आर्डर पर मा० निदेशक मंडल का संज्ञान एवं अनुमोदन निवेदित है।

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-20 (A)

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में चेंज ऑफ स्कोप (Change of Scope) के अन्तर्गत नोटिस निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में

यूपीडा निदेशक मण्डल की 94वीं बोर्ड बैठक के उपरान्त गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनसामान्य की माँग व स्थल की आवश्यकता के दृष्टिगत निम्नवत् कार्यों के लिये कन्सेशनार्यस (ग्रुप-II एवं IV) को उनके कन्सेशन एग्रीमेन्ट के क्लॉज 16.2.1 के अन्तर्गत पी०आई०यू० एवं इंडिपेन्डेंट इंजीनियर की संस्तुति के उपरान्त यूपीडा द्वारा चेंज ऑफ स्कोप (COS) नोटिस निर्गत किये गये हैं, जो निम्नवत् है:-

GROUP-II

Notice Issued on 14.10.2026 (MBCB Structure)

Change Of Scope Notice-17 Under Article 16.2.1 of Concession Agreement vide Ref. No. 7326/UPEIDA/2593-II/Tech., Dated: 14 th October, 2026			
Unique COS-ID	COS	Chainage	Description of Works
1	2	3	4
--	Examination of the Alternative MBCB Design, Drawing and Specifications installed along Ganga Expressway.	--	In light of Concessionaire's request to Authority to allow the alternative design of MBCB already installed till date with the stipulation that now onwards the design mentioned in Fig. 10.15, SP-99, 2013 shall be followed, the issue being safety related, Authority vide letter no. 58/2593-Gr-II/UPEIDA/Tech., dtd.02.04.2026 referred the matter to CSRI.

			<p>CSIR vide letter no. CRRI/TES/40(2)/2026, dated 19.07.2026 has submitted a detailed report on the matter. In its conclusion, CSIR has concluded that the alternative design is supported by a crash test report issued by an internationally accredited testing agency, satisfying the requirements stipulated under clause 10.7.3.4 of IRC:SP99 (2023).</p> <p>In light of the CSIR report Authority consents to installed MBCB based on alternative design in group-II, Ganga Expressway.</p> <p>However, it is pertinent to note that the present case is not a discretionary Change of Scope initiated by the Authority, but a contingency on behalf of Concessionaire to install alternative design of MBCB without following the agreement mandated procedure of adherence to specifications.</p> <p>In light of above, the installed MBCB on alternative design of MBCB shall be treated under clause 16.6.1 (Reduction in Scope) with the stipulation that the entire savings on account of alternative design of MBCB shall be reimbursed by the concessionaire.</p> <p>Concessionaire is requested to submit the detailed estimate for difference in cost of installed alternatively designed MBCB and MBCB as per Fig.10.15, SP-99, 2013 to enable Authority to issue Change of Scope Order.</p>
--	--	--	--

GROUP-IV**Notice Issued on 27.08.2026 (01No. Structure)**

Change Of Scope Notice-23 Under Article 16.2.1 of Concession Agreement vide Ref. No. 5879/UPEIDA/2593-IV/Tech., Dated: 27 th August, 2026			
Unique COS-ID	COS	Chainage	Description of Works
1	2	3	4
42301	Modification of Loop & Ramps at Ch.600+457 merging with NH-19	600+457	<p>a) Construction of additional 100+75=175 (One Hundred Seventy Five) meters of Ramp/Loop length at 4 (four) locations i.e. 4x175=700m total.</p> <p>b) Widening of existing SVUP at NH chainage 663+662 over NH-19.</p> <p>c) A Box Culvert exists at NH-19 at Chainage 666+310, to be widened between Main carriageway and Service Road of NH-19.</p> <p>d) Dismantling of Trapezoidal drains constructed by NHAI and reconstruction of U-Type/Rectangular drains.</p> <p>e) A service road exists parallel to NH-19 within the right of way (RoW) of NHAI. Alongside this Service Road, one MS Pole Double Pole (DP) and three single MS Poles are currently existing. Shifting of this utility to ensure unobstructed construction activities.</p> <p>f) RCC retaining walls as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Loop-2 RCC Retaining wall in 110 (One Hundred Ten) meters. o Ramp-1 RCC Retaining wall in 100 (One Hundred) meters. <p>g) Shifting and re-installation of existing utilities, including lighting poles, signages, crash barriers, gantries etc.</p> <p>h) Rework (Dismantling and Installation) of tasks already completed as per Noc given by NHAI in June-2023</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Kerb ii. Road Signage Shifting iii. Electric Poles for Street light iv. Road Marking v. Metal Beam Crash Barrier

वित्तीय प्रभाव- वर्तमान प्रस्ताव में गत बोर्ड बैठक के पश्चात निर्गत चेन्ज ऑफ स्कोप के नोटिस सम्मिलित हैं। इसके पश्चात कन्सेशनार्यर्स द्वारा कार्य का आगमन गठित करना होगा, जिसका इंडिपेन्डेंट इंजीनियर द्वारा परीक्षण करने के उपरान्त अथॉरिटी द्वारा व्यय भार आकलित किये जाने के पश्चात निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।

औचित्य एवं विश्लेषण— कन्सेशन अनुबन्ध के प्रस्तर 16.1.1 में व्यवस्था दी गयी है—

The Authority may, Notwithstanding anything to the contrary contained in this Agreement, require the provision of additional works and service which are not included in the Scope of the project as contemplated by this Agreement ("Change of Scope") Any such Change of Scope shall be made in accordance with the provisions of this Article 16 and the costs thereof shall be expended by the Concessionaire and reimbursed to it by the Authority in accordance with Clause 16.3.

तथा प्रस्तर 16.2.1 में व्यवस्था दी गयी है—

In the event of the Authority determining that a Change of Scope is necessary, it shall issue to the Concessionaire a notice specifying in reasonable detail the works and services contemplated thereunder (the "Change of Scope Notice").

उक्त व्यवस्थाओं के अनुपालन में सी0ओ0एस0 नोटिस निर्गत किये गये हैं।

निदेशक मण्डल से अनुमोदन निवेदित — कन्सेशन एग्रीमेन्ट के क्लॉज 16.2.1 के सापेक्ष उक्त चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) नोटिस दी गयी हैं। कन्सेशनायर्स द्वारा विस्तृत आगणन प्रस्तुत करने के उपरान्त, परीक्षण व स्वीकृति के पश्चात व्यय भार से निदेशक मण्डल को पुनः अवगत कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार चेन्ज ऑफ स्कोप के सम्बन्ध में संज्ञानार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्ताव सादर प्रस्तुत है।

उपरोक्तानुसार निर्गत चेन्ज ऑफ स्कोप नोटिस का निदेशक मण्डल द्वारा संज्ञान लेते हुए, अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-20 (B)

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में चेन्ज ऑफ स्कोप नोटिस (Change of Scope Notice) के पश्चात निर्गत किये गये चेन्ज ऑफ स्कोप आर्डर (Change of Scope Order) के अनुमोदन के सम्बन्ध में

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में चेन्ज ऑफ स्कोप नोटिस (सी0ओ0एस0) के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के लिये यूपीडा द्वारा चेन्ज ऑफ स्कोप आर्डर निर्गत किये गये हैं।

अवगत कराना है कि यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पी0पी0पी0 (डी0बी0एफ0ओ0टी0) पद्धति के अन्तर्गत किया गया है। इस प्रयोजन हेतु पूरी परियोजना को 04 ग्रुप में विभाजित करते हुए कन्सेशनायर्स के साथ कन्सेशन अनुबन्ध गठित कर निर्माण कार्य किया गया है।

- गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में आवश्यकतानुसार उन कार्यों के लिये, जो कि स्कोप ऑफ वर्क में सम्मिलित नहीं थे, कन्सेशन अनुबन्ध के आर्टिकल 16 के प्रस्तर 16.2.1 की व्यवस्था के अन्तर्गत समय-समय पर चेन्ज ऑफ स्कोप के नोटिस निर्गत किये गये थे, जिन्हें निदेशक मण्डल के संज्ञान में लाते हुये अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है।
- आर्टिकल 16 के प्रस्तर 16.2.2 के अन्तर्गत कन्सेशनायर्स द्वारा इन नोटिसेज की प्राप्ति के उपरान्त इनके निर्माण से परियोजना पर पड़ने वाले प्रभाव एवं कार्य सम्पादन की लागत का आंकलन प्रस्तुत करना होता है एवं तदुपरान्त इंडिपेन्डेंट इंजीनियर द्वारा परीक्षण एवं सत्यापन के बाद चेन्ज ऑफ स्कोप आर्डर निर्गत किये जाते हैं।
- उपरोक्त प्रस्तर i द्वारा उल्लिखित नोटिसेज के संदर्भ में प्रस्तर ii में वर्णित कार्यवाही पूर्ण हो जाने के उपरान्त ग्रुप-I, II एवं III हेतु विभिन्न कार्यों के लिये आर्टिकल 16 के प्रस्तर 16.2.3 एवं प्रस्तर 16.6.1 (Reduction in Scope) के अन्तर्गत निम्नानुसार चेन्ज ऑफ स्कोप आर्डर निर्गत किये गये हैं, जिनकी लागत निम्न तालिका में प्रदर्शित है—

GROUP-I

Order issued on 18.06.2026 (08 Nos. Structures)

Change Of Scope Order No.-12 Under Article 16.6.1 (Reduction in Scope) of Concession Agreement vide Ref. No. 1981/UPEIDA/2987-I/Tech., Dated: 18 th June, 2026							
Sl. No.	COS Unique-ID	COS Notice No.	COS Short Description	Chainage/P & P Chainage	COS Notice Letter No. & Date	Estimated Construction Cost	Estimated Maintenance Cost Per Annum
1	2	3	4	5	6	7	8
1	D-10401	COS-4	Desclope SR Culvert	09+323	3994/UPEIDA/2593-I/Tech., dated 19/9/2023	-31,78,342	0
2	D-10402	COS-4	Desclope SR Culvert	25+135	-do-	-30,01,507	0

3	D-10403	COS-4	Desclope SR Culvert	28+778	-do-	-28,69,937	0
4	D-10404	COS-4	Desclope SR Culvert	32+455	-do-	-27,76,587	0
5	D-10405	COS-4	Desclope SR Culvert	37+493	-do-	-29,14,966	0
6	D-10406	COS-4	Desclope SR Culvert both side SR	40+982	-do-	-53,50,937	0
7	D-10407	COS-4	Desclope SR Culvert	48+400	-do-	-31,08,331	0
8	D-10409	COS-4	Desclope SR Culvert	57+700	-do-	-33,96,896	0
Total =						-2,65,97,503	0

Note-1:- Amounts shown in column 7 above are -ve since it is a Reduction In Scope under article 16.6.1 of Concession Agreement.

Note-2:- As per clause 16.6.1 Concessionaire is required to pay Authority 80% of the estimated cost of items covered under Reduction in scope. Thus the amount payable by Concessionaire to Authority under this COS order (COS Order-12) shall be 80% of 2,65,97,503 = **2,12,78,002 (Rs. Two Crores, Twelve Lacs, Seventy Eight Thousand and two rupees).**

Note-3:- The amount payable from Concessionaire to Authority is proposed to be recovered from the next payment for Change of Scope to Concessionaire.

Order issued on 30.07.2026 (06No. Structures)

**Change Of Scope Order No.-13 Under Article 16.2.3 of Concession Agreement
vide Ref. No. 5035/UPEIDA/2987-I/Tech., Dated: 30 July, 2026**

Sl. No.	COS Unique-ID	COS Notice No.	COS Short Description	Chainage	COS Notice Letter No. & Date	Estimated Construction Cost	Estimated Maintenance Cost Per Annum
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10408	COS-4	Addl. SR & Toe Wall	08+600	3994/UPEIDA/2593-I/Tech., dated 19 th Sept., 2023	1,71,45,315	1,71,453
					GST@18%	30,86,157	30,862
2	10503	COS-4	Addl. SR+ addl. 1x2x2 Box Culvert	07+900	5767/UPEIDA/ 2593-I/Tech., dated 15 th Dec., 2023	2,91,96,493	2,91,965
					GST@18%	52,55,369	52,554
3	10508	COS-4	Additional SR	35+275	5767/UPEIDA/ 2593-I/Tech., dated 15 th Dec., 2023	1,53,06,485	1,53,065
					GST@18%	27,55,167	27,552
4	10509	COS-4	Additional SR	35+270	5767/UPEIDA/ 2593-I/Tech., dated 15 th Dec., 2023	2,64,84,460	2,64,845
					GST@18%	47,67,203	47,672
5	10510	COS-4	Additional SR	54+650	5767/UPEIDA/ 2593-I/Tech., dated 15 th Dec., 2023	93,50,699	93,507

					GST@18%	16,83,126	16,831
6	10902	COS-4	Addl. Service Road+ Widening of SR	22+810	2798/UPEIDA/ 2593-I/Tech., dated 13 th August, 2024	3,27,84,810	3,27,848
					GST@18%	59,01,266	59,013
					Grand Total (Excluding GST)=	13,02,68,262	13,02,683
					GST@18%	2,34,48,287	2,34,483
					Grand Total Including GST=	15,37,16,549	15,37,166
Note:-GST shall be payable as applicable.							

Order Issued on 13.08.2026 (24 Nos. Structures)

Change Of Scope Order No.-14 Under Article 16.6.1 (Reduction in Scope) of Concession Agreement vide Ref. No. 5423/UPEIDA/2987-I (TC)/Tech., Dated: 13 th August, 2026							
Sl. No.	COS Unique-ID	COS Notice No.	COS Short Description	Chainage/P&P Chainage	COS Notice Letter No. & Date	Estimated Construction Cost	Estimated Maintenance Cost Per Annum
1	2	3	4	5	6	7	8
1	D-10410	COS-4	Descope SR Culvert	77+928	3994/UPEIDA/ 2593-I/ Tech., dated 19/9/2023	-41,37,444	0
2	D-10411	COS-4	Descope SR Culvert	78+320	-do-	-1,02,19,482	0
3	D-10412	COS-4	Descope SR Culvert	80+163	-do-	-50,95,520	0
4	D-10413	COS-4	Descope SR Culvert	81+850	-do-	-94,36,925	0
5	D-10414	COS-4	Descope SR Culvert	83+765	-do-	-55,96,463	0
6	D-10415	COS-4	Descope SR Culvert both side SR	84+816	-do-	-52,21,366	0
7	D-10416	COS-4	Descope SR Culvert	95+095	-do-	-55,33,961	0
8	D-10417	COS-4	Descope SR Culvert	97+800	-do-	-23,65,913	0
9	D-10418	COS-4	Descope SR Culvert	98+624	-do-	-62,34,922	0
10	D-10419	COS-4	Descope SR Culvert	101+148	-do-	-53,02,625	0
11	D-10420	COS-4	Descope SR Culvert	103+705	-do-	-1,17,26,488	0
12	D-10421	COS-4	Descope SR Culvert	104+215	-do-	-59,38,558	0

13	D-10422	COS-4	Desclope SR Culvert	106+903	-do-	-49,96,705	0
14	D-10423	COS-4	Desclope SR Culvert	107+640	-do-	-1,05,01,057	0
15	D-10424	COS-4	Desclope SR Culvert	111+556	-do-	-1,30,97,806	0
16	D-10425	COS-4	Desclope SR Culvert	113+279	-do-	-72,32,972	0
17	D-10426	COS-4	Desclope SR Culvert	118+208	-do-	-55,95,261	0
18	D-10427	COS-4	Desclope SR Culvert	120+278	-do-	-56,64,014	0
19	D-10428	COS-4	Desclope SR Culvert	126+345	-do-	-1,18,64,165	0
20	D-10429	COS-4	Desclope SR Culvert	128+788	-do-	-58,59,131	0
21	D-10430	COS-4	Desclope SR Culvert	130+639	-do-	-53,80,355	0
22	D-10431	COS-4	Desclope SR Culvert	132+165	-do-	-57,76,612	0
23	D-10432	COS-4	Desclope SR Culvert	132+948	-do-	-56,91,896	0
24	D-10433	COS-4	Desclope SR Culvert	133+840	-do-	-54,79,629	0
Total =						-16,39,49,270	0

Note-1:- Amounts shown in column 7 above are -ve since it is a Reduction In Scope under article 16.6.1 of Concession Agreement.

Note-2:- As per clause 16.6.1 Concessionaire is required to pay Authority 80% of the estimated cost of items covered under Reduction in scope. Thus the amount payable by Concessionaire to Authority under this COS order (COS Order-14) shall be 80% of 16,39,49,270 = **13,11,59,416 (Rs. Thirteen Crores, Eleven Lacs, Fifty Nine Thousand Four Hundred and Sixteen rupees).**

Note-3:- The amount payable from Concessionaire to Authority is proposed to be **recovered from the next payment for Change of Scope to Concessionaire.**

GROUP-II

Order Issued on 30.06.2026 (01 No. Structure)

Cost of upgradation of Flyover to Half-Diamond Interchange at Chainage 207+484 approved under COS vide COS notice no.3

Change Of Scope Order No.-14 Under Article 16.2.3 of Concession Agreement vide Ref. No. 3247/UPEIDA/2987-Gr-II/Tech., Dated: 30 th June, 2026					
Sl. No.	COS-ID	Ch	Item	Cost forwarded by PIU (Without GST)	Cost as corrected at UPEIDA, HQ (Without GST)
1	2	3	4	5	6
1	20301	207+484	Construction Cost	60,23,63,516	61,92,77,710

The O&M Cost for this Interchange for the Concession period shall be as shown in table ahead **(Annexure-B).**

Order Issued on 18.08.2026 (01 No. Structure)

Change Of Scope Order No.-15 Under Article 16.2.3 of Concession Agreement vide Ref. No. 5569/UPEIDA/2987-Gr-II/Tech., Dated: 18 th August, 2026							
Sl. No.	COS Unique-ID	COS Notice No.	COS Short Description	Chainage	COS Notice Letter No. & Date	Estimated Construction Cost	Estimated Maint. Cost
1	2	3	4	5	6	7	8

1	21501	COS-15	a) Construction of Helipad, 150mx150m size near ELF-29 on RHS of ELF location. b) Construction of Chain Link Fencing from Ch.242+500 to Ch.247+500 (ELF Location) on both sides of ROW <i>In place of Scheduled fencing</i> (Sch. D, table sl. no. 21.7) <i>RCC/PSC</i> 2.10m high. c) C/a two ramps along apron as desired by IAF (Airforce Authority MOM dated 31.01.2025)	242+500 to Ch 247+500	4222/UPEIDA/2593-II/ Tech., dated 06 th Nov., 2025	11,52,50,115	0
					Add GST@18%	2,07,45,021	0
					Grand Total with 18% GST=	13,59,95,136	0
Note:-GST shall be payable as applicable.							

GROUP-III**Order Issued on 15.07.2026 (04No. Structures)**Change Of Scope Order No.-15 Under Article 16.2.3 of Concession Agreement vide Ref. No. 3623/UPEIDA/2987-Gr-III/Tech., Dated: 15th July, 2026

Sl. No.	COS Unique-ID	COS Notice No.	COS Short Description	Chainage/ P&P Chainage	COS Notice Letter No. & Date	Estimated Construction Cost	Estimated Maintenance Cost Per Annum
1	2	3	4	5	6	7	8
1	31601	COS-16	Construction of 1x1200 mm Hume Pipe Culvert, NP-4 in MCW & SR-LHS+RHS	443+845	1735/UPEIDA/2593-III/ Tech., dated 02/07/2025	19,12,888	0
					Add GST@18%	3,44,320	0
					Total=	22,57,208	0
2	31703	COS-17	Increase in size of LVUP at Ch.2+649 of Loop Interchange at Ch. 378+155 1x27.50m to 1x65.668m	378+154	2293/UPEIDA/2593-III/ Tech., dated 25/07/2025	2,98,12,455	0
					Add GST@18%	53,66,242	0
					Total=	3,51,78,697	0
3	30402	COS-04	Upgrade BC to PUP	307+600	690/UPEIDA/2593-III/ Tech., dated 2 nd May, 2024	2,15,35,853	0
					Add GST@18%	38,76,454	0
					Total=	2,54,12,307	0
4	30403	COS-04	Addl. 1x7mx3m PUP	330+450	-do-	2,77,66,319	0
					Add GST@18%	49,97,937	0

				Total=	3,27,64,256	0
				Grand Total=	8,10,27,515	0
				Add GST@18%	1,45,84,953	0
				Grand Total with 18% GST=	9,56,12,468	0
Note:- GST shall be payable as applicable.						

Order Issued on 12.10.2026 (01 No. Structure)

Cost of upgradation of Flyover to Half-Diamond Interchange at Chainage 351+311 approved under COS vide COS notice no.6

Change Of Scope Order No.-16 Under Article 16.2.3 of Concession Agreement vide Ref. No. 1221/UPEIDA/2987-Gr-III/Tech., Dated: 12 th October, 2026					
Sl. No.	COS-ID	Ch	Item	Cost forwarded by PIU (Without GST)	Cost as corrected at UPEIDA, HQ (Without GST)
1	2	3	4	5	6
1	30603	351+311	Construction Cost	82,34,97,789	77,93,55,706

Note: The Construction Cost includes Electrical connection charges Rs.1,30,000. However actual payment shall be made as per certified receipt from UPPCL.

The O&M Cost for this Interchange for the Concession period shall be as shown in table ahead (Annexure-C).

वित्तीय प्रभाव—वर्तमान प्रस्ताव में 94वीं बोर्ड बैठक के पश्चात अब तक निर्गत चेन्ज ऑफ स्कोप आर्डर सम्मिलित हैं। कन्सेशनार्यस द्वारा नोटिस प्राप्त होने के उपरान्त कार्यो का आगणन गठित किया गया, जिसका इंडिपेन्डेंट इंजीनियर द्वारा परीक्षण एवं सत्यापन करने के उपरान्त अथॉरिटी द्वारा चेन्ज ऑफ स्कोप के आर्डर निर्गत किये गये हैं एवं कार्यो की लागत निम्नानुसार है:-

युप सं०	लागत (रु०)	प्रोजेक्ट कॉस्ट का प्रतिशत	अनुसंधान लागत प्रतिवर्ष (रु०)
I	12,79,131	0.388	15,37,166
II	86,67,42,834	2.207	0.00
III	101,52,52,201	2.794	0.00
IV	0.00	0.00	0.00
कुल योग	188,32,74,166		15,37,166

अब तक निर्गत चेन्ज ऑफ स्कोप आर्डर के अनुसार कार्यो की कुल लागत निम्नानुसार है:-

युप सं०	94वीं बोर्ड बैठक तक लागत (रु०)	95वीं बोर्ड बैठक में लागत (रु०)	अब तक कुल लागत (रु०)	अब तक प्रोजेक्ट कॉस्ट का प्रतिशत
I	377,97,92,429	12,79,131	378,10,71,560	11.479
II	363,65,91,811	86,67,42,834	450,33,34,645	11.465
III	269,29,10,775	101,52,52,201	370,81,62,976	10.204
IV	138,01,36,137	0.00	138,01,36,137	3.912
कुल योग	1148,94,31,152	188,32,74,166	1337,27,05,318	

औचित्य एवं विश्लेषण— कन्सेशन अनुबन्ध के प्रस्तर 16.2.2 में व्यवस्था दी गयी है:-

Upon receipt of a Change of Scope Notice, the Concessionaire shall, with due diligence, provide to the Authority such information as is necessary, together with preliminary Documentation in support of:

(b) the options for implementing the proposed Change of Scope and the effect, if any, each such option would have on the costs and time thereof, including a detailed breakdown by work classifications specifying the material and labour costs calculated in accordance with the schedule of rates applicable to the works assigned by the Authority to its contractors, along with the proposed premium/discount on such rates; provided that the cost incurred by the Concessionaire in providing such information shall be reimbursed by the Authority to the extent such cost is certified by the Independent Engineer as reasonable.

तथा प्रस्तर 16.2.3 में व्यवस्था दी गयी है—

Upon receipt of information set forth in Clause 16.2.2, if the Authority decides to proceed with the Change of Scope, it shall convey its preferred option to the Concessionaire, and the Parties shall, with assistance of the Independent Engineer, thereupon make good faith efforts to agree upon the time and costs for implementation thereof. Upon reaching an agreement, the Authority shall issue an order (the "Change of Scope Order") requiring the Concessionaire to proceed with the performance thereof. In the event that the Parties are unable to agree, the Authority may, by issuing a Change of Scope Order, require the Concessionaire to proceed with the performance thereof pending resolution of the Dispute, or carry out the works in accordance with Clause 16.5.

उक्त व्यवस्थाओं के अनुपालन में चेन्ज ऑफ स्कोप आर्डर निर्गत किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार निर्गत चेन्ज ऑफ स्कोप नोटिस एवं चेन्ज ऑफ स्कोप आर्डर को निदेशक मण्डल के संज्ञान में लाते हुए अनुमोदन निवेदित है।

उपरोक्तानुसार निर्गत चेन्ज ऑफ स्कोप आर्डर का निदेशक मण्डल द्वारा संज्ञान लेते हुए, अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-21

परियोजनाओं को समयबद्धरूप से पूर्ण किये जाने हेतु यूपीडा में संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा विस्तार का कार्योत्तर अनुमोदन

1. संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा विस्तार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना:-

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर कार्यरत निम्नवत् अधिकारियों/कर्मचारियों का प्राधिकरण के कार्यहित में सेवाओं की सम्बन्धित कार्मिकों की यूपीडा में आवश्यकता आकलन के उपरान्त सम्बन्धित के पर्यवेक्षक अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त सेवा विस्तार किया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की 95 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27.10.2026 में प्राप्त किया जाना है:-

क्र० सं०	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	पूर्व नियुक्ति समाप्त की तिथि	सेवा विस्तार अवधि	सेवाविस्तार की अन्तिम तिथि	यूपीडा के कार्यालय आदेश संख्या/तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	श्री विश्वजीत राय,	मुख्य महाप्रबन्धक (बैंकिंग)	15.06.2026	(06 माह)	15.12.2026	1867 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 जून, 2026
2	श्री अरुण कुमार कपूर,	सलाहकार (वित्तीय संस्थाएं)।	31.05.2026	(06 माह)	31.11.2026	1867 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 जून, 2026
3	श्री दिनेश चन्द्र सक्सेना,	प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)।	30.06.2026	(06 माह)	30.12.2026	1867 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 जून, 2026
4	श्री अशोक कुमार,	प्रबन्धक (विद्युत)।	11.07.2026	(06 माह)	11.01.2027	1867 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 जून, 2026
5	श्री अंकित नरसिंह,	सहायक प्रबन्धक (वित्त)।	25.06.2026	(06 माह)	25.12.2026	1867 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 जून, 2026
6	श्री चन्द्र कुमार संगवान्,	सहायक प्रबन्धक (ऑडिट)।	23.06.2026	(06 माह)	23.12.2026	1867 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 जून, 2026
7	श्री मंगरू गुप्ता,	अवर अभियन्ता।	11.07.2026	(06 माह)	11.01.2027	1867 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 जून, 2026
8	श्री हशमतुल्लाह सिद्दीकी,	सहायक प्रबन्धक।	19.05.2026	(06 माह)	19.11.2026	1867 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 जून, 2026
9	श्रीमती ऋचा मिश्रा,	सलाहकार वित्त।	09.06.2026	(06 माह)	09.12.2026	1867 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 जून, 2026
10	श्री दिनेश कुमार गुप्ता,	लेखाकार कम कैशियर।	02.06.2026	(06 माह)	02.12.2026	1867 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 जून, 2026
11	श्री राजीव सिन्हा,	प्रबन्धक (सिविल)।	20.06.2026	(06 माह)	20.12.2026	1867 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 जून, 2026
12	श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय,	सहायक प्रबन्धक (सिविल)।	02.06.2026	(06 माह)	02.12.2026	1867 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 जून, 2026
13	श्री श्याम सुन्दर चौधरी,	लेखाकार कम कैशियर।	11.06.2026	(06 माह)	11.12.2026	1867 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 जून, 2026

14	श्री हिरामन राम,	लेखाकार कम कैशियर।	18.05.2026	70 वर्ष पूर्ण तक	31.08.2026	1867 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 जून, 2026
15	श्री रमेश नाथ सिंह,	मुख्य सुरक्षा अधिकारी।	31.05.2026	(03 माह)	31.08.2026	1867 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 जून, 2026
16	श्री रमेश चन्द्र दुबे,	मुख्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रभारी कन्ट्रोल रूम।	31.05.2026	(03 माह)	31.08.2026	1867 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 जून, 2026
17	श्री प्रभात कुमार अवस्थी,	मुख्य सुरक्षा अधिकारी।	31.05.2026	(03 माह)	31.08.2026	1867 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 जून, 2026
18	श्री भरत यादव,	मुख्य सुरक्षा अधिकारी।	31.05.2026	(03 माह)	31.08.2026	1867 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 जून, 2026
19	श्री अनिल कुमार,	मुख्य सुरक्षा अधिकारी।	18.05.2026	(03 माह)	18.08.2026	1867 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 जून, 2026
20	श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,	सुरक्षा अधिकारी।	30.04.2026	70 वर्ष पूर्ण तक	20.07.2026	1867 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 जून, 2026
21	श्री राधामोहन द्विवेदी,	सुरक्षा अधिकारी।	04.06.2026	(03 माह)	04.09.2026	1867 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 जून, 2026
22	श्री राजेश कुमार सिंह,	सुरक्षा अधिकारी।	30.04.2026	(03 माह)	30.07.2026	1867 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 जून, 2026
23	श्री कृष्ण रवलप सिन्हा,	सुरक्षा अधिकारी।	30.04.2026	(03 माह)	30.07.2026	1867 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 जून, 2026
24	श्री राजेन्द्र सिंह द्वितीय,	सहायक सुरक्षा अधिकारी।	30.04.2026	(06 माह)	30.10.2026	1867 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 जून, 2026
25	श्री अली शेर खॉं,	सहायक सुरक्षा अधिकारी।	25.05.2026	(03 माह)	25.08.2026	1867 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 जून, 2026
26	श्री चन्द्र प्रकाश वर्मा,	सहायक सुरक्षा अधिकारी।	30.04.2026	(03 माह)	30.07.2026	1867 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 जून, 2026
27	श्री राजपाल सिंह यादव,	सहायक सुरक्षा अधिकारी।	30.04.2026	(03 माह)	30.07.2026	1867 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 जून, 2026
28	श्री बृजपाल सिंह कनौजिया,	सहायक सुरक्षा अधिकारी।	30.04.2026	(03 माह)	30.07.2026	1867 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 जून, 2026
29	श्री कल्लू सिंह,	सहायक सुरक्षा अधिकारी।	03.05.2026	(03 माह)	03.08.2026	1867 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 जून, 2026
30	श्री मान सिंह यादव,	सहायक सुरक्षा अधिकारी।	01.06.2026	(03 माह)	01.09.2026	1867 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 जून, 2026
31	श्री वकील सिंह राठी	सहायक सुरक्षा अधिकारी।	19.05.2026	(03 माह)	19.08.2026	1867 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 जून, 2026
32	श्री रियाज अहमद,	सहायक सुरक्षा अधिकारी।	30.04.2026	(03 माह)	30.07.2026	1867 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 जून, 2026
33	श्री राम किशोर,	सहायक सुरक्षा अधिकारी।	08.05.2026	(03 माह)	08.08.2026	1867 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 जून, 2026
34	श्री शिव प्रकाश तिवारी,	सहायक सुरक्षा अधिकारी।	26.05.2026	(03 माह)	26.08.2026	1867 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 जून, 2026
35	श्री अतुल अस्थाना,	वरिष्ठ प्रबन्धक (वन)।	03.07.2026	(06 माह)	03.01.2027	3297 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 02 जुलाई, 2026
36	श्री सियाराम नौर्य,	वरिष्ठ मू-अर्जन अधिकारी।	30.06.2026	(06 माह)	30.12.2026	3297 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 02 जुलाई, 2026
37	श्री भगवानदीन वर्मा,	मू-अर्जन अधिकारी।	09.07.2026	(06 माह)	09.01.2027	3297 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 02 जुलाई, 2026
38	श्री शम्स आजाद,	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	25.07.2026	(06 माह)	25.01.2027	3297 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 02 जुलाई, 2026
39	श्री रवीन्द्र शर्मा,	ड्राफ्टमैन।	07.07.2026	(06 माह)	07.01.2027	3297 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 02 जुलाई, 2026
40	श्री अभिमन्यु कुमार यादव,	लेखाकार कम कैशियर।	30.06.2026	(06 माह)	30.12.2026	3297 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 02 जुलाई, 2026

41	श्री प्रमोद कुमार सिंह,	लेखाकार कम कैशियर।	28.06.2026	(06 माह)	28.12.2026	3297 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 02 जुलाई, 2026
42	श्री ओम प्रकाश सिंह,	मुख्य सुरक्षा अधिकारी।	31.05.2026	(03 माह)	31.08.2026	3297 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 02 जुलाई, 2026
43	श्री विक्रमजीत सिंह,	मुख्य सुरक्षा अधिकारी।	29.06.2026	(06 माह)	29.12.2026	3297 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 02 जुलाई, 2026
44	श्री जियालाल,	मुख्य सुरक्षा अधिकारी।	12.06.2026	(06 माह)	12.12.2026	3297 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 02 जुलाई, 2026
45	श्री मनोहर सिंह,	सुरक्षा अधिकारी।	30.04.2026	(03 माह)	30.07.2026	3297 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 02 जुलाई, 2026
46	श्री राम विलास सिंह,	सुरक्षा अधिकारी।	30.04.2026	(03 माह)	30.07.2026	3297 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 02 जुलाई, 2026
47	श्री राम चरन,	सुरक्षा अधिकारी।	30.04.2026	(03 माह)	30.07.2026	3297 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 02 जुलाई, 2026
48	श्री प्रेम पाल सिंह,	सुरक्षा अधिकारी।	30.04.2026	(06 माह)	30.10.2026	3297 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 02 जुलाई, 2026
49	श्री रामपाल सिंह यादव,	सुरक्षा अधिकारी।	30.04.2026	(03 माह)	30.07.2026	3297 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 02 जुलाई, 2026
50	श्री चन्द्र नान सिंह,	सुरक्षा अधिकारी।	12.06.2026	(06 माह)	12.12.2026	3297 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 02 जुलाई, 2026
51	श्री राजेन्द्र प्रसाद कनौजिया,	सहायक सुरक्षा अधिकारी।	06.05.2026	(03 माह)	06.08.2026	3297 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 02 जुलाई, 2026
52	श्री सोबरन सिंह,	सहायक सुरक्षा अधिकारी।	30.04.2026	(03 माह)	30.07.2026	3297 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 02 जुलाई, 2026
53	श्री ओम प्रकाश सिंह,	सहायक सुरक्षा अधिकारी।	30.04.2026	(03 माह)	30.07.2026	3297 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 02 जुलाई, 2026
54	श्री फूल सिंह,	सहायक सुरक्षा अधिकारी।	13.05.2026	(03 माह)	13.08.2026	3297 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 02 जुलाई, 2026
55	श्री राम चन्द्र वर्मा,	सहायक सुरक्षा अधिकारी।	30.04.2026	(06 माह)	30.10.2026	3297 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 02 जुलाई, 2026
56	श्री शैलेन्द्र सिंह,	सहायक सुरक्षा अधिकारी।	30.04.2026	(03 माह)	30.07.2026	3297 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 02 जुलाई, 2026
57	श्री अनिल कुमार सिंह,	सहायक सुरक्षा अधिकारी।	30.04.2026	(03 माह)	30.07.2026	3297 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 02 जुलाई, 2026
58	श्री शमरेश सिंह,	सहायक सुरक्षा अधिकारी।	29.06.2026	(06 माह)	29.12.2026	3297 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 02 जुलाई, 2026
59	श्री राजेन्द्र सिंह, (प्रथम)	सहायक सुरक्षा अधिकारी।	30.04.2026	(03 माह)	30.07.2026	3297 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 02 जुलाई, 2026
60	श्री धीरेन्द्र कुमार शुक्ल,	सहायक सुरक्षा अधिकारी।	30.04.2026	(03 माह)	30.07.2026	3297 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 02 जुलाई, 2026
61	श्री सूर्य प्रकाश सिंह,	सहायक सुरक्षा अधिकारी।	12.06.2026	(06 माह)	12.12.2026	3297 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 02 जुलाई, 2026
62	श्री देवेन्द्र कुमार सिंह,	सहायक सुरक्षा अधिकारी।	12.06.2026	(06 माह)	12.12.2026	3297 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 02 जुलाई, 2026
63	श्री श्याम बिहारी सिंह,	सहायक सुरक्षा अधिकारी।	30.04.2026	(03 माह)	30.07.2026	3297 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 02 जुलाई, 2026
64	श्री अन्शुमान,	महाप्रबन्धक (विद्युत)।	11.07.2026	(06 माह)	11.01.2027	4031 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 28 जुलाई, 2026
65	श्री राजेश मोहन गुप्ता,	महाप्रबन्धक (सिविल)	19.08.2026	(06 माह)	19.02.2027	4031 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 28 जुलाई, 2026
66	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह,	प्रबन्धक (आडिट)	02.08.2026	(06 माह)	02.02.2027	4031 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 28 जुलाई, 2026
67	श्री लदय प्रताप सिंह,	सहायक प्रबन्धक (अधिष्ठान)।	01.08.2026	(06 माह)	01.02.2027	4031 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 28 जुलाई, 2026
68	श्री अवधेश कुमार,	सहायक प्रबन्धक (आडिट)	04.08.2026	(06 माह)	04.02.2027	4031 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 28 जुलाई, 2026
69	श्री वाई०के०शर्मा,	लेखाकार कम कैशियर	30.07.2026	(06 माह)	30.01.2027	4031 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 28 जुलाई, 2026
70	श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा,	प्रबन्धक (सिविल)	19.08.2026	(06 माह)	19.02.2027	4031 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०,

71	श्री प्रशान्त मिश्रा,	जनसम्पर्क अधिकारी	06.07.2026	(06 माह)	06.01.2027	दिनांक 28 जुलाई, 2026 4031/2570/यूपीडा/2022/अधि0,
72	श्री अपित अवस्थी,	मीडिया सहायक	07.07.2026	(06 माह)	07.01.2027	दिनांक 28 जुलाई, 2026 4031/2570/यूपीडा/2022/अधि0,
73	श्री आनन्देश्वर कुमार सिंह,	प्रबन्धक (सिविल)	11.07.2026	(06 माह)	11.01.2027	दिनांक 28 जुलाई, 2026 4031/2570/यूपीडा/2022/अधि0,
74	श्री अरविन्द्र कुमार पाण्डेय,	प्रबन्धक (सिविल)	11.07.2026	(06 माह)	11.01.2027	दिनांक 28 जुलाई, 2026 4031/2570/यूपीडा/2022/अधि0,
75	श्री प्रवीण कुमार,	सहा0 प्रबन्धक	11.07.2026	(06 माह)	11.01.2027	दिनांक 28 जुलाई, 2026 4031/2570/यूपीडा/2022/अधि0,
76	श्री यशपाल सिंह,	सहा0 प्रबन्धक (सिविल)	11.07.2026	(06 माह)	11.01.2027	दिनांक 28 जुलाई, 2026 4031/2570/यूपीडा/2022/अधि0,
77	श्री शरद मोहन मल्ल,	सहा0 प्रबन्धक	11.07.2026	(06 माह)	11.01.2027	दिनांक 28 जुलाई, 2026 4031/2570/यूपीडा/2022/अधि0,
78	श्री राजमणि यादव,	लेखाकार कम कैशियर	18.07.2026	(06 माह)	18.01.2027	दिनांक 28 जुलाई, 2026 4031/2570/यूपीडा/2022/अधि0,
79	श्री शशि कान्त मिश्रा,	सुरक्षा अधिकारी	30.08.2026	(06 माह)	30.12.2026	दिनांक 28 जुलाई, 2026 4031/2570/यूपीडा/2022/अधि0,
80	श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह	सुरक्षा अधिकारी	20.07.2026	(06 माह)	20.01.2027	दिनांक 28 जुलाई, 2026 4031/2570/यूपीडा/2022/अधि0,
81	श्री विजय नारायण तिवारी,	सुरक्षा अधिकारी	26.07.2026	(06 माह)	26.01.2027	दिनांक 28 जुलाई, 2026 4031/2570/यूपीडा/2022/अधि0,
82	श्री राजवीर सिंह,	सुरक्षा अधिकारी	29.07.2026	(06 माह)	29.01.2027	दिनांक 28 जुलाई, 2026 4031/2570/यूपीडा/2022/अधि0,
83	श्री जनमेद शर्मा,	सहा0 सुरक्षा अधिकारी	25.07.2026	(06 माह)	26.01.2027	दिनांक 28 जुलाई, 2026 4031/2570/यूपीडा/2022/अधि0,
84	श्री रमाकान्त सिंह यादव,	सहा0 सुरक्षा अधिकारी	12.08.2026	(06 माह)	12.12.2026	दिनांक 28 जुलाई, 2026 4031/2570/यूपीडा/2022/अधि0,
85	श्री कृष्ण देव सिंह,	सहा0 सुरक्षा अधिकारी	12.06.2026	(06 माह)	12.12.2026	दिनांक 28 जुलाई, 2026 4031/2570/यूपीडा/2022/अधि0,
86	श्री दीनदयाल राय,	सहा0 सुरक्षा अधिकारी	29.07.2026	(06 माह)	29.01.2027	दिनांक 28 जुलाई, 2026 4031/2570/यूपीडा/2022/अधि0,
87	श्री सतोष कुमार सिंह,	सहा0 सुरक्षा अधिकारी	29.07.2026	(06 माह)	29.01.2026	दिनांक 28 जुलाई, 2026 4031/2570/यूपीडा/2022/अधि0,
88	श्री अशोक कुमार मिश्रा,	सहा0 सुरक्षा अधिकारी	29.07.2026	(06 माह)	29.01.2027	दिनांक 28 जुलाई, 2026 4031/2570/यूपीडा/2022/अधि0,
89	श्री सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव,	मुख्य महाप्रबन्धक(सिविल)	29.07.2026	(06 माह)	29.01.2027	5390/2570/यूपीडा/2022/अधि0, दिनांक 12 अगस्त, 2026
90	श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव,	वरिष्ठ सलाहकार (प्रो0 सेल)	31.07.2026	(05 माह 03 दिन) 70 वर्ष पूर्ण	03.01.2027	5390/2570/यूपीडा/2022/अधि0, दिनांक 12 अगस्त, 2026
91	श्री वीरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,	वरिष्ठ भू-अर्जन अधिकारी	04.08.2026	(06 माह)	04.02.2027	5390/2570/यूपीडा/2022/अधि0, दिनांक 12 अगस्त, 2026
92	श्री नगेन्द्र शर्मा,	वरिष्ठ भू-अर्जन अधिकारी	18.08.2026	(06 माह)	18.02.2027	5390/2570/यूपीडा/2022/अधि0, दिनांक 12 अगस्त, 2026
93	मो0 सिकन्दर,	वरिष्ठ प्रबन्धक(पर्यावरण)	16.09.2026	(06 माह)	16.03.2027	5390/2570/यूपीडा/2022/अधि0, दिनांक 12 अगस्त, 2026
94	श्री रवि कुमार वर्मा,	सहा0 राजस्व अधिकारी	05.08.2026	(06 माह)	05.02.2027	5390/2570/यूपीडा/2022/अधि0, दिनांक 12 अगस्त, 2026
95	श्री कमरुद्दीन सिद्दीकी,	सहा0 राजस्व अधिकारी	05.08.2026	(06 माह)	05.02.2027	5390/2570/यूपीडा/2022/अधि0, दिनांक 12 अगस्त, 2026
96	श्री रवि कुमार,	वरिष्ठ सहायक (नजारत)	18.08.2026	(06 माह)	18.02.2027	5390/2570/यूपीडा/2022/अधि0, दिनांक 12 अगस्त, 2026
97	श्री अजय कुमार गुप्ता,	सहा0 प्रबन्धक(लेखा)	31.07.2026	(06 माह)	31.01.2027	5390/2570/यूपीडा/2022/अधि0, दिनांक 12 अगस्त, 2026
98	श्री अतुल कुमार पाण्डेय,	लेखाकार कम आडिटर	24.09.2026	(06 माह)	24.03.2027	5390/2570/यूपीडा/2022/अधि0, दिनांक 12 अगस्त, 2026
99	श्री उमा शंकर सिंह,	सहा0	25.07.2026	(06 माह)	25.01.2027	5390/2570/यूपीडा/2022/अधि0,

		प्रबन्धक(सिविल)				दिनांक 12 अगस्त, 2026
100	श्री अरविन्द कुमार राजपूत,	सहा० प्रबन्धक(सिविल)	19.08.2026	(06 माह)	19.02.2027	5390 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 अगस्त, 2026
101	श्री शंकर दयाल राम,	सहा० प्रबन्धक(सिविल)	02.09.2026	(06 माह)	02.03.2027	5390 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 अगस्त, 2026
102	श्री हरिशंकर सिंह,	लेखाकार कम कैशियर	30.07.2026	(06 माह)	30.01.2027	5390 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 अगस्त, 2026
103	श्री ऋषभ शर्मा, यूपीडा।	वाहन चालक राइडिंग क्वालिटी टेस्टिंग वाहन,	01.08.2026	(06 माह)	01.02.2027	5390 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 अगस्त, 2026
104	श्री अनिल कुमार,	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	18.08.2026	(03 माह)	18.11.2026	5390 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 अगस्त, 2026
105	श्री विजय कुमार सिंह,	मुख्य सुरक्षा अधिकारी-तृतीय	29.06.2026	(06 माह)	29.12.2026	5390 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 अगस्त, 2026
106	श्री भरत यादव,	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	31.08.2026	(03 माह)	30.11.2026	5390 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 अगस्त, 2026
107	श्री राधेश्याम सिंह,	सुरक्षा अधिकारी	14.07.2026	(06 माह)	14.01.2027	5390 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 अगस्त, 2026
108	श्री राजेश कुमार चन्देल,	सुरक्षा अधिकारी	30.07.2026	(03 माह)	30.10.2026	5390 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 अगस्त, 2026
109	श्री कपिल देव सिंह यादव,	सुरक्षा अधिकारी	30.04.2026	(03 माह)	30.07.2026	5390 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 अगस्त, 2026
110	श्री कृष्ण स्वरूप सिन्हा,	सुरक्षा अधिकारी	30.07.2026	(03 माह)	30.10.2026	5390 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 अगस्त, 2026
111	श्री राम विलास सिंह,	सुरक्षा अधिकारी	30.07.2026	(03 माह)	30.10.2026	5390 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 अगस्त, 2026
112	श्री राम चरन,	सुरक्षा अधिकारी	30.07.2026	(03 माह)	30.10.2026	5390 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 अगस्त, 2026
113	श्री मनोहर सिंह,	सुरक्षा अधिकारी	30.07.2026	(03 माह)	30.10.2026	5390 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 अगस्त, 2026
114	श्री प्रमोनाथ यादव,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	02.08.2026	(03 माह)	02.11.2026	5390 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 अगस्त, 2026
115	श्री श्याम बिहारी सिंह,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	30.07.2026	(03 माह)	30.10.2026	5390 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 अगस्त, 2026
116	श्री राम आसरे सरोज,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	02.08.2026	(06 माह)	02.02.2027	5390 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 अगस्त, 2026
117	श्री रियाज अहमद,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	30.07.2026	(03 माह)	30.10.2026	5390 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 अगस्त, 2026
118	श्री राम किशोर,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	08.08.2026	(03 माह)	08.11.2026	5390 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 अगस्त, 2026
119	श्री कल्लू सिंह,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	03.08.2026	(03 माह)	03.11.2026	5390 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 अगस्त, 2026
120	श्री राधेश्याम त्रिपाठी,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	02.08.2026	(06 माह)	02.02.2027	5390 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 अगस्त, 2026
121	श्री राजपाल सिंह यादव,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	30.07.2026	(03 माह)	30.10.2026	5390 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 अगस्त, 2026
122	श्री ओम प्रकाश सिंह,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	30.07.2026	(03 माह)	30.10.2026	5390 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 अगस्त, 2026
123	श्री चन्द्र प्रकाश वर्मा,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	30.07.2026	(03 माह)	30.10.2026	5390 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 अगस्त, 2026
124	श्री अली शेर खॉं,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	25.08.2026	(03 माह)	25.11.2026	5390 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 अगस्त, 2026
125	श्री सोमरन सिंह,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	30.07.2026	(03 माह)	30.10.2026	5390 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 अगस्त, 2026
126	श्री फूल सिंह,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	13.08.2026	(03 माह)	13.11.2026	5390 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 अगस्त, 2026
127	श्री अनिल कुमार सिंह,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	30.07.2026	(03 माह)	30.10.2026	5390 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 अगस्त, 2026

		अधिकारी				दिनांक 12 अगस्त, 2026
128	श्री वकील सिंह राठी,	सहाय सुरक्षा अधिकारी	19.08.2026	(03 माह)	19.11.2026	5390 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 अगस्त, 2026
129	श्री धीरेन्द्र कुमार शुक्ल,	सहाय सुरक्षा अधिकारी	30.07.2026	(03 माह)	30.10.2026	5390 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 अगस्त, 2026
130	श्री शैलेन्द्र सिंह,	सहाय सुरक्षा अधिकारी	30.07.2026	(03 माह)	30.10.2026	5390 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 अगस्त, 2026
131	श्री राजेन्द्र प्रसाद कनौजिया	सहाय सुरक्षा अधिकारी	06.08.2026	(03 माह)	08.11.2026	5390 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 अगस्त, 2026
132	श्री बृजपाल कनौजिया,	सहाय सुरक्षा अधिकारी	30.07.2026	(03 माह)	30.10.2026	5390 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 12 अगस्त, 2026
133	श्री बी०एस० दुबे,	सलाहकार (प्रौ० सेल)	01.09.2026	(08 माह)	01.03.2027	6313 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 11 सितम्बर, 2026
134	श्री राम शंकर सोनी,	लेखाकार कम आडिटर	24.09.2026	(06 माह)	24.03.2027	6313 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 11 सितम्बर, 2026
135	श्री भागीरथ शुक्ला,	वरिष्ठ सहायक	19.09.2026	(06 माह)	19.03.2027	6313 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 11 सितम्बर, 2026
136	श्री अरुण कुमार श्रोवास्तव,	निजी सचिव	21.09.2026	(06 माह)	21.03.2027	6313 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 11 सितम्बर, 2026
137	श्री राम किंकर त्रिपाठी,	प्रबन्धक(सिविल)	19.08.2026	15.01.2027 (70 वर्ष पूर्ण)	15 जनवरी, 2027	6313 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 11 सितम्बर, 2026
138	श्री जगदीश सिंह,	लेखाकार कम कैशियर	01.09.2026	(06 माह)	01.03.2027	6313 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 11 सितम्बर, 2026
139	श्री दयाराम यादव,	लेखाकार कम कैशियर	30.09.2026	(06 माह)	30.03.2027	6313 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 11 सितम्बर, 2026
140	श्री ग्यासुल हक,	लेखाकार कम कैशियर	11.09.2026	(06 माह)	11.03.2027	6313 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 11 सितम्बर, 2026
141	श्री रमेश चन्द्र दुबे,	मुख्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रभारी कन्ट्रोल रूम	31.08.2026	(03 माह)	30.11.2026	6313 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 11 सितम्बर, 2026
142	श्री ओम प्रकाश,	मुख्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रभारी कन्ट्रोल रूम	31.08.2026	(03 माह)	30.11.2026	6313 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 11 सितम्बर, 2026
143	श्री प्रभात कुमार अवस्थी,	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	31.08.2026	(03 माह)	30.11.2026	6313 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 11 सितम्बर, 2026
144	श्री रमेश नाथ सिंह,	मुख्य सुरक्षा अधिकारी-प्रथम	31.08.2026	(03 माह)	30.11.2026	6313 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 11 सितम्बर, 2026
145	श्री गजानंद सिंह यादव,	सुरक्षा अधिकारी	19.09.2026	(06 माह)	19.03.2027	6313 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 11 सितम्बर, 2026
146	श्री राधामोहन द्विवेदी,	सुरक्षा अधिकारी	04.09.2026	(03 माह)	04.12.2026	6313 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 11 सितम्बर, 2026
147	श्री मान सिंह यादव,	सहाय सुरक्षा अधिकारी	01.09.2026	(03 माह)	01.12.2026	6313 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 11 सितम्बर, 2026
148	श्री धर्मराज यादव,	सहाय सुरक्षा अधिकारी	29.08.2026	(06 माह)	01.03.2027	6313 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 11 सितम्बर, 2026
149	श्री सुनील प्रताप राव,	महाप्रबन्धक(सिविल)	23.09.2026	(06 माह)	23.03.2027	6524 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 18 सितम्बर, 2026
150	श्री बृजपाल सिंह,	वरिष्ठ प्रबन्धक(सिविल)	22.09.2026	(06 माह)	22.03.2027	6524 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 18 सितम्बर, 2026
151	श्री संजीव शुक्ला,	प्रबन्धक(सिविल)	22.09.2026	(06 माह)	22.03.2027	6524 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 18 सितम्बर, 2026
152	श्री राजेश कुमार पाण्डेय,	सहाय प्रबन्धक	22.09.2026	(06 माह)	22.03.2027	6524 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 18 सितम्बर, 2026
153	श्री सुरेन्द्र कुमार पुष्पद,	सहाय प्रबन्धक	22.09.2026	(06 माह)	22.03.2027	6524 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 18 सितम्बर, 2026

154	श्री कृष्ण कुमार,	निजी सचिव,	11.10.2026	(06 माह)	11.04.2027	6524 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 18 सितम्बर, 2026
155	श्री अंकुर अवस्थी,	निजी सचिव	11.10.2026	(06 माह)	11.04.2027	6524 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 18 सितम्बर, 2026
156	श्री विकास कुमार,	वरिष्ठ सहायक ग्रेड-2	11.10.2026	(06 माह)	11.04.2027	6524 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 18 सितम्बर, 2026
157	श्री राम विलास सिंह,	सुरक्षा अधिकारी	30.10.2026	(70 वर्ष पूर्ण)	10.01.2027	6524 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 18 सितम्बर, 2026
158	श्री ओम प्रकाश सिंह,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	30.10.2026	(03 माह)	30.01.2027	6524 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 18 सितम्बर, 2026
159	श्री राजपाल सिंह यादव,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	30.10.2026	(03 माह)	30.01.2027	6524 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 18 सितम्बर, 2026
160	श्री धीरेन्द्र कुमार शुक्ल,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	30.10.2026	(03 माह)	30.01.2027	6524 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 18 सितम्बर, 2026
161	श्री राजेन्द्र सिंह द्वितीय,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	30.10.2026	(03 माह)	30.01.2027	6524 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 18 सितम्बर, 2026
162	श्री अनिल कुमार सिंह,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	30.10.2026	(03 माह)	30.01.2027	6524 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 18 सितम्बर, 2026
163	श्री प्रभु नाथ यादव,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	02.11.2026	(03 माह)	02.02.2027	6524 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 18 सितम्बर, 2026
164	श्री श्याम बिहारी सिंह,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	30.10.2026	(03 माह)	30.01.2027	6524 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 18 सितम्बर, 2026
165	श्री शैलेन्द्र सिंह,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	30.10.2026	(03 माह)	30.01.2027	6524 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 18 सितम्बर, 2026
166	श्री राजेश प्रताप सिंह,	विशेष कार्याधिकारी (अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी)	30.11.2026	(01 वर्ष)	30.11.2027	6833 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 25 सितम्बर, 2026
167	श्री शरद तिवारी,	सलाहकार विधि	09.10.2026	(06 माह)	09.04.2027	6833 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 25 सितम्बर, 2026
168	श्री धर्मेन्द्र प्रजापति,	वरिष्ठ सहायक ग्रेड-2	11.10.2026	(06 माह)	11.04.2027	6833 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 25 सितम्बर, 2026
169	श्री राजेश कुमार सिंह चन्देल,	सुरक्षा अधिकारी	30.10.2026	(03 माह)	30.01.2027	6833 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 25 सितम्बर, 2026
170	श्री सुधीश कुमार शुक्ला,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	30.10.2026	(06 माह)	30.04.2027	6833 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 25 सितम्बर, 2026
171	श्री सोबरन सिंह,	सहा० सुरक्षा अधिकारी	30.10.2026	(03 माह)	30.01.2027	6833 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 25 सितम्बर, 2026
172	श्री राजेश कुमार पाण्डेय,	मुख्य महाप्रबन्धक सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्धन।	22.10.2026	(06 माह)	22.04.2027	7388 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 15 अक्टूबर, 2026
173	श्री चुनकू राम पटेल,	विशेष कार्याधिकारी (मू-अर्जन)	03.12.2026	(06 माह)	03.06.2027	7388 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 15 अक्टूबर, 2026
174	श्री सुनील कुमार सिंह,	विशेष कार्याधिकारी (विधि) यूपीडा	19.11.2026	(06 माह)	19.05.2027	7388 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 15 अक्टूबर, 2026
175	कर्नल संजय सिंह,	मुख्य महाप्रबन्धक (डिफेंस कॉरिडोर)	30.11.2026	(06 माह)	30.05.2027	7388 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 15 अक्टूबर, 2026
176	श्री नरेन्द्र सिंह,	मू-अर्जन अधिकारी	09.10.2026	(06 माह)	09.04.2027	7388 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 15 अक्टूबर, 2026
177	श्री रमेश चन्द्र दुबे,	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	30.11.2026	(03 माह)	28.02.2027	7388 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 15 अक्टूबर, 2026
178	श्री बृजेश कुँवर यादव,	सुरक्षा अधिकारी	30.10.2026	(03 माह)	30.01.2027	7388 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 15 अक्टूबर, 2026
179	श्री कृष्ण स्वरूप सिन्हा,	सुरक्षा अधिकारी	30.10.2026	(70 वर्ष पूर्ण)	05.01.2027	7388 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 15 अक्टूबर, 2026

180	श्री अली शेर खॉं,	सहाय सुरक्षा अधिकारी	25.11.2026	(03 माह)	25.02.2027	7388 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 15 अक्टूबर, 2026
181	श्री चन्द्र प्रकाश वर्मा,	सहाय सुरक्षा अधिकारी	30.10.2026	(03 माह)	30.01.2027	7388 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 15 अक्टूबर, 2026
182	श्री राम किशोर,	सहाय सुरक्षा अधिकारी	08.11.2026	(03 माह)	08.02.2027	7388 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 15 अक्टूबर, 2026
183	श्री रियाज अहमद,	सहाय सुरक्षा अधिकारी	30.10.2026	(03 माह)	30.01.2027	7388 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 15 अक्टूबर, 2026
184	श्री बृजपाल कनीजिया,	सहाय सुरक्षा अधिकारी	30.10.2026	(03 माह)	30.01.2027	7388 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 15 अक्टूबर, 2026
185	श्री संतोष कुमार सिंह,	सहाय सुरक्षा अधिकारी	25.11.2026	(06 माह)	25.05.2027	7388 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 15 अक्टूबर, 2026
186	श्री प्रकाश चन्द्र तिवारी,	सहाय सुरक्षा अधिकारी	25.11.2026	(03 माह)	25.02.2027	7388 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 15 अक्टूबर, 2026
187	श्री कल्लू सिंह,	सहाय सुरक्षा अधिकारी	03.11.2026	(03 माह)	03.02.2027	7388 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 15 अक्टूबर, 2026
188	श्री फूल सिंह,	सहाय सुरक्षा अधिकारी	13.11.2026	(03 माह)	13.02.2027	7388 / 2570 / यूपीडा / 2022 / अधि०, दिनांक 15 अक्टूबर, 2026

2. यूपीडा में संविदा के आधार पर निम्नलिखित नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया है, जिसका अनुमोदन यूपीडा निदेशक मण्डल से प्राप्त किया जाना निवेदित है, विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	कार्यभार ग्रहण की तिथि	कार्यालय आदेश संख्या/दिनांक
01	श्री संजीव कटियार,	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	10.06.2026	1689 / 3660 / यूपीडा / 2025 / अधि०, दिनांक 05 जून, 2026
02	श्री अक्वैश कुमार विजोला,	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	08.06.2026	1689 / 3660 / यूपीडा / 2025 / अधि०, दिनांक 05 जून, 2026
03	श्री अखिलेश नारायण सिंह,	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	16.06.2026	1689 / 3660 / यूपीडा / 2025 / अधि०, दिनांक 05 जून, 2026
04	श्री सुखराम भारती,	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	09.06.2026	1689 / 3660 / यूपीडा / 2025 / अधि०, दिनांक 05 जून, 2026
05	श्री महाभाषा प्रसाद सिंह,	सुरक्षा अधिकारी	09.06.2026	1689 / 3660 / यूपीडा / 2025 / अधि०, दिनांक 05 जून, 2026
06	श्री रमाकान्त प्रसाद,	सुरक्षा अधिकारी	08.06.2026	1689 / 3660 / यूपीडा / 2025 / अधि०, दिनांक 05 जून, 2026
07	श्री सूर्यभान सिंह,	सुरक्षा अधिकारी	08.06.2026	1689 / 3660 / यूपीडा / 2025 / अधि०, दिनांक 05 जून, 2026
08	श्री शशि प्रकाश सिंह,	सुरक्षा अधिकारी	09.06.2026	1689 / 3660 / यूपीडा / 2025 / अधि०, दिनांक 05 जून, 2026
09	श्री पतंजलि कुमार पाण्डेय,	सहाय सुरक्षा अधिकारी	15.06.2026	1689 / 3660 / यूपीडा / 2025 / अधि०, दिनांक 05 जून, 2026
10	श्री रामाधार सिंह	सहाय सुरक्षा अधिकारी	08.06.2026	1689 / 3660 / यूपीडा / 2025 / अधि०, दिनांक 05 जून, 2026
11	श्री वेद प्रकाश,	सहाय सुरक्षा अधिकारी	08.06.2026	1689 / 3660 / यूपीडा / 2025 / अधि०, दिनांक 05 जून, 2026
12	श्री रामप्रभास	सहाय सुरक्षा अधिकारी	09.06.2026	1689 / 3660 / यूपीडा / 2025 / अधि०, दिनांक 05 जून, 2026
13	श्री अरुण कुमार पाठक	सहाय सुरक्षा अधिकारी	08.06.2026	1689 / 3660 / यूपीडा / 2025 / अधि०, दिनांक 05 जून, 2026
14	श्री भानु प्रताप सिंह	सहाय सुरक्षा अधिकारी	17.06.2026	1689 / 3660 / यूपीडा / 2025 / अधि०, दिनांक 05 जून, 2026
15	श्री ज्ञानेश्वर सिंह	सहाय सुरक्षा अधिकारी	09.06.2026	1689 / 3660 / यूपीडा / 2025 / अधि०, दिनांक 05 जून, 2026
16	श्री हरीलाल यादव	सहाय सुरक्षा अधिकारी	08.06.2026	1689 / 3660 / यूपीडा / 2025 / अधि०, दिनांक 05 जून, 2026
17	श्री फूलचन्द यादव	सहाय सुरक्षा अधिकारी	08.06.2026	1689 / 3660 / यूपीडा / 2025 / अधि०, दिनांक 05 जून, 2026
18	श्री राममिलन यादव	सहाय सुरक्षा अधिकारी	08.06.2026	1689 / 3660 / यूपीडा / 2025 / अधि०,

				दिनांक 05 जून, 2026
19	श्री कमलेश कुमार	सहाय सुरुक्षा अधिकारी	08.06.2026	1689/3660/यूपीडा/2025/अधि०, दिनांक 05 जून, 2026
20	श्रीराम सिंह	सहाय सुरुक्षा अधिकारी	08.06.2026	1689/3660/यूपीडा/2025/अधि०, दिनांक 05 जून, 2026
21	श्री सुमेर सिंह	सहाय सुरुक्षा अधिकारी	08.06.2026	1690/3660/यूपीडा/2025/अधि०, दिनांक 05 जून, 2026
22	श्री श्याम बाबू सिंह	सहाय सुरुक्षा अधिकारी	09.06.2026	1690/3660/यूपीडा/2025/अधि०, दिनांक 05 जून, 2026
23	श्री कमल कुमार	सहाय सुरुक्षा अधिकारी	08.06.2026	1690/3660/यूपीडा/2025/अधि०, दिनांक 05 जून, 2026
24	श्री सुधीर चन्द्र पाण्डेय	सुरुक्षा अधिकारी	09.06.2026	1691/3660/यूपीडा/2025/अधि०, दिनांक 05 जून, 2026
25	श्री धनेश प्रसाद	सुरुक्षा अधिकारी	18.06.2026	1691/3660/यूपीडा/2025/अधि०, दिनांक 05 जून, 2026
26	श्री मानु शंकर चतुर्वेदी	लेखाकार कम ऑडिटर	09.06.2026	1714/1379/यूपीडा/2018/अधि०, दिनांक 08 जून, 2026
27	श्री रमेश सिंह	लेखाकार कम ऑडिटर	08.06.2026	1714/1379/यूपीडा/2018/अधि०, दिनांक 08 जून, 2026
28	श्री उदय प्रताप सिंह	भू-अर्जन अधिकारी	01.07.2026	3152/2402/यूपीडा/2022/अधि०, दिनांक 24 जून, 2026
29	श्री अरुण कुमार राय	भू-अर्जन अधिकारी	01.07.2026	3153/2402/यूपीडा/2022/अधि०, दिनांक 24 जून, 2026
30	श्री अजय कुमार सिंह	भू-अर्जन अधिकारी	01.07.2026	3154/2402/यूपीडा/2022/अधि०, दिनांक 24 जून, 2026
31	श्री सुधीर कुमार लंगटा	भू-अर्जन अधिकारी	01.07.2026	3155/2402/यूपीडा/2022/अधि०, दिनांक 24 जून, 2026
32	श्री राकेश कुमार गुप्ता	भू-अर्जन अधिकारी	01.07.2026	3156/2402/यूपीडा/2022/अधि०, दिनांक 24 जून, 2026
33	श्री उमा शंकर कश्यप	डाक रनर	18.08.2026	5421/3165/यूपीडा/2024/अधि०, दिनांक 13 अगस्त, 2026
34	श्री तारकेश्वर राय	प्रबन्धक	01.09.2026	5922/3881/यूपीडा/2020/अधि०, दिनांक 31 अगस्त, 2026
35	श्री संजय तिवारी	वरिष्ठ प्रबन्धक	03.09.2026	5923/3881/यूपीडा/2020/अधि०, दिनांक 31 अगस्त, 2026
36	श्री बृजेन्द्र बहादुर सिंह	सहाय प्रबन्धक	03.09.2026	5924/3881/यूपीडा/2020/अधि०, दिनांक 31 अगस्त, 2026
37	श्री गौरव तिवारी	सलाहाकार (प्रौ)	24.09.2026	6723/2696/यूपीडा/2023/अधि०, दिनांक 23 सितम्बर, 2026

यूपीडा में प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये गये अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया है, जिसका अनुमोदन यूपीडा निदेशक मण्डल से प्राप्त किया जाना है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	कार्यभार ग्रहण	कार्यालय आदेश संख्या/दिनांक
01	श्री पवन वर्मा	मुख्य अभियन्ता	22.07.2026	उ०प्र०शासन, लोक निर्माण अनुभाग-3 के कार्यालय आदेश संख्या-31/2026/882/23-3-2026-2064041, लखनऊ, दिनांक 21 जुलाई, 2026
02	श्री शैलेंद्र कुमार भाटिया	अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी	06.10.2026	उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग-1 के अर्द्धशा०प०सं०-टी-436/दो-1-2026, दिनांक 21 सितम्बर, 2026
03	श्री शुभेन्दु शेखर सिंह	विशेष कार्याधिकारी	28.09.2026	उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग-2 के अर्द्धशा०प०सं०-टी-642/दो-2-2026, दिनांक 13 सितम्बर, 2026

3. यूपीडा में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत अधिकारियों को उनके मूल विभाग में योगदान देने हेतु कार्यमुक्त किया गया है, के सम्बन्ध में यूपीडा निदेशक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त किया जाना निवेदित है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

क्र० सं०	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	कार्यमुक्त तिथि	कार्यालय आदेश संख्या/ दिनांक
1	श्री राजकुमार चौधरी	मुख्य अभियन्ता	30.06.2026	3244/3176/यूपीडा/2018/अधि, दिनांक 30 जून, 2026
2	श्री प्रदीप कुमार शर्मा	अधिशारी अभियन्ता	30.06.2026	3269/1752/यूपीडा/2020/अधि, दिनांक 01 जुलाई, 2026
3	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह	विशेष कार्यधिकारी, यूपीडा	15.07.2026	3620/2926/यूपीडा/2023/अधि, दिनांक 15 जुलाई, 2026
4	श्रीमती अल्पा सिंह	विशेष कार्यधिकारी, यूपीडा	20.07.2026	3784/3011/यूपीडा/2023/अधि, दिनांक 20 जुलाई, 2026
5	श्री हेमराज सिंह	मुख्य अभियन्ता	24.07.2026	3965(ए)/3534/यूपीडा/2025/अधि, दिनांक 24 जुलाई, 2026
6	श्री पवन वर्मा	मुख्य अभियन्ता	14.09.2026	6355/3996/यूपीडा/2026/अधि, दिनांक 14 सितम्बर, 2026
7	श्री संजय यादव	विशेष कार्यधिकारी	07.10.2026	7106/935/यूपीडा/2018/अधि, दिनांक 07 अक्टूबर, 2026

यूपीडा में शासन द्वारा तैनात किये गये प्राधिकरण सेवा के अधिकारी का स्थानांतरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती के पद पर योगदान देने हेतु कार्यमुक्त किया गया है, के सम्बन्ध में यूपीडा निदेशक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त किया जाना निवेदित है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	कार्यमुक्त तिथि	कार्यालय आदेश संख्या/ दिनांक
1	श्री दीपक चतुर्वेदी	प्रबन्धक(प्रशासन/सामान्य)	30.06.2026	3248/2793/यूपीडा/2023/अधि, दिनांक 30 जून, 2026

4. यूपीडा में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी, जिनकी संविदा सेवा अनुबन्ध 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने के कारण आगे विस्तारित नहीं किया गया है तथा उनकी संविदा सेवा समाप्त हो गई है, का अनुमोदन निदेशक मण्डल से प्राप्त किया जाना है। विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	संविदा सेवा समाप्ति की तिथि
1	श्री हीरामन राम	लेखाकार कम कैशियर	31.08.2026 (70 वर्ष पूर्ण)
2	श्री दुर्गा प्रसाद अवस्थी	प्रबन्धक(सिविल)	30.06.2026 (70 वर्ष पूर्ण)
3	श्री गणेश प्रसाद	लेखाकार कम ऑडिटर	09.07.2026 (70 वर्ष पूर्ण)
4	श्री शिवानन्द सिंह	प्रबन्धक(सिविल)	25.07.2026 (70 वर्ष पूर्ण)
5	श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय	सुरक्षा अधिकारी	20.07.2026 (70 वर्ष पूर्ण)

यूपीडा में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी, जिनकी संविदा सेवा अनुबन्ध समाप्त किया गया है, का अनुमोदन निदेशक मण्डल से प्राप्त किया जाना है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	संविदा सेवा समाप्ति की तिथि
1	श्री रामपाल सिंह यादव	सुरक्षा अधिकारी	24.05.2026
2	श्री अशोक कुमार शर्मा	सहाय प्रबन्धक(सिविल)	25.07.2026
3	श्री त्रिलोकी नाथ पाण्डेय	सहाय सुरक्षा अधिकारी	31.07.2026
4	श्री शिव प्रकाश तिवारी	सहाय सुरक्षा अधिकारी	26.08.2026
5	श्री रामगुर्ति	निजी सचिव	29.07.2026
6	श्री राजेन्द्र सिंह प्रथम	सहाय सुरक्षा अधिकारी	26.07.2026
7	श्री सुरेश कुमार सबान	वरिष्ठ प्रबन्धक(ऑडिट)	01.08.2026
8	श्री राम चन्द्र वर्मा	सहाय सुरक्षा अधिकारी	13.10.2026

5. यूपीडा में संविदा के माध्यम से कार्यरत कर्मिकों की वेतनवृद्धि के संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुपालन में वेतन वृद्धि दिनांक 01 नवम्बर, 2026 से लागू किये जाने के संबंध में अनुमोदन निदेशक मण्डल से प्राप्त किया जाना है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

यूपीडा में संविदा पर तैनात कर्मिकों के वेतनवृद्धि के संबंध में गठित समिति की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुपालन में यूपीडा के पत्र दिनांक 14.10.2026 को आदेश निर्गत किये गये। यूपीडा निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त किये जाने के संबंध में पदवार प्रस्तावित वेतनवृद्धि के आधार पर गणना तालिका निम्नवत् है:-

क्र.सं.	नाम व पदनाम	नियत मासिक वेतन	20 प्रतिशत वृद्धि उपरांत वेतन
1	श्री अजय कुमार गुप्ता, सहायक प्रबंधक (लेखा)	59400	71280
2	श्री प्रशांत मिश्रा, जन सम्पर्क अधिकारी	45000	54000
3	श्री अंकुर अवरधी, निजी सचिव	45000	54000
4	श्री शुभम बंसल, ऑडिटर (टैक्स)	45000	54000
5	श्री अंकित भारद्वाज	40000	48000
6	श्री पंकज कनीजिया, सहायक प्रबंधक (सिविल)	40000	48000
7	श्री विकास कुमार, वरिष्ठ सहायक ग्रेड-02	27500	33000
8	श्री धर्मेन्द्र प्रजापति, वरिष्ठ सहायक ग्रेड-02	27500	33000
9	श्री विनीत कुमार ओझा, विधि सहायक	25000	30000
10	श्री रवीन्द्र शर्मा, ड्राफ्ट मैन	25000	30000
11	श्री अर्पित अवस्थी, मीडिया सहायक	25000	30000

6. यूपीडा में आगरा-लखनऊ, पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड एवं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे हेतु 13 चालकों को आउटसोर्सिंग के आधार पर चयनित कर एक्सप्रेसवेज पर नियुक्त कर दिया गया है, जिसका अनुमोदन यूपीडा निदेशक मण्डल से प्राप्त किया जाना है, विवरण निम्नवत् है:

क्र.सं.	नाम व पदनाम	कार्यालय आदेश संख्या / दिनांक
1	श्री सौरभ कुमार	पत्रांक-7243/3327/यूपीडा/2024, दिनांक 12 अक्टूबर, 2026
2	श्री अय्यूब अहमद	पत्रांक-7243/3327/यूपीडा/2024, दिनांक 12 अक्टूबर, 2026
3	श्री विनोद कुमार	पत्रांक-7243/3327/यूपीडा/2024, दिनांक 12 अक्टूबर, 2026
4	श्री शानू हुसैन	पत्रांक-7243/3327/यूपीडा/2024, दिनांक 12 अक्टूबर, 2026
5	श्री आदित्य नारायण पाण्डेय	पत्रांक-7243/3327/यूपीडा/2024, दिनांक 12 अक्टूबर, 2026
6	श्री विपिन यादव	पत्रांक-7243/3327/यूपीडा/2024, दिनांक 12 अक्टूबर, 2026
7	श्री रामेन्द्र कुमार सूर्यवंशी	पत्रांक-7243/3327/यूपीडा/2024, दिनांक 12 अक्टूबर, 2026
8	श्री विनोद कुमार	पत्रांक-7243/3327/यूपीडा/2024, दिनांक 12 अक्टूबर, 2026
9	श्री दीपू यादव	पत्रांक-7243/3327/यूपीडा/2024, दिनांक 12 अक्टूबर, 2026
10	श्री अतुल कुमार	पत्रांक-7243/3327/यूपीडा/2024, दिनांक 12 अक्टूबर, 2026
11	श्री सुशील कुमार	पत्रांक-7243/3327/यूपीडा/2024, दिनांक 12 अक्टूबर, 2026
12	श्री सतेन्द्र कुमार यादव	पत्रांक-7243/3327/यूपीडा/2024, दिनांक 12 अक्टूबर, 2026
13	श्री विजय कुमार	पत्रांक-7243/3327/यूपीडा/2024, दिनांक 12 अक्टूबर, 2026

परोक्तानुसार अधिष्ठान अनुभाग से सम्बन्धित समस्त कार्यवाहियों के सम्बन्ध में मा0 निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना निवेदित है।

उपरोक्तानुसार एजेण्डा क्र0-21 के उप प्रस्तर-1,2,3,4,5 व 6 पर अंकित प्रस्ताव से संज्ञानित होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गयी।




एजेण्डा बिन्दु सं.-22

आई0एम0एल0सी0 में शाहजहाँपुर, बदायूँ, हमीरपुर, औरैया, मेरठ तथा सम्मल नोड की संशोधित भू-आवंटन दर के अनुमोदन के सम्बन्ध में

1. शाहजहाँपुर नोड-

आई0एम0एल0सी0 के भू-खण्डों की आवंटन दर निर्धारित किये जाने हेतु गठित समिति द्वारा पूर्व में EOI प्रकाशन के समय शाहजहाँपुर नोड हेतु आवंटन दर रु0 3,800.00 प्रति वर्गमीटर प्रस्तावित की गयी थी, जिसका अनुमोदन मुख्य कार्यपालक अधिकारी, महोदय द्वारा दिनांक 03.07.2025 को एवं 92वीं बोर्ड बैठक दि0-20.07.2025 (एजेण्डा बिन्दु संख्या-07) में मा0 निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किया गया।

अवस्थापना एवं विद्युत सम्बन्धी कार्यों में प्रत्याशित व्यय की धनराशि के दृष्टिगत पुनः गठित समिति द्वारा शाहजहाँपुर नोड हेतु रु0 5,300.00 प्रति वर्गमीटर प्रस्तावित की गयी। उक्त का अनुमोदन भी मुख्य कार्यपालक अधिकारी, महोदय द्वारा दिनांक 01.12.2025 को एवं 93वीं बोर्ड बैठक दि0-19.02.2026 (एजेण्डा बिन्दु संख्या-26) में मा0 निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किया गया।

वर्तमान में सहायक महाप्रबन्धक एवं डिप्टी कलेक्टर, आई0एम0एल0सी0 द्वारा समिति को स्पष्ट किया गया, कि उक्त दरों पर आवंटन हेतु निवेश मित्र पोर्टल पर मात्र 01 भू-खण्ड अपलोड किया गया था, जिस पर अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, एवं न ही भू-खण्ड हेतु कोई गैंग आयी हैं, व पुनः प्रत्याशित व्ययों की समीक्षा कर दरों को पुनर्निर्धारित किये जाने की संस्तुति की है।

उल्लेखनीय है, कि द्वितीय बार निर्धारित रु0 5,300.00 प्रति वर्गमीटर की दरों का निर्धारण अवस्थापना एवं विद्युत सम्बन्धी कार्यों हेतु रु0 197.51 करोड़ प्रत्याशित व्यय के आधार पर किया गया था। अवस्थापना एवं विद्युत सम्बन्धी कार्यों हेतु शासन को प्रेषित प्रस्ताव के विरुद्ध व्यय वित्त समिति द्वारा उक्त को संशोधित कर अवस्थापना एवं विद्युत सम्बन्धी कार्यों हेतु मात्र रु0 143.73 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त के दृष्टिगत शाहजहाँपुर हेतु भूमि दर निर्धारण का संशोधित प्रस्ताव निम्नवत है:-

Particulars	शाहजहाँपुर नोड
कुल भूमि क्षेत्र	101.8435 Ha.
कुल भूमि प्राय/अधिग्रहण/हस्तांतरण व्यय	Rs.114.56 Cr.
आंकलित विकास लागत (व्यय वित्त समिति के अनुसार)	Rs.143.73 Cr.
सूचीबा का प्रशासनिक व्यय @10%	Rs.25.819 Cr.
आकस्मिक व्यय/ विशेष व्यय @ 2%	Rs.5.163Cr.
Total Cost	Rs.289.172 Cr.
कुल विक्री योग्य क्षेत्रफल	66.188 Ha.
आवंटन के लिये प्रस्तावित दर (कुल व्यय/कुल आवंटन योग्य क्षेत्र)	Rs.4,368.96 INR/Sqm
आवंटन के लिये प्रस्तावित दर (rounded off)	Rs.4,400.00 INR/Sqm

उक्त संशोधित प्रस्ताव का अनुमोदन मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 14.01.2026 को प्रदान किया गया है।

2. बदायूँ एवं हमीरपुर नोड-

- समिति को अवगत कराया गया कि निदेशक मण्डल की 89वीं, 90वीं तथा 92वीं बैठक में प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार IMLC के भूखण्डों की आवंटन दर निर्धारण फार्मूला आंकलन निम्नानुसार है:-

- इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर (आई0एम0एल0सी0) के ले-आउट में यथासंभव समस्त भूखण्डों को 1.20 हे० से अधिक क्षेत्रफल के नियोजित किए जाएं, जिसके आधार पर सार्वजनिक ग्रीन एरिया व कॉमन यूटिलिटी एरिया का आंकलन कर विक्रय योग्य भूमि 70 प्रतिशत रखते हुये आगणन किया जाये।
- इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर में समस्त भूखण्डों को 1.20 हे० से अधिक अर्थात् 100 प्रतिशत बड़े प्लॉट नियोजित करने की दशा में आन्तरिक विकास कार्य की आवश्यकता कम होगी व मुख्य रूप से बाह्य विकास कार्य किया जाना होगा। इस क्रम में औसत विकास लागत रु० 1.25 करोड़ प्रति हेक्टेयर रखकर आगणन किया जाये।
- ग्राम सभा की निःशुल्क प्राप्त भूमि को भूखण्ड आवंटन की दर निर्धारण के आगणन में भारित न किए जाने से, आवंटन दर तुलनात्मक रूप से कम रहेगी, जिसे औद्योगिक निवेश बड़ी मात्रा में आकर्षित होने की सम्भावना है।
- प्रशासनिक व कन्टेजेंसी मद में 12 प्रतिशत की दर रखते हुए आगणन किया जाये।
- आन्तरिक व बाह्य विकास कार्यों हेतु शासन की विभिन्न नीतियों के अन्तर्गत वित्त पोषण प्राप्त किए जाने के दृष्टिगत इस मद में ब्याज का आगणन न किया जाये।

- मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा उक्त भू आवंटन दर निर्धारण फार्मूले में रु0 1.25 करोड़ प्रति हेक्टेयर के स्थान पर रु0 1.50 करोड़ प्रति हेक्टेयर तथा विक्रय योग्य भूमि 70 प्रतिशत के स्थान पर मेरठ तथा हापुड़ में 62 प्रतिशत तथा अन्य आई०एम०एल०सी० हेतु 65 प्रतिशत संशोधन करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसको निदेशक मण्डल के अनुमोदन हेतु आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।
- समिति को यह भी अवगत कराया गया कि उपरोक्त संशोधन को आई०एम०एल०सी० बदायूँ एवं हमीरपुर पर लागू करने हेतु पुनर्विचार करना आवश्यक है क्योंकि उक्त आई०एम०एल०सी० का कुल क्षेत्रफल तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास एवं भूमि क्रय/अधिग्रहण/हस्तांतरण में होने वाले व्यय का आकलन किया जा सकता है। अतः समीचीन होगा कि आई०एम०एल०सी० बदायूँ एवं हमीरपुर की भू आवंटन दर का पुनर्निर्धारण, उपरोक्त फार्मूले के स्थान पर आंकलित/वास्तविक व्यय के आधार पर किया जाये।
- यूपीडा के भू अधिग्रहण अनुभाग द्वारा समिति को सूचित किया गया कि आई०एम०एल०सी० बदायूँ हेतु कुल 109.0588 हे० भूमि उपलब्ध होगी तथा कुल भूमि क्रय/अधिग्रहण/ हस्तांतरण लागत रु० 164.70 करोड़ होगी। अभियंत्रण विभाग द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि अवस्थापना कार्य हेतु शासन को प्रेषित प्रस्ताव में विकास व्यय रु० 174.21 करोड़ आंकलित है तथा वास्तु एवं नियोजन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, महोदय द्वारा दिनांक 07.02.2026 को अनुमोदित तलपट मानचित्र के अनुसार विक्रय योग्य भूमि 73.58 हे० है।
- इसी प्रकार यूपीडा के भू अधिग्रहण अनुभाग द्वारा समिति को सूचित किया गया कि आई०एम०एल०सी० हमीरपुर हेतु कुल 104.8330 हे० भूमि उपलब्ध होगी तथा कुल भूमि क्रय/अधिग्रहण/हस्तांतरण लागत रु० 52.79 करोड़ होगी। अभियंत्रण विभाग द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि अवस्थापना कार्य हेतु शासन को प्रेषित प्रस्ताव में विकास व्यय रु० 184.41 करोड़ आंकलित है तथा वास्तु एवं नियोजन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, महोदय द्वारा दिनांक 07.02.2026 को अनुमोदित तलपट मानचित्र के अनुसार विक्रय योग्य भूमि 68.32 हे० है।

उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर तथा इस तथ्य के दृष्टिगत की आई०एम०एल०सी० बदायूँ एवं हमीरपुर की संशोधित दर की गणना निम्नानुसार की गई:-

Particulars	Budaun	Hamirpur
कुल भूमि हे०	109.0588 Ha.	104.833 Ha.
कुल भूमि क्रय/अधिग्रहण/हस्तांतरण व्यय	Rs.164.70 Cr.	Rs.52.79 Cr.
आंकलित विकास लागत	Rs.174.21 Cr.	Rs.184.41 Cr.
यूपीडा का प्रशासनिक व्यय @10%	Rs.33.891 Cr.	Rs.23.72 Cr.
आकस्मिक व्यय/ विशेष व्यय @ 2%	Rs.6.778 Cr.	Rs.4.744 Cr.
Total Cost	Rs.379.579 Cr.	Rs.265.664 Cr.
कुल विक्री योग्य क्षेत्रफल	73.58 Ha.	68.32 Ha.
आवंटन के लिये प्रस्तावित दर (कुल व्यय/कुल आवंटन योग्य हे०)	Rs.5,158.73 INR/Sqm	Rs.3,888.52 INR/Sqm
आवंटन के लिये प्रस्तावित दर (rounded off)	Rs.5,200.00 INR/Sqm	Rs.3,900.00 INR/Sqm

उक्त संशोधित प्रस्ताव का अनुमोदन मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 19.02.2026 को प्रदान किया गया है।

3. औरैया नोड-

- यूपीडा के भू-अधिग्रहण अनुभाग द्वारा समिति को सूचित किया गया कि आई०एम०एल०सी० औरैया हेतु कुल 133.2115 हे० भूमि उपलब्ध होगी तथा कुल भूमि क्रय/अधिग्रहण/ हस्तांतरण लागत रु० 411.00 करोड़ होगी। अभियंत्रण विभाग द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि अवस्थापना कार्य हेतु शासन को प्रेषित प्रस्ताव में विकास व्यय रु० 196.72 करोड़ आंकलित है तथा वास्तु एवं नियोजन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, महोदय द्वारा दिनांक 13.08.2026 को अनुमोदित तलपट मानचित्र के अनुसार विक्रय योग्य भूमि 85.93 हे० है।

उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर तथा इस तथ्य के दृष्टिगत की आई०एम०एल०सी० औरैया की संशोधित दर की गणना निम्नानुसार की गई:-

Particulars	Auraiya
कुल भूमि क्षेत्र	133.2115 Ha.
कुल भूमि खय/अभियोजन/हस्तांतरण खय	Rs.411.00 Cr.
आकलित विकास लागत	Rs.196.72 Cr.
यूपीडा का प्रशासनिक खय @10%	Rs.60.772 Cr.
आकलित खय/विशेष खय @ 2%	Rs.12.1544 Cr.
Total Cost	Rs.680.6464 Cr.
कुल विक्री योग्य क्षेत्रफल	85.93 Ha.
आवंटन के लिये प्रस्तावित दर (कुल खय/कुल आवंटन योग्य क्षेत्र)	Rs.7,920.94 INR/Sqm
आवंटन के लिये प्रस्तावित दर (rounded off)	Rs.7,920.00 INR/Sqm

उक्त संशोधित प्रस्ताव का अनुमोदन मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 07.09.2026 को प्रदान किया गया है।

4. मेरठ तथा सम्मल नोड

- समिति ने मेरठ तथा सम्मल नोड के संबंध में प्रस्तुत संशोधित परियोजना लागत का विस्तृत परीक्षण किया। विचार-विमर्श के दौरान निम्नलिखित बिन्दु समिति के समक्ष रखे गए :-
 - उप महाप्रबन्धक (वास्तुविद) ने समिति को अवगत कराया कि पूर्व में अनुमोदित परियोजना लागत में स्वीकृत विक्रय योग्य क्षेत्र को बिना किसी परिवर्तन के यथावत रखा जाना चाहिए।
 - भू-अर्जन अनुभाग ने समिति को अवगत कराया कि भूमि लागत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
 - अधीक्षण/प्रभारी मुख्य अभियंता ने समिति को अवगत कराया कि विकास लागत निर्धारण के लिए पूर्व में अनुमोदित मापदण्ड ही लागू रहेंगे तथा तदनुसार विकास लागत में किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
- समिति ने उपरोक्त तथ्यों, संशोधित परियोजना लागत प्रस्ताव तथा सम्बन्धित लागत घटकों का विस्तृत परीक्षण किया। विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त समिति ने सर्वसम्मति से यह मत व्यक्त किया कि उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में इस चरण पर भूमि लागत (विक्रय हेतु) में वृद्धि का कोई औचित्य नहीं है।
- अतः समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि वर्तमान में मेरठ तथा सम्मल नोड की परियोजना लागत में किसी प्रकार की वृद्धि की आवश्यकता नहीं है। अतएव मेरठ नोड के लिए पूर्व अनुमोदित परियोजना लागत ₹11,470/- प्रति वर्ग मीटर तथा सम्मल नोड के लिए ₹5,000/- प्रति वर्ग मीटर यथावत लागू रहेगी, जब तक कि किसी महत्वपूर्ण नये तथ्य अथवा समर्थक दस्तावेज समिति के विचारार्थ भविष्य में प्रस्तुत नहीं किए जाते।

उक्त संशोधित प्रस्ताव का अनुमोदन मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 13.10.2026 को प्रदान किया गया है।

इस प्रकार आई0एम0एल0सी0 शाहजहाँपुर, बदायूँ, हमीरपुर, औरया, मेरठ एवं सम्मल की पूर्व अनुमोदित दर एवं वर्तमान संशोधित दर का विवरण निम्नवत् है:

क्रमांक	नोड का नाम	पूर्व अनुमोदित भू-खण्ड आवंटन दर	संशोधित भू-खण्ड आवंटन दर
1.	शाहजहाँपुर	₹0 5,300.00 प्रति वर्गमीटर	₹0 4,400.00 प्रति वर्गमीटर
2.	बदायूँ	₹0 4,420.00 प्रति वर्गमीटर	₹0 5,200.00 प्रति वर्गमीटर
3.	हमीरपुर	₹0 2,810.00 प्रति वर्गमीटर	₹0 3,900.00 प्रति वर्गमीटर
4.	औरया	₹0 7,020.00 प्रति वर्गमीटर	₹0 7,920.00 प्रति वर्गमीटर
5.	मेरठ	₹0 11,470.00 प्रति वर्गमीटर	₹0 11,470.00 प्रति वर्गमीटर
6.	सम्मल	₹0 5,000.00 प्रति वर्गमीटर	₹0 5,000.00 प्रति वर्गमीटर

कृपया उपरोक्तानुसार आई0एम0एल0सी0 के उक्त 06 नोडों की संशोधित भू-खण्ड आवंटन दर पर मा0 निदेशक मण्डल का अनुमोदन निवेदित है।

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-23

आई0एम0एल0सी0 उन्नाव, औरैया, मेरठ व सम्मल के स्वीकृत तलपट मानचित्र के कार्यान्तर अनुमोदन के सम्बन्ध में

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1976 की धारा 6 (2) में प्राधिकरण के निर्धारित दायित्वों में योजना एवं तलपट मानचित्र तैयार करने का दायित्व भी निर्धारित है।

आई0एम0एल0सी0 के 04 नोड हेतु तलपट मानचित्र का अनुमोदन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया है, जिनके विवरण निम्नवत है :-

क्रम सं0	नोड का नाम	अनुमोदन का दिनांक	संलग्नक का विवरण
1.	उन्नाव	18.08.2026 (संशोधित)	संलग्नक क
2.	औरैया	13.08.2026	संलग्नक ख
3.	मेरठ	24.08.2026 (संशोधित)	संलग्नक ग
4.	सम्मल	21.09.2026 (संशोधित)	संलग्नक घ

उपरोक्त समस्त तलपट मानचित्र (संलग्नक "क" से "घ") प्राधिकरण के निदेशक मण्डल के समक्ष संज्ञानार्थ एवं कार्यान्तर स्वीकृति हेतु सादर प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पर यूपीडा के निदेशक मण्डल का अनुमोदन निवेदित है।

उपरोक्त समस्त तलपट मानचित्र, पर निदेशक मण्डल के द्वारा कार्यान्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-24

मे0 कैनपैक द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र के सशर्त अनुमोदन के सम्बन्ध में

1. पृष्ठभूमि

मे0 कैनपैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एकीकृत विनिर्माण एवं लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (IMLC), उन्नाव में स्थित भूखण्ड सं.-01, क्षेत्रफल 24.4875 हेक्टेयर (लगभग 60.51 एकड़) का आवंटन दिनांक 04.03.2025 किया गया है तथा दिनांक 18.06.2025 को पट्टा प्रलेख निष्पादित किया गया।

पट्टा प्रलेख निष्पादन के उपरान्त आवंटी द्वारा दिनांक 30.12.2025 को प्रस्तावित भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रस्ताव का परीक्षण प्राधिकरण की 87वीं बोर्ड बैठक के निर्णय के क्रम में वर्तमान में लागू "Greater Noida Industrial Development Area Building Regulations, 2010" के प्रावधानों के अनुसार किया गया। आवंटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं लागू भवन विनियमों का तुलनात्मक विवरण निम्नवत है:-

क्र. सं.	विकास मानक	भवन विनियमों के अनुसार	आवंटी द्वारा प्रस्तावित
1.	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	55 प्रतिशत	19 प्रतिशत
2.	अधिकतम अनुमन्य FAR	1.00	0.31
3.	न्यूनतम निर्मित क्षेत्र	अनुमन्य FAR का 20 प्रतिशत	30.89 प्रतिशत
4.	न्यूनतम हरित क्षेत्र	खुले क्षेत्र का 50 प्रतिशत (55096.0 वर्ग मी.)	50.81 प्रतिशत (55985.57 वर्ग मी.)
5.	पार्किंग	अनुमन्य FAR के प्रत्येक 100 वर्गमीटर पर 01 ECS (कुल 2,449 ECS)	2,484 ECS
6.	अधिकतम ऊंचाई	No Limit (for Building height more than 30m Airport Authority NOC required)	40.80 m for Multilevel Parking Building & 12.80 m for other Building

2. आवंटी का अनुरोध

प्राधिकरण में प्रस्तुत भवन मानचित्र के परीक्षणोपरान्त निर्गत अपत्ति के क्रम आवंटी द्वारा भवन नियमावली के अनुरूप अधिकतम अनुमन्य FAR के सापेक्ष वांछित पार्किंग की व्यवस्था हेतु मल्टी लेवल पार्किंग (MLP) भवन का प्रस्ताव करते हुए आवश्यक भूमि तलपट मानचित्र में आरक्षित किया गया है।

तत्पश्चात् आवंटी द्वारा ई-मेल (संलग्नक-क) के माध्यम से अवगत कराया गया कि भवन नियमावली के अनुसार मल्टी लेवल पार्किंग हेतु निर्धारित क्षेत्र भूखण्ड के तलपट मानचित्र में प्रदर्शित कर दिया गया है तथा MLP के निर्मित क्षेत्र सहित वांछित सम्पूर्ण भवन अनुज्ञा शुल्क भी जमा कर दिया गया है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि वर्तमान चरण में MLP का निर्माण प्रस्तावित न होने के कारण उसका संरचनात्मक डिजाइन तैयार नहीं कराया गया है, फलस्वरूप IIT भुवनेश्वर द्वारा निर्गत संरचनात्मक स्थिरता का सत्यापन प्रमाण-पत्र में उक्त भाग सम्मिलित नहीं है।

इसके अतिरिक्त अवगत कराना है कि संबंधित MLP भवन की प्रस्तावित ऊँचाई 40.80 मीटर है। आवंटी द्वारा इस संबंध में एक शपथ-पत्र/अंडरटेकिंग (संलग्नक-ख) भी प्रस्तुत की गई है, जिसमें यह आश्वासन दिया गया है कि वर्तमान में MLP भवन का प्रस्ताव भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु तलपट मानचित्र में भवन नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप किया गया है तथा परियोजना के अंतर्गत किसी भी भवन की ऊँचाई 30.00 मीटर से अधिक नहीं रखी जाएगी। भविष्य में यदि किसी भवन की ऊँचाई 30.00 मीटर से अधिक प्रस्तावित की जाती है, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (Airport Authority of India) से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्राप्त करने के उपरान्त ही तदनुसार निर्माण कार्य कराया जाएगा। अतः MLP के संरचनात्मक डिजाइन के सत्यापन प्रमाण पत्र एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता प्रथम चरण में स्थगित रखते हुए भवन मानचित्र का सशर्त अनुमोदन प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

3. परीक्षण एवं अभिमत

प्रकरण का परीक्षण Greater Noida Industrial Development Area Building Regulations- 2010 के प्राविधानों के आलोक में किया गया। परीक्षण में पाया गया कि भवन विनियमों के अनुसार अपेक्षित पार्किंग 2,449 ई.सी.एस. के सापेक्ष आवंटी द्वारा 2,484 ई.सी.एस. पार्किंग का प्रावधान किया गया है तथा मल्टी लेवल पार्किंग हेतु अपेक्षित क्षेत्र भूखण्ड ले-आउट में आरक्षित रखा गया है। संदर्भित नियमावली की पार्किंग प्राविधान से सम्बन्धित तालिका 5 के टिप्पणी में निम्न उल्लेख है:-

"(iii) Development of parking facilities may be permitted proportionately on the basis of proposed phase-wise development. However, provision of parking facilities has to be made on the basis of maximum permissible F.A.R."

उपरोक्त प्राविधान के कम में यद्यपि भवन मानचित्र में अधिकतम अनुमन्य एफओओआर0 के अनुरूप पार्किंग की व्यवस्था किया जाना उल्लिखित है, तथापि पार्किंग सुविधा का विकास चरणबद्ध निर्माण के आधार पर किए जाने का प्राविधान है।

वर्तमान चरण में आवंटी द्वारा मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण प्रस्तावित न किए जाने के कारण उसका संरचनात्मक डिजाइन एवं संरचनात्मक परीक्षण (Structural Vetting) एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में आवंटी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण भविष्य में आवश्यकता होने पर तथा निर्माण से पूर्व प्राधिकरण में उक्त प्रपत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही किया जाएगा।

प्रस्तुत अनुरोध भवन नियमावली के अंतर्गत निर्धारित पार्किंग मानकों में किसी प्रकार की छूट प्रदान किए जाने का नहीं है अपितु मल्टी लेवल पार्किंग हेतु भविष्य में आवश्यकता होने पर संदर्भित भवन संरचनात्मक डिजाइन एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवश्यक प्रपत्र हेतु सशर्त अनुमोदन प्रदान किये जाने से संबंधित है।

4. वित्तीय निहितार्थ

आवंटी द्वारा निर्धारित भवन अनुज्ञा शुल्क जमा किया जा चुका है। अतः इस प्रस्ताव से प्राधिकरण पर कोई अतिरिक्त वित्तीय दायित्व उत्पन्न नहीं होगा।

5. प्रस्ताव

उपरोक्त तथ्यों, आवंटी द्वारा प्रस्तुत अनुरोध एवं अंडरटेकिंग के दृष्टिगत, निम्नलिखित शर्तों के अधीन मे0 कैनपैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के भवन मानचित्र के सशर्त अनुमोदन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया है:-

- (क) मल्टी-लेवल पार्किंग हेतु निर्धारित क्षेत्र को भवन के ले-आउट में यथावत आरक्षित रखा जाएगा।
- (ख) वर्तमान स्वीकृति के आधार पर मल्टी-लेवल पार्किंग का निर्माण प्रारम्भ नहीं किया जाएगा। उक्त निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व आई.आई.टी.एन.आई.टी. अथवा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित समकक्ष संस्था से संरचनात्मक डिजाइन का परीक्षण कराकर उसकी संस्तुति प्राप्त करना तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उक्त परीक्षण एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र से संबंधित अभिलेख प्राधिकरण में प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त ही मल्टी-लेवल पार्किंग का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।
- (ग) उक्त स्वीकृति को भवन नियमावली के किसी भी प्रावधान में छूट के रूप में नहीं माना जाएगा। भवन निर्माण से संबंधित सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
- (घ) मल्टी-लेवल पार्किंग हेतु आरक्षित क्षेत्र का उपयोग प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

6. बोर्ड से अनुमोदन अपेक्षित

उपर्युक्त प्रस्तर संख्या-5 में उल्लिखित शर्तों के अधीन मे० कैनपैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, भूखण्ड सं.-01, आई.एम.एल.सी., उन्नाव के भवन मानचित्र हेतु सशर्त प्रदत्त अनुमोदन की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-25

मे० एक्वाब्रीज होल्डिंग्स लि० की इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर फार्म एवं एक्वाटिक परियोजना की स्थापना हेतु प्रस्तावित आई०एम०एल०सी उन्नाव के तलपट मानचित्र में भूखण्ड संख्या 02 (24.484 हे०) के संशोधित भू उपयोग के सम्बन्ध में अनुमोदन हेतु

1. पृष्ठभूमि

मे० एक्वाब्रीज होल्डिंग्स लि०, यू०ए०ई० की इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर फार्म एवं एक्वाटिक परियोजना की आई०एम०एल०सी उन्नाव में भूखण्ड संख्या 02 पर स्थापना हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 14.09.2026 को प्रदत्त सैधान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। (संलग्नक-क)।

तत्कम में पी.एम.सी. सलाहकार द्वारा आई०एम०एल०सी उन्नाव में भूखण्ड संख्या 02 के भूमि उपयोग को सामान्य औद्योगिक जोन से पृथक कर एक स्वतंत्र उपयोग-जोन के रूप में तलपट मानचित्र में समायोजित करते हुए पत्रांक PMC/IMLCC/UPEIDA/2026-27/1292 दिनांक 21.10.2026 द्वारा प्रस्तुत किया गया है। संशोधित तलपट मानचित्र (R5) संलग्नक-ख पर सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

2. संशोधन की प्रकृति

सलाहकार द्वारा निम्न संशोधन तलपट मानचित्र में प्रस्तावित किये गये हैं:-

- भूखण्ड संख्या-02, क्षेत्रफल 24.484 हेक्टेयर (60.502 एकड़) को इण्डस्ट्रियल जोन से पृथक करते हुए एक स्वतंत्र "Integrated Aqua Farm And Aquatic Research Centre (IAFARC) Use Zone" के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। उक्त क्षेत्र को एरिया स्टेटमेंट में पृथक रूप से "Area Proposed under IAFARC Use Zone (B)" के रूप में दर्शाया गया है।
- भूखण्ड संख्या 02 की सीमा, आकार, आयाम एवं क्षेत्रफल पूर्व अनुमोदित ले-आउट (R4) से अपरिवर्तित हैं। केवल उसकी उपयोग-श्रेणी (यूज-जोन क्लासिफिकेशन) में परिवर्तन प्रस्तावित किया गया है।
- इस संशोधन से किसी अन्य भूखण्ड (भूखण्ड संख्या 1, 3, 4, 5A अथवा 5B) तथा तलपट मानचित्र में दर्शाई गई किसी भी सड़क, ग्रीन बेल्ट, फेसिलिटी अथवा यूटिलिटी क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

उपरोक्त के क्रम में भूउपयोग वितरण की तुलनात्मक तालिका निम्नानुसार है:-

विवरण	पूर्व अनुमोदित तलपट मानचित्र (R4) के अनुसार क्षेत्रफल (हे०)	प्रस्तावित संशोधित तलपट मानचित्र (R5) के अनुसार क्षेत्रफल (हे०)	कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत (R5 के अनुसार)	परिवर्तन
इंडस्ट्रियल जोन- भूखण्ड संख्या 1, 3, 4, 5A एवं 5B	96.793 (भूखण्ड संख्या 02 24.484 सहित)	72.309 (केवल भूखण्ड संख्या 02 को छोड़ते हुए 24.484 सहित)	53.3 प्रतिशत	24.484 हे० (पुनर्वर्गीकृत भूखण्ड संख्या 02 का क्षेत्रफल) की कमी
IAFARC उपयोग जोन-भूखण्ड संख्या 02	0 (भूखण्ड संख्या 02 इंडस्ट्रियल जोन का भाग था)	24.484	18.0 प्रतिशत	भूखण्ड संख्या 02 हेतु नई उपयोग-श्रेणी सृजित, सीमा, आकार अथवा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं
कुल विक्रेय क्षेत्रफल (इंडस्ट्रियल + IAFARC)	96.793	96.793	71.3 प्रतिशत	कोई परिवर्तन नहीं
फेसिलिटीज हेतु क्षेत्रफल	3.675	3.675	2.9 प्रतिशत	कोई परिवर्तन नहीं
यूटिलिटी सेवाओं हेतु क्षेत्रफल	3.162	3.162	2.3 प्रतिशत	कोई परिवर्तन नहीं
सड़कों के अंतर्गत क्षेत्रफल	10.281	10.281	7.6	कोई परिवर्तन नहीं

विवरण	पूर्व अनुमोदित तलपट मानचित्र (R4) के अनुसार क्षेत्रफल (हे०)	प्रस्तावित संशोधित तलपट मानचित्र (R5) के अनुसार क्षेत्रफल (हे०)	कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत (R5 के अनुसार)	परिवर्तन
कॉमन ग्रीन के अंतर्गत क्षेत्रफल	21.649	21.649	15.9 प्रतिशत	कोई परिवर्तन नहीं
कुल साइट क्षेत्रफल (राजस्व अभिलेखों के अनुसार)	135.761	135.761	100 प्रतिशत	कोई परिवर्तन नहीं

अतः उक्त संशोधन विक्रय योग क्षेत्रफल के भीतर एक आंतरिक पुनर्वर्गीकरण है, जिसमें विक्रय योग क्षेत्रफल, हरित क्षेत्रफल, सड़क क्षेत्रफल अथवा यूटिलिटी/फैसिलिटी क्षेत्रफल में कोई वृद्धि अथवा कमी नहीं है।

3. प्रस्ताव

उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत बोर्ड के समक्ष निम्नलिखित प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है:-

1. आई०एम०एल०सी उन्नाव के संशोधित भूमि उपयोग मानचित्र (R5) का अनुमोदन प्रदान किया जाए, जिसके अन्तर्गत भूखण्ड संख्या 02, क्षेत्रफल 24.484 हेक्टेयर (60.502 एकड़), को सामान्य औद्योगिक जोन से पृथक् कर एक एकिकृत उपयोग जोन यथा इंटीग्रेटेड एक्वा फार्म एवं एक्वाटिक रिसर्च सेंटर (IAFARC) उपयोग जोन के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
2. उक्त संशोधन के परिणामस्वरूप कुल परियोजना क्षेत्रफल, कुल विक्रय योग्य क्षेत्रफल, फैसिलिटी क्षेत्र, यूटिलिटी क्षेत्र, सड़क क्षेत्र एवं कॉमन ग्रीन क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा भूखण्ड संख्या 02 की सीमा, आकार, आयाम एवं क्षेत्रफल पूर्ववत् रहेंगे।
3. उक्त निर्णय के क्रियान्वयन हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को आवश्यक समस्त आनुषंगिक कार्यवाही किए जाने हेतु अधिकृत किया जाए।

उपर्युक्त प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-26

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरणों हेतु मॉडल भवन विनियम, 2026 के अनुसार यूपीडा में भवन मानचित्रों के परीक्षण और अनुमोदन की प्रक्रिया अंगीकृत किये जाने व मॉडल भवन विनियम, 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रस्ताव तथा यूपीडा द्वारा तथा प्राधिकरण स्तर पर आवश्यक प्रावधानों एवं शुल्कों के निर्धारण हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा को प्राधिकृत किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुमोदनार्थ

प्राधिकरण की 87वीं बोर्ड बैठक दिनांक 13.02.2024 में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में प्रचलित भवन विनियमों को यूपीडा में अंगीकृत किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। तदनुसार, वर्तमान में प्राप्त भवन मानचित्र अनुमोदन संबंधी आवेदनों का परीक्षण उक्त अंगीकृत विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है।

इस संबंध में संलग्नक-क पर संलग्न अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 5310/77-4-26-5531/24, दिनांक 12.10.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 9(2) एवं धारा 19 के अंतर्गत "उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरणों हेतु मॉडल भवन विनियम, 2026" के अंग्रेजी संस्करण के अनुमोदन से अवगत कराते हुए उक्त विनियमों के अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में प्रचलित भवन विनियमों से संबंधित पूर्व में निर्गत शासनादेशों को निरस्त किए जाने के संबंध में भी अवगत कराया गया है।

मॉडल भवन विनियम, 2026 के प्रस्तर 1.1(ii) में प्रावधानित है कि—

"They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette."

अर्थात् उक्त विनियम राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे। अतः राजकीय गजट में इनके प्रकाशन के उपरांत यूपीडा में भवन मानचित्रों के परीक्षण एवं अनुमोदन की प्रक्रिया को नवीन विनियमों के अनुरूप संचालित किया जाना अपेक्षित होगा।

उक्त विनियमों के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत कतिपय विषयों पर संबंधित प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा निर्णय लिए जाने तथा प्रस्तर 2.6 के अंतर्गत विकास/भवन अनुज्ञा शुल्क निर्धारित किए जाने का प्रावधान है। अतः विनियमों के प्रभावी, सुगम एवं समयबद्ध क्रियान्वयन तथा आवंटियों/आवेदकों को सरल, पारदर्शी एवं उपयोगकर्ता-केंद्रित सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, राजकीय गजट में विनियमों के प्रकाशन के उपरांत यूपीडा के स्तर पर आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

तदनुसार, मॉडल भवन विनियम, 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाने वाले विषयों, विकास/भवन अनुज्ञा शुल्क एवं अन्य आवश्यक प्रक्रियात्मक प्रावधानों के संबंध में विनियमों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार करने, आवश्यक परीक्षण करने तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा को प्राधिकृत किए जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।

प्रस्ताव के अनुमोदन की स्थिति में, इस संबंध में की गई कार्यवाही एवं लिए गए निर्णयों को आगामी बोर्ड बैठक के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-27

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के सिविल कार्यों हेतु बैंको के कंसोर्शियम से लिए गये ऋण का पंजाब नेशनल बैंक द्वारा अधिग्रहण (takeover) अधिग्रहण सम्बन्धी शर्तों व प्रक्रिया के सम्बन्ध में संज्ञानार्थ व अनुमोदन हेतु

1. शासनादेश सं० 2256/77-3-18-93एम/17 दिनांक 05 जुलाई 2018 के माध्यम से शासन ने यूपीडा को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के सिविल निर्माण कार्य हेतु बैंकों से ₹0 12000.00 करोड़ का ऋण प्राप्त करने का अनुमोदन प्रदान किया था।
2. यूपीडा ने पंजाब नेशनल बैंक के नेतृत्व में 11 राष्ट्रीकृत बैंकों के कंसोर्शियम से केवल ₹0 11300.00 करोड़ का ऋण स्वीकृत करवाया तथा ₹0 11300.00 करोड़ के स्वीकृत बैंक ऋण के सापेक्ष परियोजना हेतु मात्र ₹0 9008.58 करोड़ का ऋण आहरित किया था।
3. ऋण का भुगतान 30 जून 2021 से 12 वर्षों में 48 त्रैमासिक किस्तों में किया जाना है। दिनांक 31 अगस्त 2026 को कुल बकाया ऋण राशि ₹0 4015.31 करोड़ थी जिसमें पंजाब नेशनल बैंक का ₹0 951.88 करोड़ एवं अन्य आठ बैंकों का ₹0 3063.43 करोड़ ऋण था।

Project	Bank/Fl	Date of Sanction	Sanctioned	Disbursed	Outstanding 25 Aug 2026	August-26 RoI (%)
Purvanchal Expressway Project • Repayment: Equal Quarterly Instalment Rs. 180.87/05,239.00 Spread over 12 year • Instalment Commenced form June 2021 Full Repayment by March 2032 • Rate of Interest 6 month's MCLR, Average 8.65%	Punjab National Bank	08.10.2018	2300.00	2077.75	951.88	8.60
	Indian Bank	07.11.2018	3000.00	2710.16	1244.82	8.75
	erst Allahabad Bank	30.08.2018				
	Bank of Baroda	28.09.2018	2000.00	1806.77	825.10	8.65
	erst Vjaya Bank	29.11.2018				
	Union Bank of India	18.10.2018	1000.00	672.66	287.00	8.60
	Punjab & Sind Bank	15.12.2018	500.00	451.67	208.90	8.70
	Bank of Maharashtra	23.09.2019	500.00	345.34	149.88	8.70
	Bank of India	17.03.2020	1000.00	490.42	188.44	8.65
	Central Bank of India	14.05.2020	500.00	250.29	95.27	8.65
	UCO Bank	21.08.2020	500.00	203.52	64.02	8.65
	Total		11300.00	9008.58	4015.31	

4. उक्त ऋण पर कंसोर्शियम लीडर बैंक – पंजाब नेशनल बैंक की यूपीडा के ऋण पर ब्याज दर उसकी छः माह की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडस बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) तथा कंसोर्शियम में सम्मिलित अन्य बैंकों की ब्याज दर 'प्रत्येक बैंक के 06 माह की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडस बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) या कंसोर्शियम बैंक— पंजाब नेशनल बैंक की 06 माह की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडस बेस्ड लेंडिंग रेट जो भी अधिक हो' है। माह अगस्त 2026 के दौरान उक्त ऋण पर बैंक की ब्याज दर 8.60 प्रतिशत से लेकर 8.75 प्रतिशत थी। औसत ब्याज दर 8.65 प्रतिशत होती है।

5. बैंक ऋण पर यूपीडा की ब्याज देयता को कम करने के उद्देश्य से चार सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एवं 11 राष्ट्रीय बैंकों को उक्त ऋण का अधिग्रहण करने हेतु यूपीडा ने "रूचि की अभिव्यक्ति" प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया था।
6. उक्त के क्रम में दो सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं, एस0बी0आई0 एवं 08 राष्ट्रीय बैंकों ने सीलबंद लिफाफों में दिनांक 10 सितम्बर 2026 को प्रस्ताव प्राप्त हुए जो बैंक प्रतिनिधियों एवं यूपीडा द्वारा वित्त नियंत्रक की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यी समिति के समक्ष खोले गये और पंजाब नेशनल बैंक द्वारा इंगित ब्याज दर 7.49 प्रतिशत (linked to Repo Rate of RBI) सबसे कम पायी गयी। कंसोर्शियम के आठ सदस्य बैंकों के रू0 3063.43 करोड़ के ऋण का समय पूर्व भुगतान करने पर कोई पेनाल्टी देय नहीं है।
7. पंजाब नेशनल बैंक द्वारा इस संबंध में यूपीडा को जारी ऋण स्वीकृति पत्र संलग्न है, जिसके अनुसार ब्याज के अतिरिक्त कंसोर्शियम ऋण की शर्तों में कोई बदलाव नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक के ऋण स्वीकृति पत्र के अनुसार बैंक को कोई भी प्रभार (upfront fees, Handling charges, annual review charges, commitment charges, inspection charges, documentation charges, prepayment/other charges) देय नहीं होगा। पंजाब नेशनल बैंक के स्वीकृति पत्र में निम्न प्रतिभूति की अपेक्षा की गयी है:-
 - i. उक्त अधिग्रहित ऋण तथा पंजाब नेशनल बैंक के विद्यमान ऋण रू0 951.88 करोड़ के बकाया ऋण को शामिल करते हुए कुल ऋण राशि रू0 4015.31 करोड़ या ऋण अधिग्रहण के समय बकाया राशि के सापेक्ष पंजाब नेशनल बैंक के पक्ष में उनके द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उ0प्र0 सरकार द्वारा गारंटी जारी की जाएगी।
 - ii. उक्त ऋण पर उद्भूत ब्याज राशि व मूलधन तथा अन्य देयताओं की अदायगी आगामी 04 वर्षों में मासिक/त्रैमासिक आधार पर किए जाने हेतु यूपीडा के टोल से आय के स्रोतों में, यदि किसी भी समय पर कोई कमी हो तो, उसे शासन द्वारा बजट प्राविधान के अंतर्गत पूर्ण किया जाएगा।
 - iii. उक्त अधिग्रहित ऋण रू0 3063.43 करोड़ तथा पंजाब नेशनल बैंक के विद्यमान ऋण रू0 951.88 करोड़ (कुल ऋण राशि रू0 4015.31 करोड़) या ऋण अधिग्रहण के समय बकाया ऋण राशि के सापेक्ष उ0प्र0 शासन द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के पक्ष में इस आशय का एक सहमति पत्र जारी किया जाना भी अपेक्षित है कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा निर्धारित "रिपेमेंट शेड्यूल" के अनुरूप किस्त/ब्याज/देयताएँ चुकाने के लिए यदि यूपीडा की टोल से आय के स्रोतों में, यदि किसी भी समय पर कोई कमी हो, तो ऋण किस्त/ब्याज के भुगतान हेतु शासन द्वारा यूपीडा को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा उ0प्र0 शासन द्वारा राज्य बजट में प्रतिवर्ष यथा आवश्यक प्राविधान यूपीडा के पक्ष में किया जाएगा।
 - iv. पंजाब नेशनल बैंक द्वारा एवं इस प्रस्ताव के साथ संलग्न एक अण्डरटेकिंग भी यूपीडा द्वारा बैंक को दी जानी है।

उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करने पर यूपीडा की निम्न लाभ होंगे:-

- ऋण की बकाया अवधि पर रू0 13.00 लाख प्रतिदिन तथा कुल 135.00 करोड़ की ब्याज की बचत होगी।
- ऋण के सापेक्ष जारी रू0 11300.00 करोड़ की शासकीय गारण्टी में से लगभग रू0 7300.00 करोड़ की शासकीय गारण्टी अवमुक्त हो जाएगी।
- यूपीडा को 09 बैंकों की बजाय केवल एक बैंक को ही समय-समय पर परिपालन (compliance) देनी होगी।
- उक्त के कारण 09 बैंकों में 11 ऋण खातों की बजाय केवल एक बैंक - पंजाब नेशनल बैंक में एक ऋण खाता हो जाएगा जिससे यूपीडा को ऋण खाते का मिलान करने में सुविधा होगी।
- पंजाब नेशनल बैंक कंसोर्शियम का लीडर है, जिससे राज्य सरकार ने उसे 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' जारी किया है। इसके अलावा, यूपीडा द्वारा एस्को अकाउंट और DSRA पंजाब नेशनल बैंक के पास रखा है। इसलिए कंसोर्शियम ऋण से एकल बैंक जो कंसोर्शियम लीडर बैंक द्वारा ऋण अधिग्रहण सुगमता से हो जाएगा।

पंजाब नेशनल बैंक द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु कंसोर्शियम के अन्य आठ बैंकों का रू0 3063.43 करोड़ ऋण का अधिग्रहण (takeover) करने के प्रस्ताव का अनुमोदन देने हेतु उ0प्र0 शासन से अनुरोध किया गया था। अवस्थापना विकास अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन ने अपने पत्रांक 1/1500395/2026 दिनांक 22.10.2026 द्वारा उक्त ऋण का पंजाब नेशनल बैंक द्वारा निम्न शर्तों के अधीन अधिग्रहण किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है।

- (1) पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के सिविल कार्यों हेतु बैंकों के कंसोर्शियम से लिये गये ऋण के सापेक्ष अवशेष मूलधन रू0 4015.31 करोड़ का अधिग्रहण (टेकओवर) पंजाब नेशनल बैंक द्वारा किये जाने हेतु, वर्तमान में स्वीकृत




एवं प्रभावी शासकीय गारंटी को निरस्त कराकर, ₹0 4015.31 करोड़ (अथवा) ऋण अधिग्रहण के समय बकाया ऋण राशि) की नई शासकीय गारंटी दिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया।

(2) यूपीडा द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में पूर्व में हस्ताक्षरित कार्टर गारंटी निरस्त कर पुनः काउण्टर गारंटी हस्ताक्षरित की जायेगी।

(3) गारंटी शुल्क के संबंध में स्थिति मूल रूप से स्वीकृत पूर्व गारंटी के संबंध में लिए गये निर्णय के अनुसार अपरिवर्तित रहेगी।

यूपीडा के वित्तीय हितों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 23.10.2026 पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ऋण अधिग्रहण हेतु ऋण प्रलेखों (Loan Documents) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा श्री श्रीहरि प्रताप शाही को अधिकृत किया, जिनके द्वारा उक्त दिनांक को बैंक द्वारा ऋण अधिग्रहण हेतु ऋण प्रलेखों (Loan Documents) का निष्पादन किया।

मा0 निदेशक मण्डल से अनुरोध है कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ऋण अधिग्रहण की स्वीकृति की शर्तों के अधीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बकाया ऋण का बैंक द्वारा अधिग्रहण करने एवं बैंक को दी गई संलग्न अंडरटेकिंग का अनुमोदन प्रदान करें, साथ ही इस संबंध में यूपीडा द्वारा की गई कार्यवाही का भी अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें।

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-28

Consideration and Ex-post-Facto approval for establishment of Integrated Aquaculture Farm & Aquatic Research Centre of M/s AquaBridge Holding Ltd., UAE, through its eligible Indian entity/SPV at Industrial Manufacturing & Logistics Cluster (IMLC), Unnao, including approval of multiple land use, allotment of approximately 24.484 hectares (60.5 acres) of land at the prevailing Industrial allotment rate (at present Rs. 5250.00 per sq m.) in IMLC Unnao.

1. Background and Government Decision

The Government of Uttar Pradesh is actively promoting investment in fisheries, aquaculture, food processing and allied value-chain activities. This strategic initiative aims to modernise production infrastructure, accelerate value addition, drive job creation, and scale state exports.

/s AquaBridge Holding Ltd., UAE has proposed establishment of an Integrated Aquaculture Farm & Aquatic Research Centre in Uttar Pradesh comprising aquaculture/fish farming, hatchery and brood-stock facilities, feed manufacturing, fish processing, packaging and distribution, research and training facilities, administrative facilities, utilities and associated infrastructure with an proposed investment of approx Rs. ₹2,907 crore Foreign Direct Investment / Promoter Equity. UPDASP has been nominated as the nodal department for implementation of this project.

The proposal was considered at the level of the State Government and was approved by the Hon'ble Council of Ministers (Mantri Parishad) and the Coordination (Samanvay) Department, Government of Uttar Pradesh, vide Office Order No. 313/73-Sam-2025-388-2024 dated 26.07.2025, communicated the decision of the State Government regarding implementation of the AquaBridge Project. Point no. 6 of the said Government Order provided for submission of the Detailed Project Report (DPR) by M/s AquaBridge Holding Ltd., UAE and examination thereof before taking further action for implementation of the project. Accordingly, the project proposal/DPR was reviewed by UPDASP and UPEIDA through a series of meetings and consultations.

Further, the Principal Secretary, Agriculture, Government of Uttar Pradesh, vide letter dated 17.06.2026, conveyed that apart from other relevant government departments, concurrence of the Industrial Development Department had also been obtained for establishment of the project in an industrial area and directed UPEIDA to process allotment of land at IMLC, Unnao and to enhance the area of the identified land parcel from approximately 52 acres to about 60 acres. Accordingly, UPEIDA has increase area of Plot no 2, measuring approximately 24.484 hectares (about 60.5 acres), at IMLC, Unnao, subject to final survey and demarcation, for consideration for allotment to the project.

2. Project Overview

As per the revised DPR, the proposed development broadly comprises the following components:

S.No.	Component	Approx. Percentage
1.	Fish Farm Zone (hatchery, grow-out, RAS and associated production infrastructure)	63.50%
2.	Feed Production Zone (feed manufacturing, storage,	25.04%

	distribution)	
3.	Fish Packing and Distribution Zone	3.15%
4.	Centre of Excellence (research, training, pilot-scale facilities)	2.05%
5.	Administration and Community Interface Zone	1.08%
6.	Circulation, parking, landscaping and boundary development;	15.78%
7.	HT line corridor, designated exclusively as green area with no construction permitted	5.18%

The proposal therefore constitutes an integrated value-chain project involving multiple mutually dependent land uses within a single campus, rather than a conventional standalone industrial unit.

3. Observations on the DPR by the UPEIDA Internal Committee

A Committee under the Chairmanship of Finance Controller has examined the AquaBridge proposal from the perspective of eligibility, land use, planning, infrastructure, water and environmental compliance, and finances. Its findings and recommendations are as mentioned hereunder (minutes of the meeting at annexure-1):

3.1 Nature of IMLC, Unnao and Integrated Multiple Land Use

IMLC, Unnao has been planned and developed by UPEIDA as an Industrial and Logistic Cluster. The proposed AquaBridge Project comprises a combination of multiple activities such as aquaculture/fish farming, hatchery and brood-stock operations, feed manufacturing, fish processing, packaging and distribution, research and development, training/Centre of Excellence, administrative facilities, internal infrastructure, utilities and green/open areas required for the project.

The above activities are not proposed as independent projects or independent commercial activities. They constitute interlinked and mutually dependent components of a single integrated aquaculture and fisheries value chain. Aquaculture forms the primary production component, while feed manufacturing, processing, packaging, research, training and other ancillary facilities are directly connected with and support the principal activity.

Considering the integrated nature of the project and the decision of the Hon'ble Council of Ministers (Mantri Parishad) for implementation of the project in an industrial area, it was proposed that the complete project may be considered by UPEIDA as a single integrated aquaculture and fisheries value chain project within IMLC, Unnao on a single plot.

Accordingly, the committee was of view that the multiple land-use components proposed in the DPR may be permitted within the identified plot as part of a single integrated project, subject to approval of the final layout and compliance with applicable statutory and regulatory requirements.

It was proposed that such approval shall be project-specific and shall:

- not alter the industrial character of IMLC, Unnao;
- not create a general precedent for other allotments; and
- remain subject to statutory, environmental, building, fire, safety and other applicable approvals.

3.2 Proposed Land Allotment

Considering the Government decision, the proposed investment of approximately ₹2,907 crore as per the latest DPR submitted by M/s AquaBridge on 15 August 2026, the integrated nature and technical requirements of the project, the requirement of a contiguous land parcel and availability of suitable land within IMLC, Unnao, it was proposed that Plot no 2, approximately 24.484 hectares (60.5 acres) at IML Unnao may be allotted for establishment of the said project.

It was also recommended that the allotment shall be made in favour of the eligible Indian subsidiary/SPV promoted/incorporated by M/s AquaBridge Holding Ltd., UAE, subject to compliance with applicable FDI/FEMA requirements and fulfilment of other prescribed conditions. The final allotted area shall be determined on the basis of actual plot survey and demarcation.

3.3 Determination of Land Premium

The identified Plot no 2 forms part of IMLC, Unnao, a notified industrial area developed by UPEIDA, governed by the land rate schedule applicable to that industrial node.

The proposed activities in the DPR comprises aquaculture production, feed manufacturing, fish processing, research, training and ancillary facilities, all proposed within a single integrated campus as functionally interdependent components of the same aquaculture and fisheries value chain. Subdivision of the land parcel for the purpose of applying differential land rates to individual functional components of the same integrated project would be contrary to the integrated nature of the project and administratively impractical.

Accordingly, the committee was of the view that the prevailing notified industrial land rate applicable to IMLC, Unnao on the date of allotment be applied uniformly to the entire project land, based on the following justification for application of the land rate equivalent to industrial land rate

1. **Location within an industrial node:** The identified plot forms part of IMLC, Unnao and is not being carved out of any separately developed institutional, commercial or other category of land.
2. **Integrated nature of the project:** The activities proposed in the DPR are functionally interdependent backward and forward linkages of a single aquaculture value chain and together constitute one integrated project. The identified plot cannot meaningfully be divided on a use-wise basis for pricing purposes.
3. **No project-specific infrastructure development by UPEIDA:** No additional infrastructure development specific to M/s AquaBridge has been proposed by UPEIDA, beyond the common infrastructure of IMLC, Unnao.
4. **Project-specific infrastructure to be developed by the project proponent:** Any specialised infrastructure required exclusively for the AquaBridge Project, including process-water arrangements, aquaculture infrastructure, internal distribution systems, specialised wastewater treatment/disposal arrangements, internal utilities and other project-specific facilities, shall be developed, operated and maintained by the project proponent at its own cost and responsibility, subject to approvals of the competent authorities.
5. **Industrial land rate is inclusive of common infrastructure:** The prevailing notified industrial land rate applicable to IMLC, Unnao is inclusive of the cost of land acquisition, development and common infrastructure provided or planned to be provided by UPEIDA for the industrial node. The AquaBridge Project, located within the node, shall only benefit from the same common infrastructure and facilities as other allottees.
6. **No financial concession:** Application of the prevailing industrial land rate does not involve any rebate, subsidy or concessional rate offered by UPEIDA. The project proponent shall be charged the prevailing industrial land premium applicable to the industrial node, without any concession.
7. **Transparent and consistent uniform valuation:** Application of a uniform industrial rate to the entire IMLC provides a transparent and administratively consistent basis for land valuation and avoids differential valuation of individual components that are physically and operationally inseparable.

However the committee also recommended that, for the land rate to be communicated to the project proponent, it is important that decision may be first taken on the land use and development norms as per building regulations and relevant framework as detailed in Point 3.6 below, since they have a direct bearing on the land premium methodology.

3.4 Development and Infrastructure Obligations

UPEIDA plans to provide such common infrastructure and services as are commonly planned and provided for IMLC, Unnao and within the design capacity of such infrastructure.

Any infrastructure required specifically by the AquaBridge Project, including process-water arrangements, aquaculture-related infrastructure, internal distribution systems, internal utilities, wastewater treatment and disposal arrangements and other specialised facilities required for operation of the project, shall be developed, operated and maintained by the project proponent at its own cost and responsibility, in accordance with the approvals and conditions prescribed by the competent statutory and regulatory authorities.

No additional project-specific infrastructure development of the earmarked parcel, over and above the common infrastructure commonly planned and provided for IMLC, Unnao, is proposed to be undertaken by UPEIDA specifically for the project.




Separately, wherever amendment or modification of any approval held by UPEIDA in respect of IMLC, Unnao is required for facilitating implementation of the project with respect to infrastructure, UPEIDA may process the same before the competent authority, subject to fulfilment of the applicable technical, statutory and financial requirements, including bearing of all associated costs by the project proponent.

3.5 Environmental Clearance, Water and Wastewater Management

The proposed AquaBridge Project has specialised water and wastewater management requirements arising from its integrated aquaculture, processing and allied activities.

The project proponent shall be responsible for identifying and establishing the required source of water for the balance requirement, over and above the capacity committed by UPEIDA, and for obtaining necessary permissions and allocations from the competent authorities.

The wastewater management system for the project, including treatment, recycling/reuse and final disposal, shall be designed and implemented in accordance with the Environmental Clearance, Consent to Establish, Consent to Operate and other approvals and conditions prescribed by the competent environmental and pollution-control authorities.

Requirement of Modification in EC: Since the proposed project is to be established within IMLC, Unnao and may require modification or amendment of the Environmental Clearance presently applicable to the industrial node, UPEIDA may process the requisite amendment or modification of the Environmental Clearance before the competent authority, as may be required for facilitating establishment of the proposed project. For this purpose, the project proponent shall have to provide all project-specific technical information, studies, reports and documentation required for processing such amendment or modification and shall bear the project-specific expenditure, statutory fees and compliance costs. However, any expenditure incurred by UPEIDA towards revision/modification of the Environmental Clearance applicable to the Industrial Node shall be excluded from the aforesaid liability of the Project Proponent.

3.6 Planning Framework

The committee examined the proposal with reference to the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976, the UPEIDA Land Development & Building Regulations, 2021 and the Greater Noida Building Regulations presently adopted by UPEIDA. As per the revised DPR, the project comprises an integrated campus of 24,484 hectares (approximately 60.5 acres), the zone-wise land allocation for which is mentioned below:

S.No.	Component	Approx. Percentage
1.	Fish Farm Zone (hatchery, grow-out, RAS and associated production infrastructure)	63.50%
2.	Feed Production Zone (feed manufacturing, storage, distribution)	25.04%
3.	Fish Packing and Distribution Zone	3.15%
4.	Centre of Excellence (research, training, pilot-scale facilities)	2.05%
5.	Administration and Community Interface Zone	1.08%
6.	Circulation, parking, landscaping and boundary development;	15.78%
7.	HT line corridor, designated exclusively as green area with no construction permitted	5.18%

The UPEIDA Land Development & Building Regulations, 2021 recognise Pisciculture as a permissible agricultural activity under the Agriculture Use Zone and Fisheries Industries as an Industrial Use Premise under Clause 6.2.64. However, no specific development control framework exists for an integrated project combining aquaculture, industrial processing, research and support facilities within a single campus.

Government communications relating to the project envisage its establishment within IMLC Unnao. The applicable planning framework and development controls, however, require determination of FAR and other relevant parameters under the regulations presently applicable to UPEIDA.

Clause 24.8.9 of the Greater Noida Building Regulations empowers the Competent Authority to adopt development norms applicable to comparable use premises where specific standards have not been prescribed. Hence, adopting the UPEIDA Land Development & Building Regulations, 2021, read with the Greater Noida Building Regulations 24.8.9), the said plot shall be governed by a permissible FAR of 0.6 and maximum ground coverage of 50%. Within this, support facilities for the Centre of Excellence and Administration & Community Interface zones, including any commercial usage forming part thereof, shall not exceed **4% of permissible FAR in aggregate** — a limit the research, training and administrative facilities (approx. 3% of the proposed development) fall within. The applicant shall be intimated that all three components shall be strictly for captive use of the project and shall together remain within this 4% FAR ceiling; no standalone commercial usage beyond captive requirements shall be permissible.

It is noted that UPEIDA, had earlier intimated UPDASP that the Greater Noida Building Regulations are presently applicable within its industrial areas; adoption of Use Premises No. 48 of the UPEIDA Regulations-2021, as proposed in the DPR.

Planning Options

Option 1: Integrated Development

Treat the proposal as a single integrated fisheries project under Use Premises No. 69 (Fisheries Industries), with development controls determined under Clause 24.8.9 by adopting comparable provisions where required. Ancillary research, training and administrative facilities may be regulated as support facilities in accordance with the provisions applicable to Use Premises No. 48 (Mixed Industrial Use), as adopted under Clause 24.8.9, and within the 4% support-facility ceiling referred to above.

Option 2: Component-wise Regulation

Regulate aquaculture, industrial processing and institutional facilities separately under their respective use categories with independent development controls.

The committee was of the opinion that the integrated nature of the project and the Government decision to establish it within IMLC Unnao, Option 1 provides the more practical planning framework. The project may therefore be examined as a single integrated development under Use Premises No. 69, with development norms determined under Clause 24.8.9), pending notification of UPEIDA's own Land Development Regulations, in respect of the present proposal.

4. Recommendations of the Committee for Approval of the Chief Executive Officer

In view of the decision of the Hon'ble Council of Ministers (Mantri Parishad), subsequent directions of the State Government, examination of the DPR and availability of suitable land at IMLC, Unnao, the following recommendations were placed before the CEO for approval in principle, subject to final ex post facto approval of the Board prior to issuance of the final allotment letter:

4.1 Approval of Project: In principle approval regarding establishment of the Integrated Aquaculture Farm & Aquatic Research Centre of M/s AquaBridge Holding Ltd., UAE through its eligible Indian subsidiary/SPV at IMLC, Unnao, in pursuance of the decision of the Hon'ble Council of Ministers (Mantriparishad) communicated vide Office Order No. 313/73-Sam-2025-388-2024 dated 26.07.2025.

4.2 Approval of Integrated Land Use and Development Norms: In-principle approval on a project-specific basis, aquaculture production, hatchery operations, feed manufacturing, fish processing and packaging, research and training, administration, utilities, roads, green areas and other ancillary and supporting facilities proposed in the DPR as integral components of the Integrated Aquaculture Farm & Aquatic Research Centre (AquaBridge Project).

The project shall be regulated as a single integrated development under Use Premises No. 69 (Fisheries Industries), with development norms determined under Clause 24.8.9) of the Greater Noida Building Regulations by reference to Use Premises No. 48 (Mixed Industrial Use), wherever applicable. It was recommended that a **maximum FAR of 0.6 and maximum ground coverage of 50%** for the entire plot, as examined in Section 3.6 above, be approved. Ancillary and support facilities, including the Centre of Excellence and the Administration & Community Interface zone, shall be regulated within the **4% support-facility ceiling** referred to in Section 3.6 above, subject to verification at the building plan approval stage. Pending notification of UPEIDA's own Land Development Regulations, the Greater Noida Building Regulations and the relevant

provisions of the UPEIDA Land Development & Building Regulations, 2021 shall apply to the present project to the extent applicable.

This recommendation was specific to the present project, shall not alter the industrial character of IMLC, Unnao and shall not constitute a precedent for land use or development controls applicable to any other allotment within the node.

4.3 Approval of Land Allotment: Approval for in-principle allotment of approximately 24.484 hectares (60.5 acres) of the identified/earmarked land at IMLC, Unnao to the eligible Indian subsidiary/SPV of M/s AquaBridge Holding Ltd., UAE, subject to final survey and demarcation, compliance with FDI/FEMA requirements, confirmation of Government of India approvals for the investment structure, fulfilment of applicable statutory requirements and terms and conditions stipulated by UPEIDA.

4.4 Approval of Land Premium: In-principle approval for the land premium for the entire allotted parcel be charged at the prevailing notified industrial land rate applicable to IMLC, Unnao on the date of allotment, subject to verification and confirmation of the presently applicable rate prior to issuance of the allotment letter.

As recorded in Section 3.3 above, communication of the land rate to the project proponent shall follow, and not precede, finalisation of the land use and development control framework recommended in Section 4.2 above.

4.5 Infrastructure Obligations: UPEIDA may provide the approved infrastructure commonly planned and provided for IMLC, Unnao within its design capacity, while project-specific infrastructure and specialised facilities required exclusively for the AquaBridge Project be developed, operated and maintained by the project proponent at its own cost and responsibility.

4.6 Environmental and Statutory Approvals: UPEIDA may process such amendment or modification of the Environmental Clearance applicable to IMLC, Unnao as may be specifically required for establishment of the proposed project. The project proponent shall provide the requisite technical studies, project-specific information and documentation and shall bear the applicable project-specific statutory fees, study costs and compliance expenditure. All project-specific statutory approvals, including Consent to Establish, Consent to Operate, water-related permissions and other regulatory approvals, shall be obtained and complied with by the project proponent, in coordination with UPEIDA wherever such coordination is required. However, any expenditure incurred by UPEIDA towards revision/modification of the Environmental Clearance applicable to the Industrial Node shall be excluded from the aforesaid liability of the Project Proponent.

4.7 Authorisation to Chief Executive Officer, upon approval by the Board

It was recommended that subject to the CEO's In-principle approval on the above points, the proposal shall be put up to UPEIDA's Board for authorisation of the Chief Executive Officer to finalise the terms and conditions of allotment, impose appropriate project-specific conditions, approve the layout/development proposal in accordance with applicable provisions, execute the lease deed and take all consequential actions necessary for implementation of the decision.

5. In-principle approval by the Chief Executive Officer

In anticipation of ex-post-facto-approval of the UPEIDA Board, In-principle approval by the Chief Executive Officer on the above recommendations of the committee was accorded.

6. Communication with Nodal Agency and project proponent:

Earlier, UPEIDA, vide letter Ref. No. 5457 dated 14.08.2026, clarified the basis of calculation of the provisional industrial land premium of Rs 5250 per sq. mtr. and requested submission of the finalised DPR by M/s AquaBridge Holding, UAE.

M/s AquaBridge responded vide email dated 15.08.2026, submitting the updated DPR along with its perspective and required action points concerning the land allotment process.

UPDASP, vide its letter No. WUS/23/UPDASP/UPAGREES/Abu Dhabi/2024-25 dated 17.08.2026, forwarded the updated DPR to UPEIDA and requested that UPEIDA examine the same, determine the final applicable land premium, communicate the requisite formal approval/allotment terms, and expedite the subsequent stages of the allotment process in a time-bound manner.

Post the In-principle approval, as above, by the CEO, Principal Secretary, Agriculture/ Addl. Project Co-ordinator UPAGREES was confirmed vide letter no. 6445 dated 16.09.2026 that the registration money, (calculated at the rate of Rs. 5250.00 per sq.mtr. for plot area 60.502 acres) amounting to Rs. 12,85,42,050.00 being 10% of the total land premium and Processing Fees of Rs. 59,000.00 (including GST), may be deposited by the project proponent, M/s Aquabridge Holding at the earliest, to enable initiation of the allotment process.

7. Ex-post-facto approval of the Board:

The proposal, together with the CEO's In-principle approval and the observations and conditions recorded in this agenda, is now put up to Board with the request for Ex-post-Facto approval on following points:

- (a) In-principle establishment of the Integrated Aquaculture Farm & Aquatic Research Centre at IMLC, Unnao;

- In-principle allotment of approximately 24.484 hectares (60.5 acres) of the identified land to the eligible Indian subsidiary/SPV of M/s AquaBridge Holding Ltd., UAE, subject to final survey, demarcation and fulfilment of applicable requirements;
- Treatment of the project as a single integrated use zone comprising the uses and facilities proposed in the DPR submitted on 15th august 2026;
- Adoption of the project-specific planning and development control framework recommended in Section 4.2 above, with respect to clause-24.8.9 of the Greater Noida Building Regulation adopted in 87th board meeting of UPEIDA held on dated 13.02.2024;
- Charging of land premium for the entire land parcel at the prevailing notified industrial land rate applicable to IMLC, Unnao on the date of allotment; and
- The infrastructure, environmental and other project-specific conditions recommended in this Note.
- Authorisation of the Chief Executive Officer to finalise the terms and conditions of allotment, impose appropriate project-specific conditions, approve the layout/development proposal in accordance with applicable provisions, execute the lease deed and take all consequential actions necessary for implementation of the decision.

The agenda is submitted for the approval of the Chief Executive Officer to place the aforementioned matter before the upcoming meeting of the UPEIDA Board for its consideration and approval.

यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं.-29

Integrated Manufacturing and Logistic Cluster (IMLC) के अन्तर्गत जनपद चित्रकूट, रायबरेली, अम्बेडकरनगर (पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे), अम्बेडकरनगर (गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे), प्रतापगढ़ एवं बाराबंकी में अवरस्थापना विकास कार्यो के प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित विस्तृत आगणन से सम्बन्धित प्रकरण को माननीय निदेशक मंडल संज्ञानार्थ

परियोजना पृष्ठभूमि:- उ० प्र० सरकार के 47 जनपदों में 48 स्थलों पर उ० प्र० इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत Integrated Manufacturing and Logistic Cluster (IMLC) की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत भूमि चिन्हित कर भूमि क्रय/अधिग्रहण का कार्य प्रगति में है। (IMLC) के अंतर्गत निवेशकों की सुविधा हेतु अवरस्थापना विकास कार्यो (आंतरिक सड़क, आंतरिक प्रकाश व्यवस्था व विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति, ड्रेनेज, सीवर, फेंसिंग, गेट एवं फायर स्टेशन इत्यादि कार्य) को त्वरित गति से पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव:-

- इस क्रम में जनपद चित्रकूट, रायबरेली, अम्बेडकरनगर (पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे), अम्बेडकरनगर (गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे), प्रतापगढ़ एवं बाराबंकी (IMLC) के अंतर्गत कराये जाने वाले अवरस्थापना कार्यो (आंतरिक सड़क, आंतरिक प्रकाश व्यवस्था व विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति, ड्रेनेज, सीवर, फेंसिंग, गेट एवं फायर स्टेशन इत्यादि कार्य) का आगणन गठित कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित है।
- तत्क्रम में जनपद चित्रकूट, रायबरेली, अम्बेडकरनगर (पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे), अम्बेडकरनगर (गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे), प्रतापगढ़ एवं बाराबंकी में अवरस्थापना एवं पूंजी निवेशकों हेतु अधिग्रहण की गयी भूमि की सुरक्षा एवं विन्हाकन हेतु स्टोन बाउंड्री पिलर लगाये जाने हेतु इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत कुल 06 कार्यो की वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु आगणन शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये विवरण निम्नवत् हैं:-

क्रम सं०	जनपद	EFC द्वारा कार्यो की अनुमोदित लागत (लाख में)
1.	चित्रकूट	37676.73
2.	रायबरेली	15261.53
3.	अम्बेडकरनगर (पूर्वा० एक्सप्रेस-वे)	28480.62
4.	अम्बेडकरनगर (गोरखपुर लिंक ए०)	22271.44
5.	प्रतापगढ़	17507.10
6.	बाराबंकी	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।

- तत्क्रम में जनपद चित्रकूट, रायबरेली, अम्बेडकरनगर (पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे), अम्बेडकरनगर (गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे), प्रतापगढ़ एवं बाराबंकी के आगणन की EFC द्वारा कार्यो की लागत का निर्धारण किया जा चुका है। अभी तक उक्त (IMLC) नोड की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासन स्तर से अपेक्षित है।
- तत्क्रम में कार्यो के शीघ्र निष्पादन हेतु (IMLC) जनपद चित्रकूट, रायबरेली, अम्बेडकरनगर (पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे), अम्बेडकरनगर (गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे), प्रतापगढ़ एवं बाराबंकी की निविदा कार्यवाही

प्रक्रियाधीन है। उपरोक्त प्रस्ताव पर गान्गीय निदेशक मण्डल का संज्ञान एवं अनुमोदन हेतु निवेदन किया गया है।
यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर संज्ञान लेते हुये अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु सं.-01

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की भौति यूपीडा में कार्यशील बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के निर्माण एवं भूमि क्रय हेतु लिये गये बैंकों से ऋण से अवशेष ऋण का बैंको/वित्तीय संस्थाओं द्वारा अधिग्रहण (Takeover) की सैद्धान्तिक प्रस्ताव वित्त नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत किया गया जो कि विभिन्न राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से खुली निविदा के माध्यम से कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में अनुमोदन हेतु निवेदन किया गया
यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर संज्ञान लेते हुये अनुमोदन प्रदान किया गया।

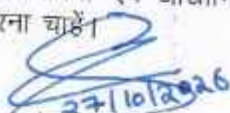
अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु सं.-02

दूर संचार विभाग भारत सरकार द्वारा Telecommunications (Right of Way) Rules, 2024 के क्रम में निर्गत अधिसूचना दि०-17.09.2024 को उ०प्र० एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) में अंगीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी-2 द्वारा मा० निदेशक मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया
यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर संज्ञान लेते हुये अनुमोदन प्रदान किया गया।
उपरोक्तानुसार प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

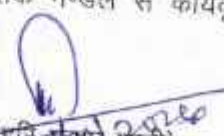
यूपीडा बोर्ड की 95वीं बैठक में उपरोक्त समस्त एजेण्डा बिन्दु सं०- 01 से 29 तथा अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु 01 व 02 पर, निदेशक मण्डल द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त पृथक-पृथक अनुमोदन एवं मार्गदर्शन प्रदान किया गया। तत्पश्चात बोर्ड बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई तथा अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा बैठक में उपस्थित बोर्ड के अध्यक्ष महोदय व सदस्यगण को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

अपर/मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कृपया पृष्ठ संख्या 01 से 64 पर निदेशक मण्डल की बैठक के कार्यवृत्त के अवलोकनोपरान्त, सहमति की दशा में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं अध्यक्ष निदेशक मण्डल से कार्यवृत्त के अनुमोदन हेतु अनुरोध करना चाहें।


(शुभेन्दु रोखर सिंह)

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी-1


(श्रीहरी प्रताप सिंह)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं
सहायक सदस्य-सचिव, यूपीडा निदेशक मण्डल

अनुमोदित


(दीपक कुमार)

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त(अध्यक्ष) एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा (सदस्य सचिव)
निदेशक मण्डल, यूपीडा


27/10/24